सामाजिक विज्ञान (भाग–1)

(इतिहास एवं नागरिक शास्त्र)

कक्षा 8

सत्र 2019–20

DIKSHA एप कैसे डाउनलोड करें?

विकल्प 1 : अपने मोबाइल ब्राउज़र पर diksha.gov.in/app टाइप करें।
विकल्प 2 : Google Play Store में DIKSHA NCTE ढूंढ़े एवं डाउनलोड बटन पर tap करें।

DIKSHA

मोबाइल पर QR कोड का उपयोग कर डिजिटल विषय वस्तु कैसे प्राप्त करें ?

DIKSHA App को लॉंच करे → App की समस्त अनुमति को स्वीकार करें → उपयोगकर्ता Profile का चयन करें।

1 पाठ्यपुस्तक में QR Code को Scan करने के लिए मोबाइल में QR Code tap करें।

2 मोबाईल को QR Code पर केन्द्रित करें।

3 सफल Scan के पश्चात् QR Code से लिंक की गई सूची उपलब्ध होगी।

डेस्कटॉप पर QR Code का उपयोग कर डिजिटल विषय–वस्तु तक कैसे पहुँचे ?

1 QR Code के नीचे 6 अंक का Alpha Numeric Code दिया गया है।

2 ब्राउज़र में diksha. gov.in/cg टाईप करें।

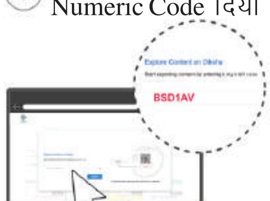

3 सर्च बार पर 6 डिजिट का QR CODE टाईप करें।

4 प्राप्त विषय–वस्तु की सूची से चाही गई विषय–वस्तु पर क्लिक करें।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् छत्तीसगढ़, रायपुर

निःशुल्क वितरण हेतु

प्रकाशन वर्ष – 2019

R2YMSY

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् छत्तीसगढ़, रायपुर

सहयोग

छत्तीसगढ़ शिक्षा संदर्भ केन्द्र रायपुर, एकलव्य, मध्यप्रदेश
एवं डॉ. किशोर कुमार अग्रवाल, रायपुर

संयोजक

डॉ. विद्यावती चन्द्राकर

समन्वयक

उपेन्द्र सिंह क्षत्री, ख्रीस्टीना बखला

सम्पादक मण्डल

शिव कुमार वर्मा, उपेन्द्र सिंह क्षत्री, डॉ. सुखदेवराम साहू

लेखक समूह

इतिहास

डॉ. सुखदेवराम साहू, वंदना अग्रवाल, सच्चिदानंद शास्त्री,
पूर्णानंद पाण्डेय, दुर्गेश वैष्णव, डॉ. नरेन्द्र पर्वत, मेघलता बंजारे, पंचराम चतुर्वेदी

नागरिक शास्त्र

कृष्णा नन्द पाण्डेय, शोभनाथ तिवारी,
रघुनंदन लाल वर्मा, डॉ. प्राची शर्मा, खिलेश्वरी साव, अमृतलाल साहू,
भारती दुबे, भूमिका शर्मा

आवरण पृष्ठ : रेखराज चौरागड़े, आसिफ (भिलाई)

फोटोग्राफ : श्रीमति मंजूषा बेडेकर (प्रथम आवरण पृष्ठ)

पृष्ठ सज्जा : रेखराज चौरागड़े

प्रकाशक

छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम, रायपुर

मुद्रक

....

मुद्रित पुस्तकों की संख्या – ....

आमुख

बालक को समुचित सामाजिक वातावरण प्रदान करना विद्यालय का दायित्व है। यहाँ उनके कार्यों का प्रायोगिक क्रम चलता है जिसका व्यावहारिक उपयोग वह समाज में पूर्ण करता है। सामाजिक जीवन के अनेक प्रश्न अनुत्तरित होते हैं, किन्तु उनके लिए समाधान कारक उपाय 'सामाजिक विज्ञान' पुस्तक से संभव है। निःसंदेह पूर्व में प्रचलित पाठ्यसामग्री पठनीय एवं सराहनीय रही है, तथापि वर्तमान के साथ परिवर्तन को आत्मसात करके प्रस्तुति, उसे और उपयोगी एवं अद्यतन करने का प्रयास राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने प्रस्तुत ''सामाजिक विज्ञान'' पुस्तक में किया है।

इसकी रूपाकृति में एकलव्य संस्थान होशंगाबाद मध्यप्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ अंचल के लेखकों का सहयोग है जो क्रमबद्ध गोष्ठियों, कार्यशालाओं एवं आपसी विचार विमर्श के द्वारा यह स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। सामाजिक विज्ञान में इतिहास, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र के पाठों का समावेश किया गया है। कक्षा 8वीं की इस पुस्तक में छत्तीसगढ़ राज्य के संसाधनों के साथ ही छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में स्थानीय इतिहास का भी समावेश है।

पाठों को शिक्षण की नई विधि को केंद्रित कर प्रस्तुत करने के इस प्रयत्न में शिक्षाविदों के साथ ही ग्राम पंचायत विभाग, स्थानीय उद्योगपतियों का भी विशेष सहयोग प्राप्त हुआ है।

स्कूल शिक्षा विभाग एवं राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, छ.ग. द्वारा शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में दक्षता संवर्धन हेतु अतिरिक्त पाठ्य संसाधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से Energized Text Books एक अभिनव प्रयास है, जिसे ऑन लाईन एवं ऑफ लाईन (डाउनलोड करने के उपरांत) उपयोग किया जा सकता है। ETBs का प्रमुख उद्देश्य पाठ्यवस्तु के अतिरिक्त ऑडियो–वीडियो, एनीमेशन फॉरमेट में अधिगम सामग्री, संबंधित अभ्यास, प्रश्न एवं शिक्षकों के लिए संदर्भ सामग्री प्रदान करना है।

हमें विश्वास है कि यह सामाजिक विज्ञान पुस्तक बच्चों, पालकों, एवं शिक्षकों हेतु विशेष उपयोगी सिद्ध होगी। पाठ्यपुस्तक लेखक मंडल, शिक्षाविदों तथा एकलव्य संस्थान के प्रति परिषद् आभारी है। इस पुस्तक के संबंध में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

संचालक

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

छत्तीसगढ़, रायपुर

शिक्षकों से अपनी बात

शिक्षा सोद्देश्य आजीवन चलनेवाली प्रक्रिया है जब उद्देश्य बदलता है तो शिक्षण की विषयवस्तु, शिक्षण विधियों एवं मूल्यांकन में भी परिवर्तन करना पड़ता है। वर्तमान में शिक्षा को एक सहज प्रक्रिया के रूप में माना जा रहा है। जिससे बालक खेल–खेल में एक आनंददायी वातावरण में सीख सकें। अवधारणाओं की समझ शिक्षकों में विकसित की जा रही है। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए कक्षा 8 वीं की यह पुस्तक आपके समक्ष प्रस्तुत है।

शिक्षा के क्षेत्र में अब नवीन प्रयोग हो रहे हैं। क्रियात्मक अनुसंधान की योजनाएँ अब क्रियान्वित कर समाधान निकाला जा रहा है। वर्तमान परिवेश में बालक काफी कुछ संचार माध्यम से सीख रहा है। अतः आवश्यकता प्रतीत हुई की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बालक की जिज्ञासानुकुल पाठ्यक्रम निर्मित किया जाए। इसी तारतम्य में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने एक सार्थक प्रयास किया है। एकलव्य होशंगाबाद एवं स्थानीय अधिकारियों और संगठन के सहयोग से यह कार्य अल्प अवधि में पूर्ण किया गया है।

इस पुस्तक में विषयवस्तु को समझने के लिए निर्देश दिये गए हैं चित्र देखिए, तुलना कीजिए। इसके साथ–साथ विषयवस्तु को स्थानीय परिवेश से जोड़ने का प्रयास किया गया है। आवश्यकतानुसार प्रश्नों को भी समाहित करते हुए पाठों को बोझिल होने से बचाने का भरपूर प्रयास किया गया है।

पुस्तक में प्रत्येक पाठ का पूर्व के पाठों से संबंध जोड़ने का प्रयास भी है, उसके पश्चात आगे का ध्यान दिया गया है। पाठों में मूल्य शिक्षा, सामाजिकता, पर्यावरण संरक्षण तथा राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं को बताने का सार्थक प्रयास है। कक्षा शिक्षक समय अनुसार और आवश्यकतानुसार अन्य बिन्दुओं के संबंध में अपने विचार अवश्य देवें।

छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक धरोहर एवं सामाजिक व सांस्कृतिक परंपराओं का यथोचित समावेश किया गया है।

पाठों में विचारात्मक प्रश्न एवं समस्यात्मक प्रश्न भी दिए गए हैं, जो बालक की जिज्ञासा को संतुष्ट करते हैं एवं चिंतन करने के लिए प्रेरित करते हैं। अपने स्तर पर आप भी इस प्रकार से प्रश्न तैयार कराएँ तथा वे तथ्य जो समाहित नहीं हो पाए हैं छात्र के हित में बनाने का प्रयास करें।

आशा है हमारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। आप प्रदेश के बच्चों की जिज्ञासाओं को शांत करने में सक्षम होंगे तथा नई अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर सकेंगे। अतः अपने प्रयास एवं नवीन विचार हमें अवश्य भेजें ताकि आगामी प्रकाशन में सुधार कर सकें।

धन्यवाद!

संचालक
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
छत्तीसगढ़, रायपुर

विषय सूची

इतिहास

1.	आधुनिक यूरोप का उदय	01–09
2.	भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी शासन की स्थापना	10–18
3.	अँग्रेजी शासन का भारतीय जन जीवन पर प्रभाव	19–27
4.	भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम	28–33
5.	भारतीय समाज में नए विचार	34–40
6.	भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन	41–59
7.	भारतीय गणतंत्र की स्थापना	60–65
8.	छत्तीसगढ़ अध्ययन	66–68

नागरिक शास्त्र

1.	अब मीता जानती है।	69–71
2.	हमारा संविधान	72–75
3.	मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य	76–81
4.	केन्द्र की सरकार	82–86
5.	हमारी न्याय वयवस्था	87–95
6.	कर	96–100
7.	भारत में कृषि का विकास	101–110
8.	संयुक्त राष्ट्र संघ	111–115
9.	भारत की विदेश नीति	116–119
10.	सूचना का अधिकार	120–123
11.	ट्रांस जेण्डर/थर्ड जेण्डर	124

अध्याय 1

आधुनिक यूरोप का उदय

PCV8HN

बच्चो! इतिहास मानव के सम्पूर्ण क्रियाकलाप और घटनाओं का एक निरंतर चलने वाला क्रम है। इसलिए जानकारी, समझ, अध्ययन और अध्यापन आदि की सरलता के लिए इतिहासकारों ने विश्व इतिहास को तीन कालों में विभाजित किया है, जो निम्नानुसार है :–

1. प्राचीन काल 2. मध्य काल 3. आधुनिक काल

यह विभाजन विभिन्न देशों में एक निश्चित और लम्बी अवधि तक चलने वाले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक ढ़ाँचे में शामिल हो रही नवीन प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया है।

प्राचीन एवं मध्यकाल की चर्चा हम पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। बच्चो! अब हम आधुनिक काल के बारे में चर्चा करेंगे। आधुनिक काल का अर्थ वे सभी नवीन विचारधाराएँ, प्रवृत्तियाँ और क्रियाकलाप हैं जिन्होंने मानव जीवन को प्राचीन काल एवं मध्यकाल से भिन्न स्वरूप और सामाजिक मूल्य प्रदान किए हैं।

आधुनिक काल की विशेषताएँ –

1. तर्क एवं बुद्धिवाद –

इस युग में व्यक्ति किसी तथ्य को तब स्वीकार करता था जब वह उसे तर्क की कसौटी पर प्रमाणित पाता था। इसके कारण यूरोप में विज्ञान का विकास हुआ ।

2. मानववाद –

इस युग में मानव की उन्नति और भौतिक सुखों को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। ऐसा माना गया कि मनुष्य में उन्नति करने और एक उन्नत समाज का निर्माण करने की अपरिमित क्षमता है।

3. नवीन अन्वेषण –

आधुनिक काल में भौगोलिक खोजों, विज्ञान की प्रगति, औद्योगिक क्रांति एवं नवीन राजनीतिक, सामाजिक विचारधाराओं की शुरुआत हुई।

यहाँ ध्यान रखने योग्य विशेष बात यह है कि ये बातें अलग–अलग महाद्वीपों व देशों में वहाँ की सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक स्थितियों तथा उनमें आ रहे परिवर्तनों के आधार पर अलग–अलग समय में फैलीं उदाहरण के लिए यूरोप में जहाँ 15 वीं और 16वीं शताब्दियों के बीच आधुनिक काल का आरंभ हुआ, वहीं भारत में आधुनिक काल का उदय 18वीं शताब्दी में हुआ। इसका मतलब यह है कि सम्पूर्ण विश्व में आधुनिक काल का उदय एक साथ नहीं हुआ। विश्व के इस आधुनिक काल का इतिहास जानने के लिए हमें उन तमाम साधनों की जानकारी होना भी जरूरी है, जिन्हें हम इतिहास के स्रोत कहते हैं।

> क्या आप बता सकते हैं कि हमें आधुनिक काल की जानकारी किन–किन स्रोतों से प्राप्त होती है?

आधुनिक इतिहास की सामग्री हमें न सिर्फ बहुतायत स्रोत से प्राप्त होती है बल्कि इसे प्राप्त करना अधिक आसान भी है। आधुनिक काल में सरकारी कामकाज संबंधी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जा रहा है। इस काल में लिखी व छपी पुस्तकें न सिर्फ आसानी से उपलब्ध हैं अपितु इनमें से कई पुस्तकें पुनः मुद्रित भी होती हैं। इनमें विभिन्न साहित्य जैसे – उपन्यास, जीवनी, यात्रा–वृत्तांत आदि शामिल हैं। इसके अलावा तत्कालीन समाचार पत्र भी उस समय का इतिहास जानने के महत्वपूर्ण साधन हैं। साथ ही कुछ ऐसे व्यक्ति आज हमारे बीच हैं, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष या अन्य घटनाओं को अपनी आँखों से देखा है अथवा उसमें भाग लिया है। इनसे भी हमें आधुनिक इतिहास की अनेक जानकारियाँ प्राप्त होती हैं।

आधुनिक इतिहास के स्रोतों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है –

आधुनिक काल के इतिहास के स्रोत

- **लिखित इतिहास**
  - विभिन्न साहित्यिक रचनाएँ, जीवनी, संस्मरण, उपन्यास आदि।
  - विभिन्न शासकीय, अशासकीय दस्तावेज, पत्र–व्यवहार, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या त्रैमासिक छपने वाले पत्र–पत्रिकाएँ।
  - धार्मिक साहित्य, विभिन्न धर्म गुरुओं, मीमांसकों एवं धार्मिक संस्थाओं द्वारा प्रकाशित साहित्य।
- **मौखिक इतिहास**
  - आम लोगों के अनुभवों, लोक कथाएँ, जनश्रुतियाँ आदि।
- **आधुनिक संचार– साधन**
  - रेडियो, टी.वी., फिल्में, फोटोग्राफ्स, ऑडियो– वीडियो कैसेट, इंटरनेट आदि।
- **आधुनिक स्थापत्य**
  - नई दिल्ली का नगर नियोजन, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, मुम्बई का प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, छत्तीसगढ़ में महंत घासीदास संग्रहालय– रायपुर आदि।

इसके साथ ही हमारे वर्तमान जीवन से जुड़ी प्रत्येक वस्तु और उपकरण भी आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं।

> आप अपने आसपास कुछ ऐसी चीजें, पुस्तकें या इमारतें खोज सकते हैं, जो आपको आधुनिक युग के इतिहास से जुड़ी कुछ जानकारियाँ दे सकती हो ?

पृष्ठभूमि–

पंद्रहवीं शताब्दी तक यूरोप के सामाजिक जीवन पर सामंतों तथा धर्म गुरुओं का वर्चस्व था, जिनकी तुलना में राज–सत्ता (राजा) निर्बल थी। इनके शोषण और दमन से साधारण जनता त्रस्त थी। ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था; इसलिए ईश्वर और परलोक से जुड़ी बातों पर ज्यादा महत्व दिया जाता था। 14वीं शताब्दी में ही यूरोप के इस मध्यकालीन ढाँचे पर प्रहार किए जाने लगे थे। अब मानव के वर्तमान जीवन के दुःख दर्दों पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। इस समय के प्रबुद्ध विचारक समाज में प्रचलित पारम्परिक विचारों तर्क के आधार पर समीक्षा करने लगे और लोगों को बुद्धिनिष्ठा का महत्व समझाने लगे। लोगों को यह शिक्षा देने लगे कि ''विश्व को अपनी खुली आँखों से देखो और जो बुद्धि को स्वीकार हो उसे ही मानो।''

बुद्धिनिष्ठा का अर्थ है :– मनुष्य की सोचने व तर्क करने की शक्ति पर विश्वास करना, तथ्यों की तह तक जाना और तब स्वयं निर्णय लेना कि क्या उचित है और क्या नहीं।

यूरोप का पुनर्जागरण–

वैचारिक क्रांति –

पंद्रहवीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण अर्थात् वैचारिक क्रांति का आरंभ हुआ। ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं के प्राचीन ग्रंथों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद तथा नए सिरे से अध्ययन होने लगा। छपाई की मशीन का आविष्कार होने के कारण पुस्तकें अधिक संख्या में, आसानी से और कम कीमत पर लोगों को उपलब्ध होने लगीं। फलतः ज्ञान का प्रसार तेजी से हुआ। प्राचीन ज्ञान एवं नवीन विचारों के अध्ययन से वैचारिक क्रांति को प्रेरणा मिली। प्राचीन ग्रंथों में निहित बुद्धि निष्ठा, भौतिक जीवन के महत्व का बोध आदि बातें यूरोप में पुनः जड़ें पकड़ने लगीं।

इस दृष्टिकोण ने साहित्य, चित्रकला, शिल्पकला, विज्ञान आदि सभी विधाओं को प्रभावित किया। कलाकार अपनी कलाकृतियों में देवी–देवताओं, देवदूतों के स्थान पर मनुष्य की भावनाओं एवं प्राकृतिक सौन्दर्य का चित्रण करने लगे।

कोपर्निकस तथा गैलिलियो जैसे खगोल वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के बारे में प्रचलित सिद्धांतों का खंडन करके नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जैसे – सूर्य नहीं घूमता बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इन सबका परिणाम यह हुआ कि धार्मिक मान्यताओं पर आधारित विचार प्रभावित होने लगे तथा धर्म सुधार आंदोलन का सूत्रपात हुआ।

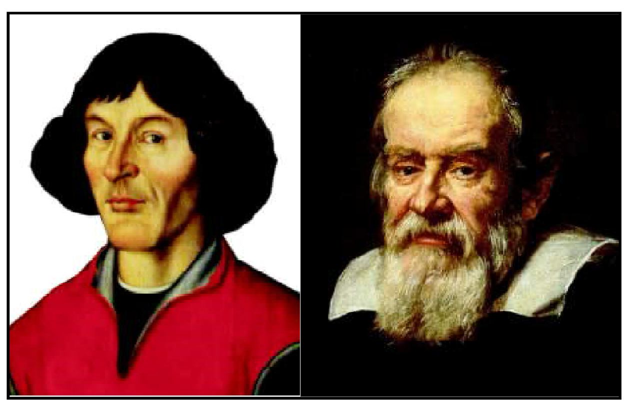

कोपर्निकस गैलिलियों

धर्म सुधार आन्दोलन–

मध्यकालीन यूरोपीय समाज पर रोमन कैथोलिक चर्च का अत्यधिक नियंत्रण था। ईसाई धर्म ग्रंथ बाईबिल लेटिन भाषा में लिखा गया था। सामान्य लोग इस लेटिन भाषा को नहीं समझते थे। लोगों के इस अज्ञानता का अनुचित लाभ उठाते हुए ईसाई धर्म गुरु कर्म–कांडो को बढ़ावा देते व धर्म के नाम पर लोगों का शोषण करते थे। धर्म–संस्थाओं में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध यूरोप में जो आंदोलन आरंभ हुआ, उसे धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है।

उन दिनों के विचारकों ने धर्म–संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचारों के विरुद्ध आवाज बुलंद की। बाईबिल का अनुवाद स्थानीय भाषाओं में किया गया ताकि सामान्य लोग अपने धर्म–ग्रंथों को स्वयं पढ़ सकें। मार्टिन लूथर नामक जर्मन धर्मगुरु ने धार्मिक–संस्थाओं के दुराचारों की निंदा करते हुए एक खुला वक्तव्य जारी किया, जिसमें उसने जनता से कहा – 'आप लोगों को धर्म गुरुओं के कथन को ही धर्म न मानकर स्वयं बाईबिल पढ़ना चाहिए और धर्म के तत्वों को समझना चाहिए।' उसने ईसाई धर्म गुरु के प्रमुख पोप की निरंकुश सत्ता को चुनौती दी और धर्म व्यवस्था में प्रचलित दोषों का विरोध (प्रोटेस्ट) किया। इसलिए उसके अनुयायियों को प्रोटेस्टेंट कहा जाने लगा। धर्म सुधार आंदोलन के फलस्वरूप पोप के दबदबे में कमी आई। पोप के वर्चस्व से परेशान यूरोप के कुछ शासकों ने भी पोप का वर्चस्व मानने से इंकार कर दिया। इनमें इंग्लैण्ड का राजा हेनरी अष्टम भी एक था। इस तरह धर्म सुधार आंदोलन ने यूरोप में आधुनिक विचारों का सूत्रपात कर पुनर्जागरण को सम्भव बनाया।

राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीय राजतंत्रों का उदय–

सोलहवीं शताब्दी में यूरोप में सामंतों की सत्ता का लोप होने लगा और राजाओं का महत्व बढ़ने लगा। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में लंबे समय से निवास करने वाले, समान–भाषा, ऐतिहासिक परंपरा, राजनीतिक तथा आर्थिक हित संबंधों वाले लोगों में राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बन गया। धीरे–धीरे सारी सत्ता राजा के हाथों में केन्द्रित हो गई और वह प्रबल हो गया। इन सब कारणों से यूरोप में राष्ट्रीय राजतंत्रों का उदय हुआ। इंग्लैण्ड, फ्रांस, स्पेन आदि राष्ट्रीय राज्य अस्तित्व में आए। इन राष्ट्रीय राज्यों का उदय आधुनिक युग की महत्वपूर्ण विशेषता है।

यूरोप का एशिया के साथ व्यापार–

नवजागरण के साथ ही महान खोज–यात्राओं का युग भी आरंभ हुआ।

भारत और यूरोप देशों के व्यापारिक संबंध बहुत पुराने थे। जल और थल दोनों ही मार्गों से भारत तथा यूरोप के मध्य व्यापार होता था।

पहला मार्ग– फारस की खाड़ी से जुड़ा समुद्री मार्ग था जिससे इराक, तुर्क (टर्की), वेनिस और जिनेवा (इटली) के साथ व्यापार होता था।

दूसरा मार्ग– मध्य एशिया से मिश्र होकर यूरोप के लिए जानेवाला थल मार्ग था।

इस प्रकार यूरोप के सभी क्षेत्रों में भारत की वस्तुओं के वितरण के लिए वेनिस और जिनेवा प्रमुख व्यापारिक केन्द्र थे। इटली ने भारत की प्रमुख वस्तुओं के व्यापार पर अपना अधिकार जमाए रखने के लिए यूरोपीय शक्तियों की हिस्सेदारी समाप्त कर दी। वहीं 1453 ई. में कुस्तुनतुनियाँ (इस्तम्बोल) पर तुर्की ने अधिकार कर लिया।

नए मार्गों की खोज – इस्तम्बोल नगर यूरोप एवं भारत के व्यापारिक मार्ग का मुख्य द्वार था। यूरोपीय व्यापारियों को भारत पहुँचने के लिए एशिया के इसी मार्ग से होकर गुजरना पड़ता

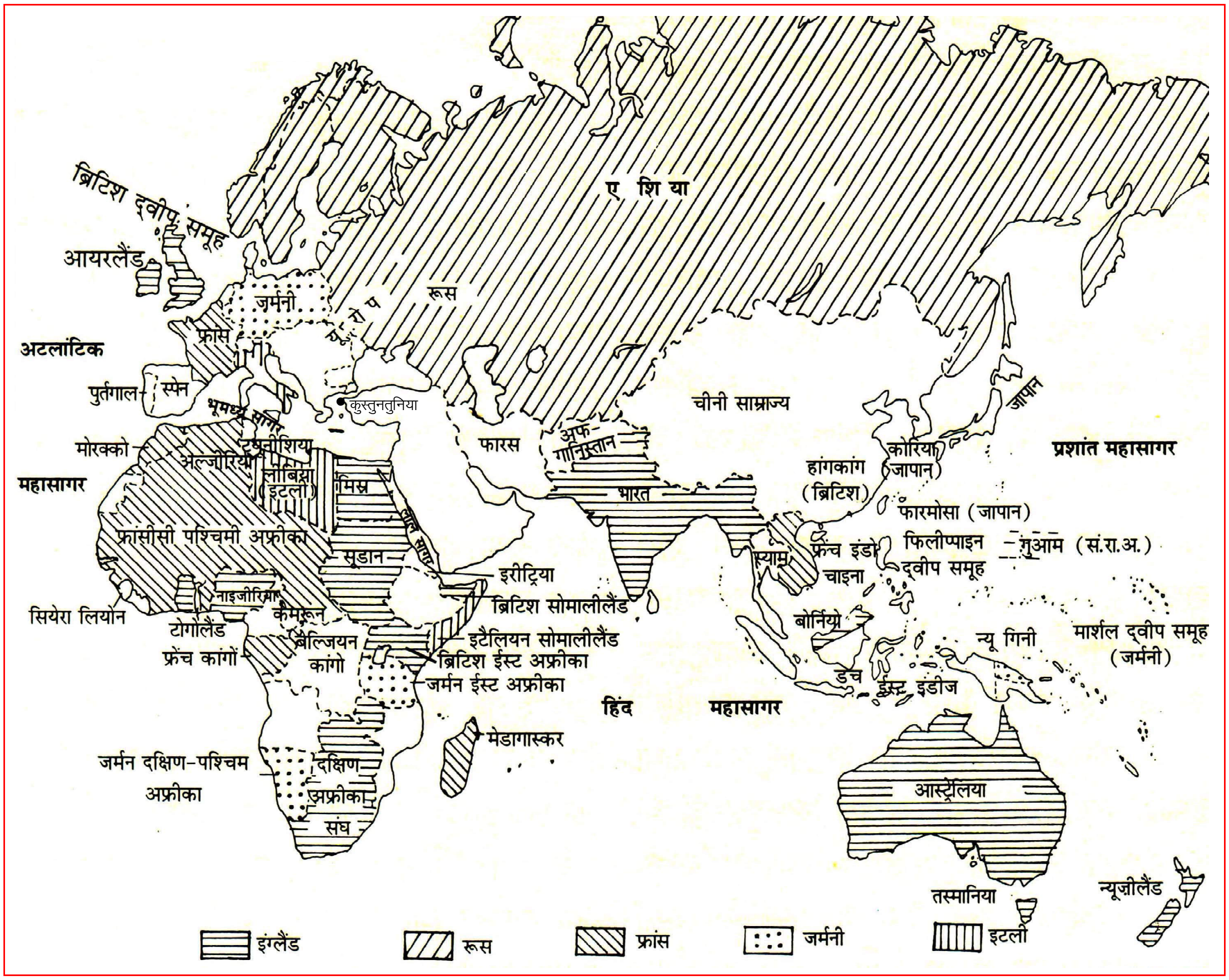

मानचित्र–1 ''एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवाद'' 1914 तक

था, किन्तु इस्तम्बोल पर तुर्की कब्जे के बाद यूरोप से भारत को जोड़नेवाला यह एकमात्र व्यापारिक थल मार्ग बंद हो गया। अरब व्यापारी अब एशियाई देशों से मूल्यवान रत्न, उत्तम श्रेणी के सूती तथा रेशमी वस्त्र, शक्कर इत्यादि यूरोप ले जाते थे। यह माल इटली के जिनेवा, वेनिस मिलान इत्यादि शहरों में उतारा जाता था जहाँ से यूरोपीय व्यापारी उस माल को भारी चुंगी देकर खरीदते थे और यूरोप के विभिन्न बाजारों में ले जाकर बेचते थे। यूरोप में इन वस्तुओं की बड़ी माँग थी। लेकिन व्यापारी अब अरब के व्यापारियों को हटाकर, भारत से सीधा व्यापार करना चाहते थे। इसलिए

उन्होंने नए व्यापारिक मार्गों की खोज करना आरंभ कर दिया। इस कार्य में यूरोप के कई महत्वाकांक्षी शासकों एवं रानियों ने भी उन्हें पर्याप्त सहयोग प्रदान किया।

कुतुबनुमा (दिशाओं का ज्ञान करनेवाला यंत्र) के आविष्कार के बाद नाविकों ने कुतुबनुमा की सहायता से लम्बी–लम्बी समुद्री यात्राएँ कीं।

भारत की खोज में निकले इटली के नाविक कोलम्बस ने यूरोप से अमेरिका पहुँचने वाले समुद्री मार्ग की खोज की तथा पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अपनी लम्बी जलयात्रा के दौरान अफ्रीका के दक्षिणी छोर (उत्तमांशा अंतरीप या Cape of good hope) से होते हुए 20 मई सन् 1498 ई. को भारत के पश्चिमी समुद्रतट पर कालीकट (केरल) बंदरगाह तक पहुँच गया।

व्यापारिक स्पर्धा – इन नए भूभागों का पता लगते ही पुर्तगाली एवं अन्य यूरोपीय व्यापारी वहाँ आने लगे इस व्यापार से उन्हें भारी लाभ होने लगा। सोलहवीं शताब्दी में इंग्लैण्ड, फ्रांस तथा हॉलैंड भी इस स्पर्धा में उतर पड़े। उन्होंने भी अपनी सामुद्रिक शक्ति बढ़ाई और अपने नाविकों को लम्बे समुद्री अभियानों पर जाने के लिए प्रोत्साहित किया। फलस्वरूप यूरोपीय राष्ट्रों के बीच व्यापारिक स्पर्धा आरंभ हो गई।

व्यापारवाद का उदय– सत्रहवीं शताब्दी में विदेशी व्यापार यूरोप की अर्थ व्यवस्था का प्रमुख घटक बन गया तथा व्यापार में वृद्धि करना शासकों की प्रमुख नीति बन गई।

> **व्यापारवाद इस नीति का मुख्य सूत्र था –**
>
> व्यापार द्वारा अपने राष्ट्र को अधिकाधिक संपन्न बनाना व अन्य राष्ट्रों को मात देना। शासकों ने इसके लिए अपने व्यापारियों को चुंगी में छूट सहित कई रियायतें दीं। इस आर्थिक नीति को ''व्यापारवाद'' कहा जाता है।

व्यापार वृद्धि के साथ–साथ यूरोप के व्यापारी वर्ग के पास अपार धन एकत्र होने लगा।

व्यापारिक कंपनी की स्थापना– व्यापारियों को विदेशी व्यापार से अपार लाभ तो थे, मगर इसमें उनके लिए कठिनाइयाँ और खतरे भी कम नहीं थे। इन कठिनाइयों से बचने के लिए व्यापारी कारीगरों को काम देने, तैयार माल इकट्ठा करने, माल का भंडारण करने जैसे अनेक कामों को सामूहिक रूप से करने में मदद देने लगे। इस प्रकार व्यापारिक कंपनियों की स्थापना आरंभ हुई। सत्रहवीं शताब्दी के आरंभ में व्यापार के लिए भारत आई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी लंदन के कुछ व्यापारियों द्वारा मिलकर स्थापित की गई कंपनी थी। हालैंड, फ्रांस आदि यूरोपीय देशों में भी इस प्रकार की व्यापारिक कंपनियों की स्थापना हुई।

यूरोप में व्यापार वृद्धि के परिणाम – यूरोप के व्यापार में हुई। तीव्र वृद्धि के परिणाम स्वरूप वहाँ के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। जो निम्नलिखित है–

आर्थिक प्रभाव – यूरोपीय अर्थव्यवस्था में व्यापार तथा उद्योगों का महत्व बढ़ने लगा। मध्यकाल में प्रचलित वस्तु विनिमय की पद्धति के स्थान पर सोने, चाँदी के सिक्के आर्थिक लेन–देन के माध्यम बन गए। अब लंदन, ब्रिस्टल जैसे अनेक नए व्यापारिक केन्द्रों का उदय हुआ। व्यापार के लिए पूँजी उपलब्ध करानेवाले बैंकों की संख्या में वृद्धि हुई। व्यापार में अधिकाधिक पूँजी का

विनियोजन होने लगा। जहाज निर्माण जैसे व्यापार से जुड़े अनेक नवीन उद्योगों का प्रारंभ हुआ। व्यापार एवं उद्योगों में अपार वृद्धि के कारण लाभ की मात्रा में भी वृद्धि हुई। फलस्वरूप यूरोपीय राष्ट्र अधिक सम्पन्न और समृद्ध होने लगे।

सामाजिक प्रभाव – व्यापारियों से संबंधित अनेक व्यावसायों की वृद्धि के फलस्वरूप समाज में बैंकर, दलाल, लिपिक, हिसाब लिखनेवाले जैसे व्यावसायिकों का एक वर्ग अस्तित्व में आया, जिसे मध्यम वर्ग कहा जाता है। कुशल कारीगर और निर्माता भी इस समुदाय में जुड़ते गए।

यह वर्ग रूढ़ियों और परंपराओं के बंधन में जकड़ा हुआ नहीं था। यह वर्ग नवीन बातों को जानने के लिए उत्सुक था। इस तरह मध्यम वर्ग आधुनिक सामाजिक–व्यवस्था की रीढ़ बन गया।

राजनैतिक प्रभाव – व्यापार वृद्धि का प्रभाव यूरोप के राजनैतिक क्षेत्र पर भी पड़ा। व्यापारी वर्ग ने अपने ही हित के लिए राजसत्ता का समर्थन किया तो व्यापारियों को देश की सम्पन्नता का आधार मानकर शासकों ने भी व्यापारियों को हर संभव सहायता प्रदान की। इससे देश में व्यापारी वर्ग को महत्व और प्रतिष्ठा प्राप्त होने लगी। व्यापारी वर्ग की बढ़ती प्रतिष्ठा के साथ ही यूरोप में सामंतवाद का पतन भी आरंभ हुआ और एक नई व्यवस्था, जिसे पूँजीवाद कहते हैं, अस्तित्व में आने लगी। यही आधुनिक युग की प्रमुख विशेषता थी। इसने पूँजीपति और मध्यमवर्ग के अलावा तीसरे और बहुसंख्यक श्रमिक वर्ग को जन्म दिया। पूँजीपति, उत्पादन हेतु आवश्यक कच्चे माल के तथा कारखानों में मशीनों से तैयार होनेवाली वस्तुओं के मालिक थे, जिनका मुख्य उद्देश्य था मुनाफा कमाना। वस्तुओं की बिक्री पर भी उन्हीं का नियंत्रण था। श्रमिक लोग वस्तुओं का उत्पादन करते थे और पूँजीपतियों से वेतन प्राप्त करते थे।

अब व्यापारिक समुदाय ने उत्पादन प्रणाली में सुधार किया, ताकि कम समय में ज्यादा वस्तुएँ तैयार की जा सकें। पहले कारीगर अपने सामान्य औजारों से अपने घरों में अपने परिवार के सदस्यों की मदद से काम करते थे। उन्हें आवश्यक कच्चा माल व्यापारियों से प्राप्त होता था। किन्तु यह धीमी घरेलू व्यवस्था बाजार की लगातार बढ़ती माँग की पूर्ति करने में समर्थ नहीं थी। अठारहवीं सदी की नवीन कारखाना व्यवस्था में कारखाने का मालिक पूँजी लगाकर बड़ी मात्रा में कच्चा माल खरीदता था। नई मशीनों की मदद से कारीगरों को काम पर लगाकर वस्तुएँ तैयार करता था और वही उन्हें बाजार में बेचता था।

श्रमिक अब घरों में नहीं बल्कि निश्चित वेतन पर कारखानों में काम करते थे। सबसे पहले इंग्लैंड में इस नई व्यवस्था का उदय हुआ। मशीनों का उपयोग भी सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ।

सूत कताई की मशीन, नए किस्म के करघों और भाप की शक्ति से चलनेवाले इंजन के आविष्कार के कारण इंग्लैंड में सूती कपड़ों के उत्पादन में खूब वृद्धि हुई। मानवीय श्रम अथवा पशुबल से चलनेवाली मशीनें अब भाप की शक्ति से चलनेवाली मशीनें बनीं।

भाप की शक्ति से पानी के जहाजों को तेज गति से चलाना संभव हुआ और यातायात आसान हुआ।

विकास के इस नए दौर को, कारखानों में मशीनों की मदद से वस्तुओं के बेहिसाब उत्पादन को औद्योगिक–क्रांति का नाम दिया गया।

18वीं सदी के उत्तरार्द्ध में इंग्लैंड से शुरू हुई इस औद्योगिक क्रांति ने अन्य यूरोपीय देशों की उत्पादन प्रणाली को भी प्रभावित किया। आगे चलकर बिजली तथा धमन–भट्टी जैसे आविष्कारों ने लोहे की ढलाई जैसे मुश्किल काम को आसान बना दिया। इस तरह नए–नए आविष्कारों और साधनों ने औद्योगिक क्रांति को अधिक प्रभावी बना दिया। तेज गति से कम समय में ज्यादा उत्पादन की क्षमता प्राप्त कर यूरोपीय देश अपने उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति के लिए दूसरे देशों की ओर उन्मुख हुए।

उपनिवेशों की स्थापना – यूरोपीय लोगों ने सर्व प्रथम अमेरिका महाद्वीप के सम्पन्न प्रदेशों को हस्तगत किया और वहाँ अपने उपनिवेश स्थापित किए। स्पेन ने मुख्यतः दक्षिणी तथा मध्य अमेरिका में अपनी सत्ता स्थापित की। इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अटलांटिक महासागरों के तटवर्ती भागों में अपने उपनिवेश बसाए। दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोनेशिया पर डचों ने, भारत पर सर्व प्रथम पुर्तगालियों ने तदनंतर अँग्रेजों, डचों एवं फ्रांसीसियों ने कब्जा जमाया तथा आगे चलकर अफ्रीका और आस्ट्रेलिया में भी यूरोपवासियों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए। अपने उद्योगों के लिए अधिकाधिक कच्चा माल प्राप्त करने के लिए उन्होंने उपनिवेशों पर मनमाने प्रतिबंध लगाए। उनके कच्चे माल से अपने उद्योगों को चलाया और अपने तैयार माल को भी वापस उन्हीं देशों में ऊंची कीमतों पर बेचा। इस प्रकार उन्होंने उपनिवेशों के मूल निवासियों का दमन करके उनका अत्यधिक आर्थिक शोषण किया।

PD54PB

1850 में यूरोप में औद्योगिक क्षेत्र का दृश्य

उपनिवेशों से संबंधित इस नीति को ''उपनिवेशवाद'' कहा जाता है।

यह उपनिवेशवाद यूरोपीय राष्ट्रों की व्यापार वृद्धि और व्यापारियों की बढ़ती धन–लिप्सा का ही परिणाम था। उपनिवेशवाद के दो बड़े परिणाम हुए –

1. अधिकाधिक उपनिवेशों को हथियाने के लिए यूरोपीय राष्ट्रों में संघर्ष होने लगे, जो अंततः प्रथम विश्व युद्ध में बदल गए।

2. अपने अधीनस्थ उपनिवेशों पर अधिकार जमाए रखने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने वहाँ की जनता को अशिक्षित और पिछड़ा हुआ बनाए रखा, जिससे इन औपनिवेशिक राष्ट्रों के समग्र संसाधनों का न सिर्फ भरपूर शोषण हुआ, बल्कि वे अशिक्षा और पिछड़ेपन के गहरे गर्त में भी डूबते चले गए।

अभ्यास प्रश्न

PDDZQY

1. उचित जोड़ियाँ बनाएँ –

(1) कॉपरनिकस	–	पोप के वर्चस्व को मानने से इंकार
(2) कोलम्बस	–	खगोल वैज्ञानिक
(3) मार्टिन लूथर	–	धर्म–व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचारों का विरोध
(4) हेनरी अष्टम	–	यूरोप से अमेरिका तक के समुद्री मार्ग की खोज

2. प्रश्नों के उत्तर दीजिए –

1. छपाई कला के अविष्कार से क्या–क्या लाभ हुए ?
2. अरब व्यापारी क्या–क्या वस्तुएँ यूरोप के व्यापारियों को बेचते थे ?
3. मार्टिन लूथर के अनुयायियों को प्रोटेस्टेंट कहा जाता है। क्यों ?
4. यूरोपीय व्यापारियों ने व्यापारिक कंपनियों की स्थापना की। क्यों ?
5. मध्यम वर्ग आधुनिक सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ बन गया। क्यों ?
6. पुनर्जागरण का स्वरूप स्पष्ट कीजिए।
7. औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में कौन–कौनसे तीन वर्ग प्रमुखता से अस्तित्व में आए? इनकी स्थिति पर संक्षिप्त में प्रकाश डालिए।
8. सामंतवाद का पतन किस तरह हुआ ?
9. व्यापार में वृद्धि का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा ?
10. इस पाठ की उस बात का उल्लेख करें जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया।

5. प्रयास कीजिए –

(1) विश्व के मानचित्र पर एशिया और अफ्रीका के पाँच अँग्रेजी उपनिवेशों को दर्शाइए।

(2) शिक्षक विद्यार्थियों से उनके दादा–दादी और अन्य पारिवारिक सदस्यों के नए कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स का संकलन करने को कहें जिनसे जुड़ी कुछ बातों का वे उल्लेख भी कर सकें।

(3) मार्टिन लूथर नामक जर्मन धर्मगुरु ने धार्मिक संस्थाओं की निंदा करते हुए एक खुला वक्तव्य जारी किया जिसमें उन्होंने जनता से कहा कि 'आप लोगों को धर्म गुरुओं के कथन को ही धर्म न मानकर स्वयं बाइबिल पढ़ना चाहिए और धर्म के तत्वों को समझना चाहिए'। मार्टिन लूथर के इस कथन पर आपके क्या विचार हैं?

अध्याय 2

भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन की स्थापना

आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि यूरोप से भारत पहुँचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्कोडिगामा ने सन् 1498ई. में की थी। इसके बाद पुर्तगाल के व्यापारी व्यापार और ईसाई धर्म के प्रचार के उद्देश्य से भारत आए। उन्होंने इस क्षेत्र पर अपना प्रभाव बढ़ाने बीजापुर, कर्नाटक के राजा से गोवा को अधिकृत कर अपनी राजधानी बनाया। अब समुद्री क्षेत्र में उनका प्रभाव बढ़ने के कारण वे वहाँ से गुजरने वाले समुद्री जहाजों से टैक्स वसूलने लगे। जो भी विदेशी जहाज उन्हें टैक्स नहीं देते थे उनके जहाज वे डुबो देते थे।

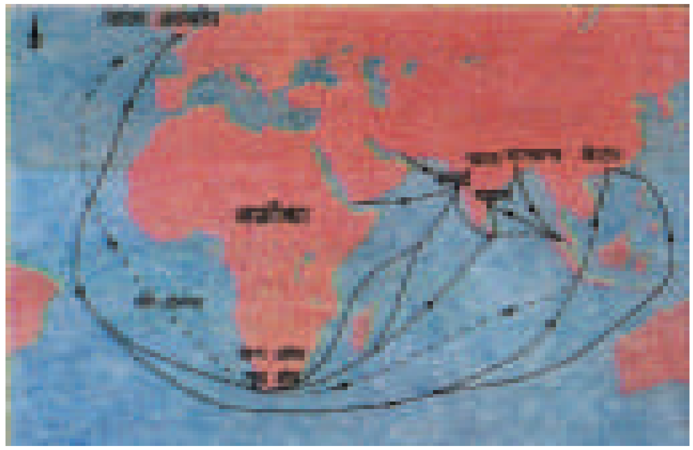

अठारहवीं सदी में भारत तक आने वाले रास्ते

उस समय यूरोप के कई देशों के व्यापारी भारत व्यापार करने आते थे और यहाँ से मसाले, कपड़े और नील आदि वस्तुएँ बहुत कम दामों में खरीदकर यूरोप में ऊँची कीमतों में बेचते थे। उन दिनों यूरोप में मसालों की बहुत माँग थी क्योंकि यूरोपीय प्रायः मांसाहारी थे। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए मसालों की जरूरत होती थी; जो वहाँ पैदा नहीं होते थे। एशिया महाद्वीप में मसालों की पैदावार भारत, इण्डोनेशिया, मलाया, श्रीलंका आदि देशों में होती थी। इन देशों से समुद्री मार्ग से व्यापार करना आसान था ताकि कम–से–कम लागत में वे सामान ले जाकर अधिक–से–अधिक दामों में बेच सकें। यूरोपीय मसालों के बदले भारत को सोना और चाँदी देते थे। यूरोप में मसालों की खपत ज्यादा थी अतः लम्बे समय तक सोना, चाँदी देकर मसाले नहीं खरीदे जा सकते थे। इसलिए उन्हें उपनिवेशों से ही धन प्राप्त करने और उससे वहीं व्यापार करने की आवश्यकता महसूस हुई। इसके लिए वे यहाँ साम्राज्य स्थापित कर व्यापार में करों से छूट और धन प्राप्त करना चाहते थे। पुर्तगालियों को लाभ कमाते देखकर हालैंड (डच), फ्रांस और इंग्लैंड की व्यापारिक कम्पनियाँ भारत आई। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण इनके आपस में भी संघर्ष होने लगे।

आर्या ने पूछा– गुरु जी ! क्या यूरोपीय देशों के सभी व्यापारी भारत में एक ही स्थान में व्यापार करने आए थे ?

गुरु जी ने कहा– तुमने बिल्कुल ठीक पूछा। उस समय सूरत भारत का प्रमुख व्यापारिक केन्द्र था। अतः पुर्तगालियों ने गोवा, दमन एवं दीव में अपने कारखाने खोले। इसी तरह डचों ने सूरत, खंभात, पटना तथा मछलीपट्टनम में कारखाने खोले। फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी शहर की स्थापना की थी। जो मद्रास के निकट समुद्र के किनारे स्थित है; जहाँ आज भी फ्रांसीसी सभ्यता की झलक दिखाई देती है। फ्रांसीसियों ने इसे अपनी राजधानी बनाया और यहाँ से तथा चन्द्रनगर से अपनी व्यापारिक गतिविधियाँ शुरू कीं। इसी तरह इंग्लैंड के व्यापारियों ने बम्बई, मद्रास और कोलकत्ता से व्यापार किया। अँग्रेजों ने मद्रास के सेंट फोर्ट जार्ज किले में अपना कारखाना स्थापित किया। इसी तरह डचों, फ्रांसीसियों और अँग्रेजों ने अपने व्यापारिक कारखाने स्थापित किए।

गुरु जी ने कहा– भारत के मानचित्र में दिए गए स्थानों को देखकर बताओ कि यूरोपियों ने इन स्थानों में व्यापारिक कारखाने क्यों बनायें होंगे ?

गुरु जी ने फिर समझाना शुरू किया– बच्चो! सत्रहवीं शताब्दी के अंत तक अँग्रेज व्यापारियों ने पुर्तगाल और हालैंड के व्यापारियों को व्यापारिक व राजनैतिक प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया। अब उनकी प्रतिस्पर्धा फ्रांसीसियों के साथ थी अतः दोनों के बीच संघर्ष होना स्वाभाविक था।

इस काल में ब्रिटिश कारखाने कोठी कहलाते थे।

कोठी– ऐसा किलेबंद क्षेत्र जिसमें कंपनी का गोदाम, दफ्तर तथा कंपनी के कर्मचारियों के रहने के लिए घर होते थे। यहीं पर सैनिक टुकड़ियाँ भी रखी जाती थी।

दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर स्थित मद्रास अँग्रेजों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। उसके समीप ही पांडिचेरी फ्रांसीसियों का केंद्र था। यह क्षेत्र उस समय कर्नाटक राज्य के नवाब के अधीन था अतः दोनों देशों का उद्देश्य वहाँ के नवाब से अपने–अपने व्यापारिक लाभ के लिए ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना था। इसी समय कर्नाटक राज्य में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष शुरू हो गया। इससे फ्रांसीसी एवं अँग्रेजों को कर्नाटक की राजनीति में शामिल होने का अवसर मिल गया। ऐसे समय में फ्रांसीसियों ने एक पक्ष का और अँग्रेजों ने दूसरे का पक्ष लिया।

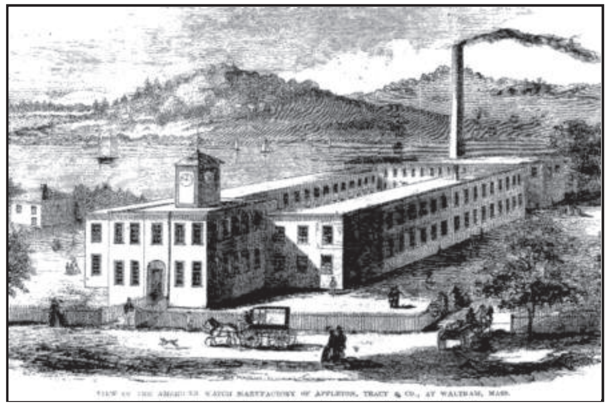

ब्रिटिश कारखाने का चित्र

व्यापारिक सुविधा एवं युद्ध– इस समय बंगाल भी एक सम्पन्न और स्वतंत्र राज्य था जिसमें उस समय बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे। यहाँ से बड़े पैमाने पर विदेशी व्यापार होता था। ढाका, पटना और मुर्शिदाबाद यहाँ के प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। इस काल में यहाँ कृषि–व्यापार और उद्योगों का विकास हुआ और राजस्व आय में वृद्धि हुई। 1756 में बंगाल के नवाब अली वर्दी खाँ की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला नवाब बना। अँग्रेज और फ्रांसीसी दोनों उन्हें मिली व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग कर किलेबंदी करने लगे। सिराजुद्दौला ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो अँग्रेज नहीं माने, उल्टे उन्होंने नवाब के सेनापति मीर जाफर को अपनी ओर मिला लिया और कूटनीति से वे 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध जीत गए।

चुंगीकर– एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापारिक माल लाने, ले जाने पर वहाँ के राजा को जो कर देना पड़ता था, उसे चुंगी कर कहते थे।

नवाब मीर जाफर

मोनू ने पूछा– प्लासी के युद्ध से अँग्रेजों को क्या लाभ हुआ?

गुरु जी– प्लासी के युद्ध से अँग्रेजों को बहुत आर्थिक लाभ हुआ। अँग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाकर उससे अपार धन वसूल किया और व्यापारिक सुविधाएँ प्राप्त कीं लेकिन नवाब मीर जाफर अँग्रेजों के बढ़ते हस्तक्षेप और आर्थिक माँगों के बोझ को ज्यादा दिनों तक नहीं उठा सका। अंततः अँग्रेजों ने विश्वासघात से उसे भी सत्ता से बाहर कर दिया। अँग्रेजों ने उसके बदले मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाकर उससे चटगाँव, वर्द्धमान और मिदनापुर जिलों में राजस्व वसूल करने के अधिकार स्थायी रूप से प्राप्त कर लिए; साथ ही बहुत–सा पैसा भी उन्हें प्राप्त हुआ। मीर कासिम भी ज्यादा दिनों तक इन आर्थिक पाबंदियों को नहीं उठा सका। नवाब मीरकासिम

आपस में चर्चा कीजिए और बताइए कि बंगाल में व्यापार से सभी कर हटा देने से अँग्रेजों को क्या नुकसान हुआ होगा?

ने परेशान होकर बंगाल में व्यापार पर से सभी कर हटा दिए और कंपनी के कर्मचारियों को चुंगी कर देने के लिए विवश कर दिया। इससे अँग्रेजों को मिलनेवाली सुविधाएँ बंद हो गई। अब नवाब और अँग्रेजों के बीच तनाव बढ़ गया।

नवाब सिराजुद्दौला

बंगाल में अँग्रेजों की गतिविधियों को रोकने के लिए नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाहआलम द्वितीय इन तीनों की संयुक्त सेना और अँग्रेजों के बीच 1764 में बिहार के बक्सर नामक स्थान पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी अँग्रेज विजयी हुए। युद्ध का अंत इलाहाबाद की संधि से हुआ। इस तरह प्लासी युद्ध के अधूरे कार्य को बक्सर युद्ध ने पूर्ण कर दिया।

डॉली ने पूछा – गुरु जी! वह कैसे ?

गुरु जी – 1. अँग्रेजों ने शुजाउद्दौला को पुनः अवध का नवाब बना दिया और उसके बदले अवध में मुफ्त व्यापार करने की छूट प्राप्त की।

2. यह तय हुआ कि जरूरत पड़ने पर अवध की सेना अँग्रेजों की सहायता करेगी, लेकिन उसका खर्च नवाब ही उठाएगा।

3. अँग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी (कर वसूलने का अधिकार) प्राप्त हो गया। इस प्रकार अँग्रेजों का बंगाल में एकाधिकार तो हो गया लेकिन उन्होंने शासन की बागडोर नहीं सँभाली। वहाँ अप्रत्यक्ष रूप से अँग्रेजों का शासन था। इसे ही बंगाल में द्वैध शासन या दोहरा शासन कहा जाता है।

हर्ष ने कहा – गुरु जी! द्वैध शासन किसे कहते हैं ?

गुरु जी – इलाहाबाद की संधि से अँग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व वसूलने का अधिकार मिला। उन्हें मुफ्त में सैनिक रखने और उनकी सुरक्षा का अधिकार भी मिल गया। लेकिन उसके ठीक विपरीत प्रशासन और व्यवस्था का उत्तरदायित्व मुगल सम्राट का था। इस प्रकार अँग्रेजों को आर्थिक, सैनिक और सुरक्षा का लाभ मिला और सभी जिम्मेदारियाँ मुगल और नवाबों की थी। इस प्रकार मुगल सम्राट अँग्रेजों के आश्रित हो गए।

आपस में चर्चा कीजिए और बताइए कि बक्सर के युद्ध से बंगाल में एकाधिकार होने के बाद अँग्रेजों ने वहाँ तुरंत शासन स्थापित क्यों नही किया?

गुंजन ने पूछा – गुरु जी! द्वैध शासन का बंगाल पर क्या प्रभाव पड़ा ?

गुरु जी – इसके पहले यहाँ किसानों से राजस्व (लगान) की वसूली फसलों की उपज के

आधार पर की जाती थी। अब अँग्रेज भूमि के नाप के आधार पर लगान वसूलने लगे। कम खर्च में लगान वसूलने एवं कंपनी के लिए सालाना एक निश्चित आय प्राप्त करने के उददेश्य से उन्होंने लगान को ठेके पर देना शुरू किया। अब जनता से ठेकेदार मनमाना लगान वसूलते थे और उसमें से एक निश्चित मात्रा अँग्रेजों को देते थे। इस प्रकार ठेकेदार और कंपनी के कर्मचारियों ने बंगाल के किसानों का बहुत शोषण किया। 1770 में बंगाल में अकाल पड़ गया; ठेकेदार किसानों से लगान वसूलते रहे। संसद ने 19 जून 1773 में रेग्युलेटिंग एक्ट पास किया और वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। अब बंगाल में अँग्रेजों का सीधा शासन स्थापित हो गया और उन्होंने कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाया।

केजू ने पूछा – गुरु जी! गवर्नर जनरल बनने के बाद वारेन हैस्टिंग्स ने कौन–कौन से कार्य किए।

हैदर अली

गुरु जी – अब हैस्टिंग्स ने अन्य भारतीय शासकों से भी लड़ाइयाँ शुरू कर दीं। उसने अवध, मैसूर, मराठों आदि देशी राज्यों के साथ समयानुसार दोस्ती, युद्ध एवं संधि की नीति अपनाई। अवध से मित्रता कर बंगाल में शासन को सुरक्षित और सुदृढ़ किया। वहीं मैसूर शासक हैदरअली से युद्ध कर संधि किया। प्रथम अँग्रेज मैसूर युद्ध (1767–69) मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। संधि की प्रमुख शर्तों में बाह्य आक्रमण पर एक दूसरे को सहयोग देना प्रमुख था, किन्तु जब पेशवा ने मैसूर पर आक्रमण किया तो अँग्रेजों ने हैदरअली का साथ नहीं दिया, जिससे हैदरअली हार गया। परिणाम स्वरूप 1780 में अँग्रेजों और हैदरअली की सेना के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जो अंततः 1784 में मैंगलोर की सधि से समाप्त हुआ। युद्ध का परिणाम बराबरी पर रहा लेकिन अँग्रेजों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। हैदरअली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान 32 वर्ष की उम्र में मैसूर का शासक बन गया। वह विद्वान और बहादुर सैनिक था। उसे कई भाषाओं का ज्ञान था। उसकी फ्रांस और तुर्की देशों से अच्छी मित्रता थी जिससे अँग्रेज शंका करने लगे। जब टीपू ने त्रावणकोर पर आक्रमण किया तो अँग्रेज उसके विरुद्ध युद्ध में शामिल हुए। निजाम तथा मराठों ने भी अँग्रेजों का साथ दिया जिसके कारण टीपू हार गया और उसे सन् 1792 में अँग्रेजों से श्री रंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। इस संधि से अँग्रेजों को टीपू का आधा राज्य और तीन करोड़ रुपये युद्ध के हरजाने के रूप में मिले।

टीपू सुल्तान

1798 में जब लार्ड वेलेजली बंगाल का गर्वनर जनरल बनकर भारत आया तो उसने ब्रिटिश भारत के दूसरे चरण की शुरुआत की। इसके लिए उसने जो साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई वह भारतीय इतिहास में सहायक संधि के नाम से प्रसिद्ध है। इस संधि के दो उद्देश्य थे (1) कंपनी द्वारा विजित क्षेत्रों की रक्षा करना (2) कंपनी राज्य के चारों ओर विश्वसनीय देशी राज्यों की दीवार खड़ी करना।

क्या तुम बता सकते हो कि सहायक संधि करके अँग्रेजों को अपने उद्देश्य की पूर्ति में कैसे सफलता मिली होगी?

संधि की शर्तें–

1 सहायक संधि स्वीकार करनेवाले प्रत्येक राज्य को अपने पास अँग्रेज सेना रखनी पड़ती थी जिसका खर्च राज्य को उठाना पड़ता था।

2 अपनी सेना से अँग्रेजों के अतिरिक्त सभी यूरोपीय लोगों को हटाना आवश्यक था।

3 एक अँग्रेज रेजीडेंट (प्रतिनिधि) रखना आवश्यक था जिसकी सलाह से वे शासन कर सकते थे।

4 अन्य देशों से कूटनीतिक संधि करने के पहले अँग्रेजों से अनुमति लेना जरूरी था।

5 कंपनी को वार्षिक कर देना पड़ता था।

वेलेजली ने अपनी सहायक संधि का क्रियान्वयन सबसे पहले हैदराबाद के निजाम से, फिर अवध के नवाब से किया। जब उसने मैसूर को इसके लिए बाध्य करना चाहा तो टीपू ने संधि करने से इंकार कर दिया। अतः अँग्रेजों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। सन् 1799 में चतुर्थ अँग्रेज मैसूर युद्ध में बहादुरीपूर्वक लड़ते हुए टीपू वीरगति को प्राप्त हुए। अँग्रेजों ने मैसूर राज्य पूर्व नाडियार शासकों को ही वापस कर दिया, जिन्हें हटाकर हैदरअली मैसूर का शासक बना था। उससे सहायक संधि कर अप्रत्यक्ष रूप से आधिपत्य स्थापित कर लिए। इसी तरह कर्नाटक, तंजौर और सूरत आदि राज्यों को भी अंततः ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया।

बाघ के आकार में बनी टीपू सुल्तान की तोप

तुषार ने पूछा – गुरु जी! उसके बाद क्या अँग्रेजों ने पूरे भारत पर अधिकार कर लिया?

गुरु जी – नहीं, ब्रिटिश शासन के सामने अब मराठा शक्ति ही शेष बची थी। उनमें पारिवारिक संघर्ष चल रहा था। वेलेजली ने उसका फायदा उठाकर संधि का प्रस्ताव रखा। 1802 को बेसिन की संधि द्वारा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अँग्रेजों की शर्तें स्वीकार कर लीं। इधर अँग्रेजों का सिंधिया और भोंसले से भी युद्ध (1802–04) हुआ जिसमें अँग्रेज विजयी रहे। इसी प्रकार अँग्रेजों और होल्कर के बीच तृतीय अँग्रेज मराठा युद्ध (1804–05) हुआ जिसमें अँग्रेजों की हार हुई और उन्हें भारी नुकसान हुआ। इसी तरह अँग्रेजों ने सिंधिया और गायकवाड़ को भी संधि करने के लिए विवश कर दिया।

आर्या ने पूछा – गुरु जी! क्या सभी राज्यों ने उनसे इसी तरह संधि कर ली ?

गुरु जी – नहीं, ऐसी बात नहीं है इन अपमानजनक संधियों के कारण मराठों का स्वाभिमान पुनः जागने लगा। अब वे अंतिम और निर्णायक युद्ध लड़ने के लिए तत्पर हो गए। फलतः चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध (1817–1818) प्रारंभ हो गया। इस युद्ध में पेशवा, होल्कर और भोंसले की संयुक्त सेना को पराजय का सामना करना पड़ा और मराठा शक्ति का अंत हो गया।

इसके बाद क्रमशः फ्रांसिस रोडन हेस्टिंग्स और विलियम बैंटिंक बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर भारत आए। उन्होंने युद्ध के सुधारवादी और आर्थिक विकास की नीति के साथ शासन प्रारंभ किया।

अरबाब ने पूछा – गुरु जी! आर्थिक एवं सामाजिक विकास की नीति को समझाइए ?

गुरु जी – विलियम बैंटिंक की गणना सुधारक गवर्नर जनरल के रूप में की जाती है। वह युद्ध के बदले शान्ति का अनुयायी था। निरंतर युद्ध में रहने से कंपनी की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी थी जिसे सुधारने में सर्वप्रथम विलियम बैंटिंग ने विशेष ध्यान दिया। उसने सैनिकों की संख्या एवं प्रशासनिक व्यय में कमी की। उसने उच्च पद पर भारतीय अधिकारियों की नियुक्ति की। राजस्व वसूली करने के लिए उसने टोडरमल की बंदोबस्त व्यवस्था को अपनाया और 30 वर्षों के लिए लगान निश्चित करवाया। उसने सामाजिक सुधार में विशेष ध्यान दिया और प्रमुख सामाजिक कुरीतियों जैसे सती–प्रथा, बाल–विवाह, बाल–हत्या और नरबली प्रथा आदि पर रोक लगाने संबंधी कठोर कानून बनाए। उसने अँग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया। उसने कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। उसने सन् 1831 में एक कानून पास करवाया जिससे भारतीयों की उच्च पदों पर नियुक्ति की जा सके। उसने राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थापना की। सन् 1818 तक मराठों का पतन होने के साथ ही अँग्रेजों का अधिकार पंजाब और सिंध प्रांतों को छोड़कर लगभग सम्पूर्ण भारत पर हो गया था। अब तक भारत में कंपनी के सभी विरोधी समाप्त हो चुके थे। इसलिए कंपनी को प्रशासनिक सुधारों की ओर ध्यान देने का अवसर मिला। इन दिनों यूरोप में इंग्लैंड और रूस के बीच तनाव चल रहा था। अँग्रेजों को डर था कि रूस अफगानिस्तान के माध्यम से भारत पर आक्रमण कर सकता है। भारत का सिंध प्रांत अफगानिस्तान से लगा हुआ था। वहाँ के अमीर को सहायक संधि के लिए बाध्य किया गया और अंततः सिंध को अधिकार में कर लिया गया। इसी तरह पंजाब राज्य भी रणजीत सिंह के नेतृत्व में काफी शक्तिशाली था। उनकी मृत्यु के बाद अँग्रेजों ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया और 1849 में पंजाब पर भी अधिकार कर लिया।

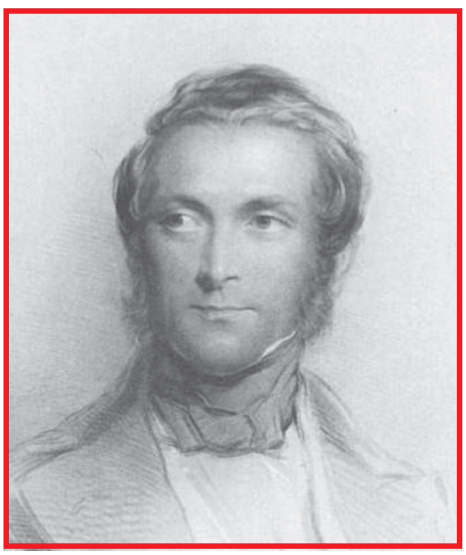
डलहौजी

उसी समय लार्ड डलहौजी भारत का गर्वनर जनरल बना। उसने अन्यायपूर्ण तरीके से देशी राज्यों को परेशान किया। उसने तीन अव्यावहारिक नीतियाँ बनाकर उनका पालन करने के लिए देशी राज्यों को बाध्य किया, जिसे भारतीय इतिहास में डलहौजी की हड़प नीति के नाम से जाना जाता है।

आइए जाने क्या थी डलहौजी की हड़प नीति –

1. निःसंतान राजाओं के दत्तक (गोद लिए) पुत्रों के अधिकार को न मानते हुए उनके राज्यों को अँग्रेजी राज्य में मिलाना।
2. कुशासन के आधार पर देशी राजाओं को हटाकर उनके राज्य पर अधिकार कर लेना।
3. युद्ध द्वारा देशी राज्यों को अधिकार में करना।

डलहौजी ने अपनी पहली नीति के अनुसार सतारा, जैतपुर, झाँसी, नागपुर, उदयपुर आदि राज्यों को अँग्रेजी सामाज्य में मिला लिया। इसी तरह उसने अपनी दूसरी नीति के अनुसार अवध को अपने अधिकार में कर लिया। उसने युद्ध के द्वारा पंजाब को भी अँग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया।

लार्ड डलहौजी के शासन काल में कुछ प्रशासनिक सुधार के कार्य भी हुए जिसमें डाक–तार की स्थापना, कमिश्नरी प्रणाली लागू करना, परिवहन एवं संचार के क्षेत्र में सुधार और

सन् 1853 में मुम्बई और थाना के बीच पुल से गुजरती हुई पहली रेलगाड़ी

शिक्षा आयोग का गठन प्रमुख हैं। भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में मुम्बई थाणे के बीच चली थी। यद्यपि इन सुधारों के पीछे अँग्रेजों का अपना स्वार्थ था। इससे उन्हें अपने विजित राज्यों में प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने में मदद मिली। इसके अतिरिक्त कच्चा माल इकटठा करने एवं तैयार माल भेजने में सुविधा होने लगी लेकिन इसके परिणाम स्वरूप भारत का भी विकास हुआ।

बताओं परिवहन एवं संचार सुविधाएँ बढ़ानें से अँग्रेजों को और क्या लाभ हुआ होगा ?

लार्ड डलहौजी की हड़पनीति के परिणाम स्वरूप भारत के देशी राज्यों में असंतोष व्याप्त हो गया था, जो सन् 1857 के आंदोलन के कारणों में से एक प्रमुख कारण था। इसके बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे।

PDHRU9

अभ्यास प्रश्न

1. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए –

1. यूरोप से भारत पहुँचनें के समुद्री मार्ग की खोज ....ने की थी ।
2. यूरोपीय व्यापार से भारत को.................................एवं............................ प्राप्त होता था ।
3. अंग्रेजों ने मद्रास के .... किले में अपना कारखाना स्थापित किया।

4. .... ने पांडिचेरी नगर की स्थापना की ।
5. अँग्रेजों ने प्रारंभ में .... को अपनी राजधानी बनाया।

2. उचित संबंध जोड़िए –

1. पेरिस की संधि – बक्सर का युद्ध
2. इलाहाबाद की संधि – कर्नाटक युद्ध
3. बेसिन की संधि – मैसूर युद्ध
4. श्रीरंगपट्टनम की संधि – अंग्रेज मराठा युद्ध

3. सही क्रम दीजिए –

अँग्रेज गर्वनरों का भारत आगमन जिस क्रम में हुआ, उसी क्रम में इन नामों को व्यवस्थित करें –

1. वेलेजली
2. कार्नवालिस
3. लार्ड हेस्टिंग्स
4. विलियम बैंटिंक
5. डलहौजी

4. प्रश्नों के उत्तर दीजिए –

1. भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था ?
2. हैदरअली कहाँ का शासक था ?
3. अँग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कौन सा युद्ध हुआ था ?
4. बक्सर युद्ध के बाद अँग्रेजों के इलाके से भू–राजस्व वसूलने का अधिकार किसे प्राप्त हुआ था ?
5. प्लासी युद्ध से अँग्रेजों को क्या लाभ हुआ ?
6. द्वैध शासन को समझाइए।
7. वेलेजली की सहायक संधि की शर्तों को बताइए ?
8. डलहौजी की हड़प नीति पर प्रकाश डालिए ?
9. बैंटिंक के प्रशासनिक सुधारों को लिखिए ?
10. अगर प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला जीत जाता तो क्या होता?
11. यदि यूरोपीय देशों के उपनिवेश नहीं होते तो उन देशों की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता?

क्रियाकलाप – ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा किए गए विभिन्न प्रशासनिक सुधारों को उनकी तिथियों के अनुसार क्रम से लिखिए।

अध्याय 3

अँग्रेजी शासन का भारतीय जनजीवन पर प्रभाव

PE6HVH

आपने पिछले पाठ में अँग्रेजों की शासन की स्थापना के बारे में पढ़ा। अब इस पाठ में उनके शासन का भारतीय जनजीवन पर पड़नेवाले प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। सन् 1600 ई. से 1757 ई. तक ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य व्यापार करना था। वे भारत से कपड़ा, मसाले आदि खरीदने के लिये अपने देश से सोना, चाँदी आदि लेकर आते थे। वे भारतीय सामान को विदेशों में बेचकर काफी मुनाफा कमाते थे मगर अपने देश का सामान भारतीय बाजारों में नहीं बेच पाते थे। इस एकतरफा व्यापार के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की काफी आलोचना होने लगी। कंपनी पर दबाव डाला गया कि वे व्यापार के लिए धन की व्यवस्था भारत से ही करें। प्लासी और बक्सर के युद्धों के बाद बंगाल पर उनका अधिकार हो गया। बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी (भूमिकर) वसूल करने का अधिकार भी उन्हें प्राप्त हो गया। इससे उन्हें अपने व्यापार के लिए जरूरी धन भारत से ही मिलने लगा। उन्हें अपने प्रशासनिक खर्चों तथा साम्राज्य विस्तार के लिए जरूरी धन की भी चिंता नहीं रही। उस समय भूमिकर किसी भी शासक के लिए आमदनी का प्रमुख स्रोत था; इसलिए अँग्रेजों ने भी मुख्यतः भूमिकर पर ही अपना नियंत्रण बनाना प्रारंभ किया।

आज सरकार की आय के मुख्य स्रोत क्या–क्या हैं? पता लगाइए।

अँग्रेजों की कृषि नीति–

अँग्रेजों ने शुरुआत में स्थानीय तौर पर प्रचलित कर व्यवस्था को ही चलाए रखा; बाद में उन्होंने कर निर्धारण और संग्रहण की अलग–अलग व्यवस्थाएँ बनाई। ये भारत के अलग–अलग प्रदेशों की सामाजिक व्यवस्था व शासन की जरुरतों के अनुसार तैयार की गईं थीं। ये जमीदारी, रैयतवाड़ी व महलवाड़ी बंदोबस्त प्रथाएँ थीं।

पहले दौर में अँग्रेजों द्वारा लगान वसूली के लिए ठेकेदारी करने के अधिकार को नीलाम किया जाता था जो सबसे अधिक पैसा जमा करने का वादा करता, उसे यह अधिकार दिया जाता था। ठेकेदार का यह प्रयास होता था कि वह जल्दी–से–जल्दी किसानों से ज्यादा–से–ज्यादा लगान वसूल करे। ठेकेदारों को केवल अपने लगान की वसूली से मतलब रहता था। वे किसानों के हित अहित का ध्यान नहीं रखते थे। इसलिये अब अँग्रेजों ने एक–दो वर्ष की ठेकेदारी के स्थान पर पाँच साला बंदोबस्त शुरू किया। उन्हें लगा कि लम्बे समय तक ठेका देने से किसानों के शोषण में कुछ कमी होगी। अब वे नए ठेकेदारों की तुलना में पुराने जमींदारों को लगान देने लगे। इस तरह लगान वसूली की नीति में बार–बार परिवर्तन होते रहे।

स्थाई बंदोबस्त –

अंग्रेज सरकार ने सन् 1789 में बंगाल प्रांत से राजस्व वसूल करने के लिए जमींदारों के साथ समझौता किया जो स्थायी बंदोबस्त कहलाया। कार्नवालिस ने फैसला किया कि भू–राजस्व की वसूली जमीदारों के हाथ हो। जमींदार भू–राजस्व न दे सके तो उसकी जमींदारी जब्त करके

उसकी जगह नए जमींदार को बिठा दिया जाएगा। बार–बार भू–राजस्व निर्धारण से बचने के लिए कार्नवालिस ने 1789–90 में देय भू–राजस्व के आधार पर जमींदारों को दस साल के लिए जमीन का मालिक मान लिया। अब वे जमीन की खरीदी–बिक्री कर सकते थे एवं लगान न पटाने पर किसानों को जमीन से बेदखल भी कर सकते थे। कंपनी शासन के लिए भू–राजस्व आमदनी का प्रमुख स्रोत थी। इस व्यवस्था से कंपनी को आर्थिक स्थायित्व प्राप्त हो गया। इस कानून की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि लगान को कृषि के विकास और उत्पादन में वृद्धिं बढ़ाने या घटाने से जोड़कर नहीं देखा गया था; इसलिए जमींदार तो निश्चित लगान वसूलते रहे पर किसानों या सरकार को इससे अधिक फायदा नहीं हुआ।

रैयतवाड़ी व्यवस्था –

इस व्यवस्था का मूल आधार लगान का किसान (रैयत) के साथ सीधे करार करना था। यह तय किया गया कि कृषि उत्पादन में हुए खर्च को निकालकर जो बचेगा उसका पचास प्रतिशत भू–राजस्व होगा। शुरू के दिनों में फसल और उसके मूल्य के घटने–बढ़ने से राजस्व का कोई तालमेल नहीं था। बम्बई और मद्रास प्रेसीडेंसी प्रांत में 30 वर्षों के लिए यह बंदोबस्त लागू किया गया। किसानों के साथ सीधे करार के बाबजूद इस व्यवस्था से किसानों का शोषण होता रहा।

महलवाड़ी व्यवस्था –

सन् 1833–43 ई. बीच अँग्रेज शासकों ने पश्चिमी उत्तरप्रदेश में एक नई लगान व्यवस्था लागू की जिसमें पूरे गाँव (जिसे महल कहते थे) से लगान का बंदोबस्त किया जाता था, अर्थात् गाँव के सभी कृषक परिवारों पर लगान जमा करने की संयुक्त जिम्मेदारी थी। इसमें रैयत बंदोबस्त की तरह कृषि खर्च और किसानों के भरण–पोषण का खर्च निकालकर जो बचता था उसका लगभग आधा हिस्सा लगान के रूप में वसूल किया जाता था। इस व्यवस्था को पंजाब, मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में भी लागू किया गया था।

छत्तीसगढ़ में लगान व्यवस्था –

अँग्रेज अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ की लगान (भू–राजस्व) व्यवस्था में अनेक परिवर्तन किए। उन्होंने छत्तीसगढ़ को अनेक तहसील में बाँट दिया और तहसीलदारों की नियुक्तियाँ कीं। प्रत्येक परगने में लगान वसूल करने के लिए अमीर और पण्ड्या, राजस्व अधिकारी की नियुक्ति की। अँग्रेज अधिकारियों ने मराठा प्रशासन के समय प्रचलित पटेल के पद को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर गौंटिया का पद सृजन किया। उस समय गाँव के गौंटिया वर्ष में तीन किश्तों में लगान वसूल किया करते थे। लगान का निर्धारण जमीन के क्षेत्र के आधार पर किया जाता था। गौंटिया अपने गाँव से लगान वसूलकर सरकारी खजाने में जमा करते थे।

अँग्रेजों द्वारा लागू की गई इन लगान व्यवस्थाओं से किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ; क्योंकि अँग्रेजों द्वारा लागू प्रत्येक लगान की दर बहुत ऊँची तथा अनिवार्य थी, जिन्हें कृषि की आय से चुका पाना मुश्किल होता था। इसलिए किसानों को जमींदारों एवं साहूकारों से कर्ज भी लेना पड़ता था। नियत समय पर कर्ज न पटा सकने पर उनकी जमीन साहूकारों द्वारा हड़प ली जाती थी।

परिणामस्वरूप किसानों की हालत बहुत खराब हो गई एवं शासन के प्रति असंतोष की भावना पनपने लगी। इस प्रकार कुछ स्थानों पर किसानों ने कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह भी किया।

छत्तीसगढ़ में भू–राजस्व किस प्रकार एकत्र किया जाता है?

दस्तकारी एवं शिल्प पर प्रभाव – कंपनी की प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी थी कि भारतीय हस्तकला एवं शिल्पकारी धीरे–धीरे नष्ट होने लगी। भारतीय दस्तकारों एवं शिल्पियों को अपनी वस्तुएँ कम दामों पर बेचने के लिए विवश किया गया उन पर भारी कर भी लगाया गया।

इंग्लैंड से आनेवाली वस्तुओं को तटकर एवं चुंगीकर से मुक्त रखा गया था। इससे वे सस्ती हो गई। परिणामस्वरूप भारतीय दस्तकारी एवं शिल्प विदेशी वस्तुओं के सामने नहीं टिक सकीं। भारतीय कारीगर अपना व्यवसाय छोड़ने लगे और उनकी बस्तियाँ उजड़ गईं। ढाका शहर का वस्त्र उद्योग, जिसके कारण वह भारत का मैनचेस्टर कहलाता था, नष्ट हो गया। मुर्शिदाबाद एवं सूरत के उद्योग भी नष्ट हो गए। कारीगर बेरोजगार हो गए और कृषि पर निर्भर हो गए। फलतः कंपनी शासन के प्रति उनमें असंतोष पनपने लगा।

वनों में रहनेवाले लोगों पर प्रभाव– अँग्रेजी शासन के दौरान भारत में वनोपजों पर आधारित नई–नई मिलों व कारखानों की स्थापना हुई। भारत के जंगलों में पाए जानेवाले मजबूत लकड़ियों का उपयोग रेलों की पटरियाँ बिछाए जाने के लिए किया जाता था। साथ ही इंग्लैण्ड की मिलों के लिए भी लकड़ियाँ भेजी जाती थीं। इससे वनों की कटाई में तेजी आ गई। जंगलों में रहनेवाले जनजाति जो झूम–खेती करते थे, उन्हें पेड़ काटने आदि पर रोक लगा दी। इससे उनकी जीवन–शैली प्रभावित हुई। वे अँग्रेजी शासन के विरोध में उठ खड़े हुए। अँग्रेजों की नीति के विरोध में भारत के विभिन्न जनजाति क्षेत्रों में कई आन्दोलन हुए इनमें बिरसा मुंडा की अगुवाई में मुंडा जनजाति द्वारा किया गया विरोध प्रमुख स्थान रखता है। वे बदलते समय और अँग्रेजी नीति तथा दीकु (बाहरी लोग) के हस्ताक्षेप से परेशान थे। वे इन परेशानियों को दूर करना चाहते थे। बिहार के छोटानागपुर के पठार के जंगलों में रहने वाला एक जनजाति व्यक्ति जिनका नाम बिरसामुंडा जिनका जन्म 1870 दशक के मध्य हुआ था। बिरसा बचपन से ही भेड़ बकरियाँ चराते, बाँसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते जीवन बिताते थे।

बिरसा मुंडा का आन्दोलन – बिरसा का आन्दोलन जनजाति समाज को सुधारने का आन्दोलन था। उन्होंने मुण्डाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें गाँवों को साफ सुथरा रखें और डायन व जादूटोने में विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिन्दू जमीदारों का भी लगातार विरोध किया वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुण्डा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे।

अँग्रेजों को बिरसा आन्दोलन के राजनैतिक उद्देश्यों में बहुत अधिक परेशानी थीं। यह आन्दोलन मिशनरियों, महाजनों, हिन्दू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुण्डाराज स्थापित करना चाहता था। यह आन्दोलन इन्हीं ताकतों को मुण्डाओं की समस्याओं व कष्टों का प्रमुख कारण मानता था। अंग्रेजों की कूटनीतियाँ उनकी परम्परागत भूमि

व्यवस्था को नष्ट कर रही थी,हिन्दू भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन को छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परम्परागत संकृति की आलोचना करते थे ।

जब आन्दोलन फैलने लगा तो अँग्रेजों ने कठिन कार्यवाही का फैसला लिया । उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे–फसाद के आरोप में दो साल की सजा सुनाई। सन्1897 में जेल से छूटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाने गाँव–गाँव घूमने लगे । उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परम्परागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। सन् 1900 में बिरसा की मृत्यु हो गई और आन्दोलन धीमा पड़ गया । यह आन्दोलन दो मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला – इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे नियम लागू करने के लिए मजबूर कर दिया जिनके जरिये दीकु लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सकें । दूसरा इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरूद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में जनजाति सक्षम हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिये इस काम को अंजाम दिया ।

छत्तीसगढ़ के प्रमुख आदिवासी विद्रोह –

इसी समय जब पूरे भारत में जनजाति आन्दोलन आग की तरह फैली तब हमारा छत्तीसगढ़ भी उससे अछूता नहीं रहा। छत्तीसगढ़ राज्य में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक अनेक जनजाति विद्रोह हुए। ज्यादातर जनजाति विद्रोह बस्तर क्षेत्र में हुए जहाँ के जनजाति अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए विशेष सतर्क थे। इन विद्रोहों में एक सामान्य विशेषता यह थी कि–

- ये सभी विद्रोह जनजातियों को अपने निवास क्षेत्र, भूमि व वन में हासिल परम्परागत अधिकारों को छीने जाने के विरोध में हुआ था।
- ये विद्रोह जनजाति अस्मिता और संस्कृति के संरक्षण के लिए भी हुए।
- विद्रोहियों ने नई शासन व्यवस्था और ब्रिटिश राज द्वारा थोपे गए नियमों व कानूनों का विरोध किया।
- जनजाति मुख्यतः बाह्य जगत व शासन के प्रवेश से अपनी जीवन शैली, संस्कृति एवं निर्वाह व्यवस्था में उत्पन्न हो रहे खलल को दूर करना चाहते थे।
- उल्लेखनीय बात यह थी कि मूलतः जनजातियों के द्वारा आरंभिक विद्रोहों में छत्तीसगढ़ के गैरआदिवासी भी भागीदार बने।

प्रमुख विद्रोह

हल्बा विद्रोह (1774–79) – इस विद्रोह का प्रारंभ 1774 में अजमेर सिंह द्वारा हुआ जो डोंगर में बस्तर के राजा से मुक्त एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे। उन्हें हल्बा जनजातियों व सैनिकों का समर्थन प्राप्त था। इसका अत्यंत क्रूरता से दमन किया गया, नर संहार बहुत व्यापक था, केवल एक हल्बा विद्रोही अपनी जान बचा सका।

इस विद्रोह के फलस्वरूप बस्तर मराठों को उस क्षेत्र में प्रवेश का अवसर मिला जिसका स्थान बाद में ब्रिटिशों ने ले लिया।

परालकोट विद्रोह (1825) – परालकोट विद्रोह मराठा और ब्रिटिश सेनाओं के प्रवेश के विरोध में हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व गेंदसिंह ने किया था उसे अबूझमाड़ियों का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। विद्रोहियों ने मराठा शासकों द्वारा लगाए गए कर को देने से इंकार कर दिया और बस्तर पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की।

तारापुर विद्रोह (1842–54) – बाहरी लोगों के प्रवेश से स्थानीय संस्कृति को बचाने के लिए अपने पारंपरिक सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक संस्थाओं को कायम रखने के लिए एवं आंग्ल–मराठा शासकों द्वारा लगाए गए करों का विरोध करने के लिए स्थानीय दीवानों द्वारा यह विद्रोह प्रारंभ किया गया।

माड़िया विद्रोह (1842–63) – इस विद्रोह का मुख्य कारण सरकारी नीतियों द्वारा जनजाति आस्थाओं को चोट पहुँचाना था। नरबलि प्रथा के समर्थन में माड़िया जनजाति का यह विद्रोह लगभग 20 वर्षों तक चला।

1857 का विद्रोह – 1857 के विद्रोह के दौरान दक्षिणी बस्तर में ध्रुवराव ने ब्रिटिश सेना का जमकर मुकाबला किया। ध्रुवराव माड़िया जनजाति के डोरला उपजाति का था, उसे अन्य जनजातियों का पूर्ण समर्थन हासिल था।

कोई विद्रोह (1859) – यह जनजाति विद्रोह कोई जनजातियों द्वारा 1859 में साल वृक्षों के कटाई के विरूद्ध में किया गया था। उस समय बस्तर के शासक भैरमदेव थे। बस्तर के जमींदारों ने सामूहिक निर्णय लिया कि साल वृक्षों की कटाई नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन ब्रिटिश शासन ने इस निर्णय के विरोध में कटाई करने वालो के साथ बंदूकधारी सिपाही भेज दिए। जनजाति इससे आक्रोशित हो गए और उन्होंने कटाई करने वालों पर हमला कर दिया। इस विद्रोह में नारा दिया गया ''एक साल वृक्ष के पिछे एक व्यक्ति का सिर''। परिणामतः ब्रिटिश शासन में ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर साल वृक्षों की कटाई बंद कर दी।

मुड़िया विद्रोह (1876) – 1867 में गोपीनाथ कापरदास बस्तर राज्य के दीवान नियुक्त हुए और उन्होंने जनजातियों का बड़े पैमाने पर शोषण आरंभ किया। उनका विरोध करने के लिए विभिन्न परगनों के जनजाति एकजुट हो गए और राजा के दीवान की बर्खास्तगी की अपील की। किन्तु यह मांग पूरी न होने के कारण उन्होंने 1876 में जगदलपुर का घेराव कर लिया। राजा को किसी तरह अंग्रेज सेना ने संकट से बचाया। ओडिशा में तैनात ब्रिटिश सेना ने इस विद्रोह को दबाने में राजा की सहायता की।

भूमकाल विद्रोह (1910) – 1910 में हुआ भूमकाल विद्रोह बस्तर का सबसे महत्वपूर्ण व व्यापक विद्रोह था। इसने बस्तर के 84 में से 46 परगने को अपने चपेट में ले लिया। इस विद्रोह के प्रमुख कारण थे –

जनजाति वनों पर अपने पारम्परिक अधिकारों व भूमि एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के मुक्त

उपयोग तथा अधिकार के लिए संघर्षरत् थे। 1908 में जब यहाँ आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया गया और वनोपज के दोहन पर नियंत्रण लागू किया गया तो जनजातियों ने इसका विरोध किया। अंग्रेजों ने एक ओर तो ठेकेदारों को लकड़ी काटने की अनुमति दी और दूसरी ओर जनजातियों द्वारा बनायी जाने वाली शराब के उत्पादन को अवैध घोषित किया।

विद्रोहियों ने नवीन शिक्षा पद्धति व स्कूलों को सांस्कृतिक आक्रमण के रूप में देखा। अपनी संस्कृति की रक्षा करना ही उनका उद्देश्य था।

पुलिस के अत्याचार ने भूमकाल विद्रोह को संगठित करने में एक और भूमिका निभायी। उक्त सभी विद्रोहों को आंग्ल–मराठा सैनिक दमन करने में सफल रहे व विद्रोहियों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफलता नहीं मिल सकी। पर राजनैतिक चेतना जगाने में ये सफल रहे।

सरकार को भी अपनी नीति निर्माण में इनकी मांगों को ध्यान में रखना पड़ा। 1857 के महान् विद्रोह के उपरांत भारतीय सामाजिक–सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप न करने की अंग्रेज नीति ऐसे ही विद्रोहों का परिणाम थी। कालांतर में इन विद्रोहों के आर्थिक कारकों ने नवीन भारत की नीति निर्माण में भी मार्गदर्शन किया।

(साभारः छत्तीसगढ़ संदर्भ 2014 पृ. 162–163)

अँग्रेजों ने भारतीय संसाधनों का भरपूर दोहन किया। उनका उद्देश्य इन कारखानों में उत्पादन कर भारत के बाजार में माल बेचना था ताकि उन्हें अधिकाधिक लाभ मिल सके। उन दिनों ढाका, कृष्णनगर, बनारस, लखनऊ, आगरा, मुल्तान, लाहौर, सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद आदि वस्त्र उद्योग के प्रमुख केन्द्र थे। गोवा, सूरत, मछलीपट्टनम चटगाँव, ढाका जहाज निर्माण के प्रमुख केंद्र थे। अँग्रेजों को भारत एवं इंग्लैंड में अपने उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी। इसे ध्यान में रखकर उन्होंने भारत के विभिन्न बंदरगाहों को जोड़नेवाली सड़कों का निर्माण एवं सुधार कार्य किया गया। भारत में रेलवे की शुरुआत एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। संचार एवं परिवहन के साधनों के विकास से देश के लोग एक दूसरे के संपर्क में आए एवं उन्होंने एक दूसरे की भावनाओं को समझा। इससे राष्ट्रीयता की भावना बढ़ी। इन्हीं दिनों सन् 1853 ई. में भारत में टेलीग्राम सुविधा प्रारंभ हुई एवं डाक व्यवस्था में सुधार कार्य हुए।

वर्तमान समय में संचार के साधन राष्ट्रीय भावना के विकास में किस प्रकार सहायक हो सकते हैं ? पता लगाइए ।

शिक्षा पर प्रभाव :– कंपनी शासन के शुरू होने के समय भारत में प्राचीन शिक्षा–व्यवस्था प्रचलित थी जिसमें संस्कृत, अरबी, फारसी, व्याकरण, साहित्य, धर्मशास्त्र, कानून, तर्कशास्त्र, ज्योतिष आदि विषयों का अध्ययन किया जाता था। भारतीय शासकों ने पाठशालाओं, मदरसों को सरकारी जमीन दान पर दी थी। अँग्रेजों ने यह जमीन उनसे छीन ली। उन्होंने नई शिक्षण

संस्थाओं की स्थापना की। इनमें कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज, बनारस में संस्कृत कॉलेज आदि प्रमुख थे। इन शिक्षा संस्थाओं में भारतीय भाषाओं के अलावा इतिहास, कानून, उर्दू, पाश्चात्य ज्ञान–विज्ञान का अध्ययन होता था। ब्रिटिश शासकों ने भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1833 के चार्टर एक्ट के आधार पर 1835 में मैकाले की शिक्षा नीति लागू की गई। इसमें मुख्य रूप से अँग्रेजी पढ़ाना और उनकी मानसिकता को शासन के पक्ष में करना था। राजा राममोहन राय जैसे समाज सुधारक नई शिक्षा के समर्थक थे। उनका मानना था कि नई शिक्षा के फलस्वरूप भारतीय ज्ञान–विज्ञान, स्वतंत्रता, समानता, जनतंत्र तथा राष्ट्रीय आंदोलनों को मदद मिलेगी।

छत्तीसगढ़ में शिक्षा –

मैकाले की शिक्षा योजना के अंतर्गत 1864 में रायपुर में एक मिडिल स्कूल प्रारंभ किया गया जहाँ सह–शिक्षा की व्यवस्था थी। जो 20 वर्षों के बाद हाईस्कूल बना। आज हम इसे प्रो. जयनारायण पाण्डेय शा. बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला के नाम से जानते हैं। रायपुर में 1882 में राजकुमार कॉलेज प्रारंभ हुआ, जिसमें देशी राजाओं के राजकुमारों को शिक्षा दी जाती थी। इनकी परीक्षाएँ इंडियन कौंसिल ऑफ एजुकेशन दिल्ली से संचालित होती थीं। विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए रायपुर में ही 1938 में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना हुई।

प्रो.जे.एन.पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.शाला, रायपुर

राजकुमार कॉलेज, रायपुर

प्रेस का विकास – भारत में अँग्रेजी, बांग्ला, हिन्दी समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे जिनका जनता पर व्यापक असर होने लगा। समाचार पत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से 1878 में भारत के तत्कालीन वायसराय लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया। इस समय के प्रसिद्ध समाचार पत्र द हिन्दू, द इंडियन मिरर, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, मराठा, स्वदेश मिलन, प्रभाकर और इन्दु प्रकाश थे। इससे जनता में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई।

छत्तीसगढ़ में प्रेस का विकास :–

पं. माधवराव सप्रे

पं. माधवराव सप्रे को छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। इन्होंने सन् 1900 में पत्रकारिता प्रारंभ की। छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र पेन्ड्रा से प्रकाशित होना शुरू हुआ। सन् 1889–90 ई. में राजनाँदगाँव रियासत अपना राजकीय समाचार पत्र प्रकाशित करता था, जिसका नाम 'प्रजा हितैषी' था। इसके अतिरिक्त 'छत्तीसगढ़ मित्र', 'हिंदी केसरी', 'छत्तीसगढ़ विकास', 'उत्थान', 'आलोक', 'महाकोशल', 'काँग्रेस पत्रिका', 'आजकल', 'छत्तीसगढ़ केसरी' आदि उस समय के प्रमुख समाचार पत्र थे। इन पत्र–पत्रिकाओं से जनता में पर्याप्त चेतना एवं जागरूकता आई।

अभ्यास प्रश्न

1. खाली स्थानों को भरिए –

1. किसी भी शासक के लिए .... आमदनी का प्रमुख स्रोत था।
2. स्थाई बंदोबस्त .... ने लागू किया था।
3. रैयतवाड़ी व्यवस्था .... की राजस्व नीति थी।
4. अँग्रेजों ने पंजाब व मध्यप्रांत में .... भू–राजस्व व्यवस्था लागू की।
5. छत्तीसगढ़ में गाँव की लगान वसूली हेतु .... पद सृजित किया गया था।

2. उचित संबंध जोड़िए –

1. भारत का मैंनचेस्टर	–	कलकत्ता
2. वस्त्र उद्योग	–	मछलीपट्टनम
3. जहाज निर्माण	–	सूरत
4. फोर्ट विलियम कॉलेज	–	ढाका

3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए–

1. 1793 में कार्नवालिस ने कौन–सी नई भूमि व्यवस्था लागू की ?
2. अँग्रेजी शासन के समय भारत में संचार एवं परिवहन के साधन में क्या क्या परिर्वतन आए ?
3. अँग्रेजों की नई शिक्षा–व्यवस्था का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा ?
4. भारत के प्राचीन उद्योग–धंधे क्यों बंद हो गए ?
5. भारतीय किसानों की दशा क्यों दयनीय हो गई?
6. भारतीय दस्तकारी एवं शिल्पकलाओं के नाम लिखिए ।
7. भारत में प्रकाशित होने वाले किन्हीं चार समाचार पत्रों के नाम लिखिए।
8. छत्तीसगढ़ से प्रकाशित होने वाले कोई चार समाचार पत्रों के नाम लिखिए।
8. ब्रिटिश भारत के दो प्रमुख बंदरगाहों के नाम लिखिए ।
10. अँगेजों की स्थाई बंदोबस्त की नीति को समझाइए।
11. ब्रिटिश कालीन छत्तीसगढ़ में भू–राजस्व व्यवस्था को समझाइए।
12. अँग्रेजों की नीति का भारतीय दस्तकारी एवं शिल्पकला पर क्या प्रभाव पड़ा?
13. ब्रिटिश कंपनी की नीतियों का भारतीय वन–क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ा ?
14. ब्रिटिश शासन का भारतीय संचार एवं परिवहन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा ?
15. समाचार पत्र जनता की अपेक्षाओं को शासन तक किस तरह पहुँचाते हैं ?
16. संचार और परिवहन के साधनों का विकास होने से लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। इस बात के समर्थन में अपने तर्क दीजिए।
17. राजा राममोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने अँग्रेजी की नई शिक्षा–व्यवस्था का समर्थन क्यों किया ? इसके उत्तर में अपना तर्क दीजिए।
18. ब्रिटिश युग में प्रेस के विकास समझाइए।

4. टिप्पणी लिखिए –

अ. रैयतवाड़ी व्यवस्था

ब. छत्तीसगढ़ में भू–राजस्व व्यवस्था

स. महलवाड़ी व्यवस्था

योग्यता विस्तार–

1. जनजातीय विद्रोहों के कारण क्या वर्तमान में जनजातियों के जीवन में कुछ बदलाव आए हैं ?
2. जनजातियों के जीवन एवं संस्कृति के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए ?

अध्याय 4

भारत का प्रथम स्वंतत्रता संग्राम

PQTSE4

पिछले पाठ में आपने पढ़ा कि ब्रिटिश शासन की नीतियों का भारतीय जनजीवन के कृषि वन, शिक्षा, दस्तकारी, शिल्प आदि क्षेत्रों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण सन् 1765 से 1856 के बीच भारत के विभिन्न भागों में बहुत–से विद्रोह हुए। इनमें से सन्यासी, बहावी, पोलिगर, संथाल, मोपला के विद्रोह प्रमुख हैं। ये विद्रोह असंगठित एवं सीमित क्षेत्रों में थे। इसलिए अँग्रेजों की शक्तिशाली सेना द्वारा इन्हें आसानी से कुचल दिया गया। 1857 में जो विद्रोह हुआ वह नियोजित एवं व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ था। इसमें ज्यादातर भारतीय समाज के किसान, कारीगर, जमीदार एवं पुराने रजवाड़ों के नवाब आदि वर्गों के लोग शामिल हुए जो ब्रिटिश शासन की नीतियों से असंतुष्ट थे।

1857 के विद्रोह के पूर्व अँग्रेजों की नीतियों से पुराने शासक एवं जनता त्रस्त थी। अँग्रेजों ने भारतीय राजाओं से सहायक संधियाँ की थीं, पर जनता उसका पालन अपनी मर्जी के अनुसार ही किया करती थी। राजाओं में डलहौजी की विलय नीति के प्रति बड़ा असंतोष था । इनमें झाँसी, पूना तथा अवध प्रमुख राज्य थे। इनके असंतोष के प्रमुख कारण इस प्रकार थे–

1. झाँसी के मृत राजा के दत्तक पुत्र को डलहौजी ने उत्तराधिकारी नहीं माना और 1853 में झाँसी राज्य पर अँग्रेजों ने कब्जा कर लिया।
2. 1851 में पेशवा बाजीराव की मृत्यु हो गई। इसके बाद उसके दत्तक पुत्र नाना जी साहब पेशवा को मिलनेवाले पेंशन को अँग्रेजों ने बंद कर दिया।
3. अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर उसके राज्य को छीन लिया गया।
4. अँग्रेजों की नई लगान–व्यवस्था से जमीदारों, भूमि स्वामियों की शक्ति समाप्त हो गई।

अँग्रेजों की इन नीतियों से शासक, सैनिक, जमीदार, भूमिस्वामी, कारीगर आदि सभी वर्ग के लोग प्रभावित हुए। जिससे उनमें असंतोष की भावना बलवती होने लगी।

अँग्रेजों की इन नीतियाँ से किसानों व दस्तकारों की क्या दशा हुई होगी ?
–आपस में चर्चा कीजिए।

किसानों और दस्तकारों की बदतर हालत –

आपने पिछले पाठ में पढ़ा है कि अँग्रेजों की विभिन्न भू–राजस्व नीतियों के परिणामस्वरूप किसानों की हालत पहले से ही खराब थी। उन्हें साहूकारों से कर्ज लेना पड़ा था। साहूकार बड़ी कठोरता से कर्ज वसूलते थे। किसानों को उसके लिए अपनी जमीन–जायदाद को भी बेचना पड़ा। इससे किसान बेरोजगार हो गए। इस प्रकार आम लोगों में कंपनी शासन के प्रति असंतोष की भावना पनपने लगी। इसके अतिरिक्त कंपनी की पक्षपातपूर्ण चुंगीकर नीति के कारण भारतीय दस्तकार एवं शिल्पी भी बेरोजगार हो गए थे। इससे उनमें भी असंतोष की भावना पनपने लगी थी।

भारतीयों की नागरिक एवं सैनिक सेवाओं में उपेक्षा –

अँग्रेजों की नीतियों के कारण भारतीयों की कृषि, उद्योग एवं व्यापार की अवनति हुई। साथ ही अँग्रेजों ने भारतीयों को अपने ही देश की ऊँची एवं महत्वपूर्ण पदों, नौकरियों से वंचित रखा। भारतीयों को न्यायिक, सैनिक एवं नागरिक सेवाओं में केवल छोटे पदों पर ही रखा जाता था। भारतीय रजवाड़े नष्ट हो गए। इससे उन पर आश्रित सैनिक, कर्मचारी, दस्तकार आदि सभी बेरोजगार हो गए थे।

सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों का विरोध –

कंपनी शासकों ने भारतीय समाज में प्रचलित सती प्रथा, बालिका वध के विरोध में तथा विधवा विवाह के पक्ष में नए कानून बनाए। इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने का विचार भारतीय

शिक्षित वर्ग ने दिया था; लेकिन इन कानूनों का समाज के रूढ़िवादी वर्ग ने भारी विरोध किया। ईसाई धर्म के प्रचार–प्रसार से रूढ़िवादी चिंतित थे। उन्होंने इनका विरोध किया। इन सबके परिणाम स्वरूप भारतीय जनमानस में अँग्रेजी शासन के प्रति शंका एवं अविश्वास की भावना बढ़ती गयी।

भारतीय सैनिकों में असंतोष –

अंग्रेजी सेना के अधिकांश सैनिक भारतीय किसान परिवार से आए हुए थे। इनमें बंगाल के सैनिक अपनी वफादारी के लिए प्रसि़द्ध थे। अँग्रेज सैनिक अधिकारी भारतीय सैनिकों को हेय द्दष्टि से देखते थे। भारत की ब्रिटिश सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात 1:5 से अधिक था। सेना में उन्हें अधिक ऊँचा पद नहीं दिया जाता था। गोरे सैनिकों की तुलना में इनका वेतन कम था। भारतीय सैनिकों को तिलक लगाना, दाढ़ी रखना, पगड़ी बाँधना जैसे पारम्परिक कार्यों पर प्रतिबंध था। उन्हें युद्ध के लिए समुद्रपार कर अन्यत्र भेज दिया जाता था जबकि समुद्रपार करना उन दिनों धर्म के विरुद्ध माना जाता था। इससे भारतीय सेना में असंतोष छाने लगा। 1856 में भारतीय सैनिकों को एनफील्ड रायफल एवं नए कारतूस प्रयोग के लिए दिए गए। इन कारतूसों को खोलने के लिए दांतो से काटना पड़ता था। सैनिकों को आशंका थी कि नए कारतूसों में गाय या सुअर की चर्बी मिली हुई थी जिसके कारण उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस लगती थी।

असंतोष का दावानल –

29 मार्च 1857 की बात है जब कलकत्ता के निकट बैरकपुर की फौजी छावनी में सेना की परेड चल रही थी। इसी समय सेना के एक सिपाही मंगल पांडे ने नए बंदूक जिसकी कारतूस में चर्बी लगे हुए थे, का प्रयोग करने से इंकार कर दिया। अँग्रेज अधिकारी ह्यूसन ने उसे इन बंदूकों व कारतूसों के प्रयोग करने का आदेश दिया किंतु मंगल पांडे ने आदेश नहीं माना, तो उसे गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया गया। तब क्रोध में आकर मंगल पांडे ने ह्यूसन पर गोली चलायी। उसने पास खड़े अन्य अँग्रेज अधिकारी पर भी गोली चला दी। देश के अन्य सैनिक छावनियों में विद्रोह जंगल की आग की तरह फैल गया। फलस्वरूप 10 मई 1857 को मेरठ छावनी की पूरी भारतीय पलटन ने विद्रोह कर दिया। उसने जेल में बंद अपने साथियों को छुड़ाकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में हजारों लोग इन विद्रोहियों के साथ हो गए। खबर पाकर दिल्ली छावनी के भारतीय सिपाही भी इन सैनिकों के साथ आकर मिल गए। मुगल बादशाह बहादुरशाह जफ़र से नेतृत्व सँभालने का आग्रह किया गया।

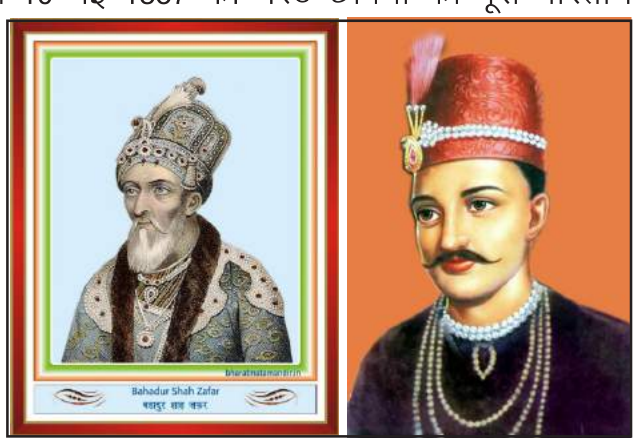

बहादुर शाह जफर **तात्या टोपे**

विद्रोह के मुख्य केन्द्र –

शीघ्र ही विद्रोह की आग उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली आदि स्थानों तक फैल गई। सैनिकों द्वारा प्रारंभ किए गए इस विद्रोह में स्थानीय किसान, कारीगर, जमीदार, राजा, आम जनता भी शामिल हो गए।

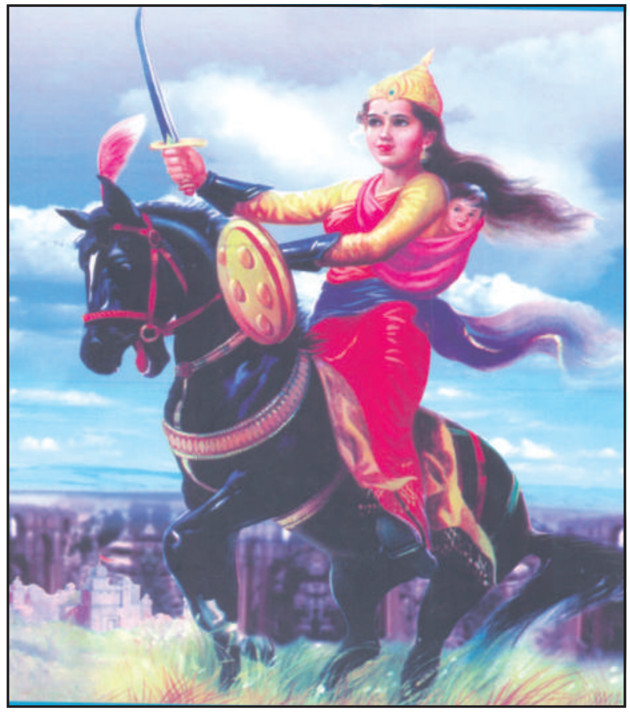

रानी लक्ष्मीबाई

विद्रोह का नेतृत्व–

शीघ्र ही विद्रोही सेना ने दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया। दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व सम्राट बहादुर शाह जफर के हाथों में था किंतु इसका संचालन सेनापति बख्त खाँ ने किया। लखनऊ में अवध की बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब तथा तात्याटोपे, झाँसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में कुँवरसिंह तथा रुहेलखंड में अहमद्दुल्ला ने विद्रोह का नेतृत्व किया। छत्तीसगढ़ में हनुमान सिंह एवं वीरनारायण सिंह ने अँग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। यहाँ विद्रोह काफी व्यापक थे। इस विद्रोह में आम लोगों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई ने बड़ी वीरता से अँग्रेजों का सामना किया और वीरगति प्राप्त की। इस प्रकार उन्होंने आम जनता को अँग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की प्रेरणा दी।

छत्तीसगढ़ में विप्लव–

रायपुर जिले के बलौदाबाजार के पास सोनाखान नामक स्थान है। वीर नारायण सिंह वहाँ के जमींदार थे। वे अपने जनहित कार्यों के फलस्वरूप लोकप्रिय थे। सन् 1856 ई. में सोनाखान में भयंकर अकाल पड़ा, लोग अन्न के अभाव में भूख से मरने लगे। लोगों की जीवन–रक्षा के लिए वीर नारायण सिंह ने एक व्यापारी के गोदाम में इकट्ठा कर रखे गये अनाज को जनता में बँटवा दिया। व्यापारी ने इसकी शिकायत अँग्रेज अधिकारी से की जिसके कारण वीरनारायण सिंह को गिरफ्तार कर रायपुर की जेल में बंद कर दिया गया। सन् 1857 ई. को वे रायपुर की जेल से भाग निकले। उन्होंने लगभग 500 किसानों की सेना संगठित कर ली। 1 दिसम्बर 1857 को अँग्रेजों की सेना के साथ वीर नारायण सिंह का मुकाबला हुआ। अँग्रेजों ने सोनाखान के पड़ोसी देवरी के जमींदार से मदद माँग ली। उसकी सहायता पाकर अँग्रेजों ने वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया। बाद में रायपुर लाकर दिखावे का मुकदमा चलाया और 10 दिसम्बर 1857 को उन्हें फाँसी दे दी गई। इस प्रकार देश की स्वाधीनता आंदोलन में यह महान सपूत शहीद हो गया।

वीर नारायण सिंह स्मृति स्तंभ

शहीद वीर नारायण सिंह का त्याग और बलिदान व्यर्थ नहीं गया। रायपुर फौजी छावनी में मेग्जीन लश्कर हनुमान सिंह राजपूत थे। 18 जनवरी 1858 को उसने सिडवेल नामक अँग्रेज सैनिक अधिकारी की हत्या की और फरार हो गए। इस तरह उन्होंने रायपुर में स्वतंत्रता संघर्ष को जारी रखा, अँग्रेजों ने हनुमान सिंह के 17 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों पर दो दिन मुकदमा चला। उन्हें सेना से बगावत करने एवं राजद्रोह करने के आरोप में 22 जनवरी 1858 को सैनिकों एवं जनता के समक्ष सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका दिया गया। वे शहीद थे–सर्वश्री गांजी खाँ, शिवनारायण, गुलीन, अब्दुल हमात, पन्नालाल, मातादीन, बलिहू, ठाकुरसिंह, अकबर हुसैन, लालसिंह, परमानंद, बदलू, दुर्गाप्रसाद, शोभाराम, नूर मोहम्मद, देवदीन एवं शिव गोविंद। इस विद्रोह में सभी जाति व धर्म के लोग शामिल थे, इससे प्रमाणित होता है कि इस अंचल में राष्ट्रीय हित की भावना सर्वोपरि थी।

आपने अपने परिवार/समाज के बुजुर्गो से आंदोलन से संबंधित इस प्रकार की और घटनाएँ सुनी होंगी ? उन्हें संकलित कर अपने साथियों एवं शिक्षकों के बीच सुनाइए।

आंदोलन की असफलता –

सन् 1857 ई. का विद्रोह भारत के व्यापक भू–भाग में हुआ। किंतु अँग्रेजों की सत्ता का अंत करने में सफल नहीं हो सका, इसके कई कारण थे। विद्रोहियों के बीच केन्द्रीय नेतृत्व का अभाव था। विद्रोहियों के पास पर्याप्त मात्रा में हथियार भी नहीं थे। इस समय के शिक्षित वर्ग एवं अधिकांश रजवाड़े विद्रोह में शामिल नहीं हुए। यह विद्रोह भारतीयों के लिए प्रेरणादायक सिद्ध हुआ। इससे भारतीय जनता में राष्ट्रीयता एवं चेतना का संचार हुआ। साथ ही अँग्रेजी शासन को भी गहरा धक्का पहुँचा।

इस विद्रोह से यह स्पष्ट हो गया कि भारतीयों के मन में ब्रिटिश सत्ता के प्रति व्यापक असंतोष की भावना है। लोगों के मन में यह भाव पैदा हो गया कि उनका देश कंपनी शासन के हाथों में सुरक्षित नहीं है। निःसंदेह यह भारतीयों का एक देशभक्तिपूर्ण परन्तु असंगठित विद्रोह था जिसका भय अँग्रेजों को सदैव सताता रहा। इसके फलस्वरूप भारतीय राजनीति में राष्ट्रवाद का विकास हुआ।

1858 का भारत सरकार अधिनियम –

भारत की नाराज प्रजा को शांत करने के उद्देश्य से इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने 1 नवम्बर 1858 को एक घोषणा पत्र जारी किया जिसमें कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे इंग्लैंड की संसद द्वारा संचालित करने की घोषणा की गई। भारतीय जनता के धार्मिक एवं सामाजिक पहलुओं के प्रति अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। प्राचीन परम्पराओं का संरक्षण एवं सम्मान का आश्वासन दिया गया। सैद्धांतिक रूप से रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र बहुत महत्वपूर्ण था। अब गर्वनर जनरल वायसराय कहा जाने लगा जो ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में भारत का प्रमुख प्रशासक होता था।

अभ्यास प्रश्न

PR3NFR

1. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए –

1. ब्रिटिश कंपनी ने किसानों को .... की खेती करने को विवश किया।
2. हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का .... कहा जाने लगा।
3. दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह .... थे।
4. इंग्लैंड की महारानी .... ने 1 नवम्बर 1858 को एक घोषणा–पत्र जारी किया।

2. 1857 में प्रमुख नेताओं के नाम को उनेक स्थानों से सही–सही मिलाइए–

1. कुँवर सिंह	–	कानपुर
2. तात्या टोपे	–	सोनाखान
3. लक्ष्मीबाई	–	लखनऊ
4. हजरत महल	–	बिहार
5. वीरनारायण सिंह	–	झाँसी

3. सही अथवा गलत बताइए ?

1. चर्बीवाले कारतूस की घटना 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं है।
2. डलहौजी के साम्राज्य विस्तार की नीति से देशी राजाओं को बहुत लाभ हुआ।

4. प्रश्नों के उत्तर लिखिए–

1. सन् 1857 के पूर्व अँग्रेजों की सेना के भारतीय सिपाहियों में असंतोष क्यों था ?
2. सन् 1858 के महारानी के घोषणा पत्र में भारतीयों को कौन–कौनसे आश्वासन दिए गए थे ?
3. सन् 1857 का विद्रोह क्यों असफल रहा ?
4. रानी लक्ष्मी बाई, तात्याटोपे बहादुरशाह जफर, कुंवर सिंह के चित्र इकत्रित कर उनके सम्बन्धित किसी एक घटना का वर्णन करो जो आप को प्रेरित करती है।
5. हम 1857 की क्रांति के पश्चात् स्वतंत्र हो जाते तो हमारा भारत किस तरह का होता अनुमान लगाइये।

योग्यता विस्तार –

1. भारत के मानचित्र में सन् 1857 के विद्रोह के प्रमुख स्थानों को दर्शाइए।
2. प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं के चित्र एकत्रित कीजिए।

PRCJHE

अध्याय 5

भारतीय समाज में नए विचार

अन्नू, एक दिन सुबह–सुबह स्कूल जाने के लिए जल्दी तैयार हो गई। फिर उसने कुछ फूल–पत्ती भी चुन डाले, क्योंकि उसके स्कूल में आज गुरु घासीदास जयंती का उत्सव मनाया जाना था। उसने फूलों की माला बनाते हुए अपने पिता जी से पूछा– ''पिता जी! गुरु घासीदास जी कौन थे ?

उन्होंने बताया– ''बेटी! गुरु घासीदास जी छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध समाज सुधारक एवं संत थे। उनका जन्म 18 दिसंबर 1756 ई. में रायपुर जिले (वर्तमान में बलौदाबाजार जिला) के गिरौदपुरी गाँव में हुआ था। उन्होंने तपस्या के द्वारा सत्य का ज्ञान प्राप्त किया और 'सतनाम–पंथ' चलाया। वे सत्य को ही ईश्वर का रूप मानते थे। उनके विचार में सभी जाति और धर्म समान थे।

अन्नू ने पूछा– यह किस समय की बात है ?

पिताजी... ''यह 19वीं सदी की बात है जब देश के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में अनेक नए विचारों का प्रसार हुआ। नव–जागरण का मुख्य प्रभाव सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्रों पर ही था।''

''यह 'नव–जागरण' क्या है ?'' अन्नू के इस सवाल का जवाब देते हुए, पिता जी ने कहा– सुनो बेटी! इस समय तक लगभग पूरे भारत में अँग्रेजों का शासन था। उन्होंने शासन में अपनी सुविधा के लिए अँग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की। अँग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को भी पश्चिमी देशों की ''स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, लोकतंत्र, तार्किकता तथा वैज्ञानिकता जैसे आधुनिक विचारों का परिचय मिला। ये विचार पश्चिमी आधुनिक सभ्यता के आधार थे।''

लोगों ने समाज में फैले आडंबर, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, जाति–प्रथा जैसे दोषों में सुधार की जरूरत समझी। इसलिए सामाजिक सुधार के साथ–साथ धार्मिक सुधारों के लिए भी उपाय होने लगे। इसके अंतर्गत प्राचीन धर्म–ग्रंथों और दर्शन–शास्त्रों के अध्ययन पुनः शुरू हुए। इन ग्रंथों के प्रमाणों के आधार पर सामाजिक एवं धार्मिक दोषों में सुधार हेतु अनेक नए–नए विचार किए गए। इन विचारों को प्रभावशाली लेखों और प्रवचनों के द्वारा आम जनता तक पहुँचाने के प्रयास हुए ताकि उनमें भी नव–जागरण आ सके। इस प्रकार तत्कालीन भारत की आधुनिकता के लिए शुरू हुए इस वैचारिक जागरण को ही 'भारतीय नव–जागरण' या 'भारतीय–पुनर्जागरण' कहते हैं।

अन्नू सहमति में सिर हिलाते हुए उठी और स्कूल चली गई। वहां दीदी ने जयंती समारोह के दौरान समझाया–

बच्चो, 19वीं सदी के भारत में विभिन्न समाज सुधार के कार्यों की शुरुआत हो चुकी थी।

तभी आयुष ने पूछा– दीदी, इन सुधार कार्यों की शुरुआत कैसे हुई थी? दीदी ने समझाया– बच्चो समाज सुधार के कार्यों की शुरुआत बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र आदि प्रांतों के मध्यमवर्गीय लोगों द्वारा हुई थी। ये लोग अँग्रेजी शिक्षा के माध्यम से स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा जैसे विचारों से अवगत हुए थे। ये भारतीय समाज में भी नया सुधार और विचार लाना

चाहते थे। बंगाल में राजा राममोहन राय द्वारा समाज सुधार हेतु पहला कदम उठाया गया था। इसलिए उन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता हैं। वे चाहते थे कि भारत के अन्य लोग भी पश्चिमी देशों की आधुनिकता के बारे में जान सकें, इसलिए उन्होंने अँग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया। उन्होंने कलकत्ता में एक अँग्रेजी स्कूल चलाया और वेदांत कॉलेज की स्थापना की। राजा राममोहन राय ने समाज सुधार हेतु विभिन्न धर्म–ग्रन्थों का बँगला भाषा में अनुवाद किया। ताकि स्थानीय लोग भी उन ग्रंथों का सही ज्ञान प्राप्त कर सकें। उन्होने सुधार कार्यों में तेजी लाने के लिए 1828 ई. में ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने इस मंच के माध्यम से मूर्ति–पूजा एवं आडंबरों का विरोध किया। इसी तरह पंजाब में दयानंद सरस्वती ने सन् 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। इसके माध्यम से मूर्तिपूजा, आडम्बरों, छुआछूत एवं अन्य धार्मिक अंधविश्वासों का विरोध किया गया। इन सुधारकों का विचार था कि नारी सुधार के बिना समाज–सुधार अधूरा है।

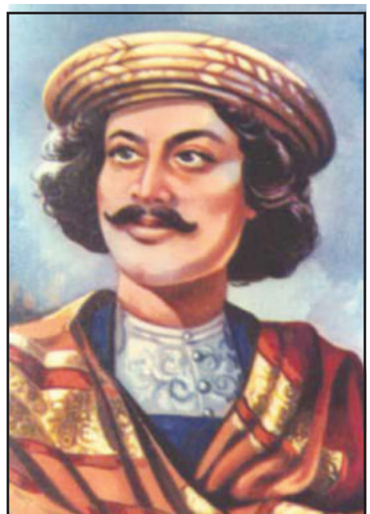

राजा राममोहन राय

स्वामी दयानंद सरस्वती

क्या उस समय नारियों की स्थिति बहुत ही खराब थी ? अन्नू द्वारा आश्चर्य से पूछे गए इस सवाल का जवाब देते हुए दीदी ने समझाया– हाँ बच्चो, 19वीं सदी के शुरुआत में नारियों की स्थिति बहुत ही खराब थी। बाल–विवाह प्रथा के अनुसार बचपन में ही लड़कियों का विवाह हो जाता था। कम उम्र की लड़कियों का विवाह अधिक उम्र के पुरुषों से कर दिए जाने के कारण कितनी ही लड़कियाँ बचपन में ही विधवा हो जाती थीं। अधिकांश स्थानों में विधवा को अपने मृत पति के साथ चिता में जलकर सती होने के लिए विवश किया जाता था। जीवित विधवाओं को एक समय का भोजन, सफेद कपड़े और अशुभ की संज्ञा के साथ कष्टमय जीवन व्यतीत करना पड़ता था।

चर्चा करें–आज के समाज में भी इनमें से महिलाओं की कौन–कौनसी समस्याएं देखने को मिलती हैं ?

इसके अलावा उस समय बहु–विवाह प्रथा के अनुसार एक पति की कई पत्नियाँ होती थीं। अक्सर कन्या के जन्म को अशुभ मानकर उसका वध कर दिया जाता था। दहेज प्रथा के कारण गरीब लड़कियों का विवाह नहीं हो पाता था। नारियों को न तो शिक्षा दी जाती थी और न ही विकास का कोई अवसर दिया जाता था। इन सब कारणों से समाज में उनका अपना कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था।

लेकिन, अब ऐसा नहीं है। आज के समाज में महिलाओं को विकास के कई अवसर मिल रहे हैं। ये सब समाज सुधारकों के जोरदार प्रयासों से ही संभव हुआ है। सबसे पहले राममोहन राय ने सती प्रथा को बंद करवाने के लिए समाज में विचार (वाद–विवाद) आरंभ कराया। इसमें शास्त्रों के प्रमाणों के आधार पर सती प्रथा को अमानवीय और धर्म विरुद्ध बताने की कोशिश की गई।

उन्होंने इस अमानवीय प्रथा को बंद कराने के लिए अँग्रेज सरकार से भी प्रार्थना की। इन्हीं प्रयासों के कारण अंततः सन् 1829 ई. में गवर्नर जनरल बिलियम बैंटिक ने सती प्रथा को बंद करने के लिए एक कानून लागू किया।

दीदी ने आगे कहा– दयानंद सरस्वती ने भी बाल–विवाह, कन्या–वध आदि प्रथाओं का विरोध किया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह और नारी शिक्षा का भी समर्थन किया था।

''लेकिन विधवाओं का दोबारा विवाह कैसे संभव हो सका ?'' अंजली ने पूछा। तब दीदी ने बताया– बच्चों ! उस समय बंगाल में ईश्वरचंद विद्यासागर नामक समाज सुधारक हुए। उन्होंने **विधवा–पुनर्विवाह** को वैध बनाने के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया। उनके इस आन्दोलन को बंगाल में व्यापक समर्थन मिला। इसके अलावा महाराष्ट्र में पंडित विष्णु शास्त्री ने स्वयं एक विधवा से विवाह कर समाज में उदाहरण प्रस्तुत किया। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने रूढ़िवादियों के विरोध के बावजूद अपनी विधवा बेटी का पुनः विवाह कराया। महादेव गोविंद रानाडे ने भी समर्थन किया। आंध्रप्रदेश में भी वीरेशलिंगम द्वारा विधवा–पुनर्विवाह का समर्थन किया गया। परिणामस्वरूप, सन् 1856 में विधवा–पुनर्विवाह कानून लागू हो गया।

आजकल बाल–विवाह, सती–प्रथा एवं दहेज–प्रथा आदि पर कानूनी रूप से पाबंदी लगा दी गई है।

अब अवंतिका ने पूछा, दीदी, बताइये कि बाल–विवाह, बहु–विवाह तथा दहेज–प्रथाओं का विरोध कैसे व्यापक हुआ ?

दीदी बताने लगीं – केशवचंद्र सेन, ईश्वरचंद विद्यासागर आदि ने **बाल–विवाह** प्रथा के दोषों के बारे में लोगों को समझाया। बहरामजी मालाबारी ने विवाह के लिए लड़के–लड़कियों की न्यूनतम आयु निश्चित करने की माँग की। अंततः सन् 1929 में शारदा एक्ट द्वारा बाल विवाह प्रथा में सुधार हुआ। इसके अनुसार विवाह के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष निश्चित की गई थी, जिसे आजादी के बाद लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया है। इस प्रकार जन–जागरण एवं शिक्षा के प्रभाव से **बहु–विवाह** एवं **कन्या वध** प्रथाएँ भी समाप्त होने लगीं। साथ ही **दहेज प्रथा** का भी विरोध होने लगा। इन कुप्रथाओं को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए आज भी पर्याप्त जन–जागरण एवं शिक्षा की जरूरत है।

केशवचंद्र सेन

विचार करें –

1. क्या आज भी बाल–विवाह होते हैं ? यदि हाँ तो उन्हें कैसे समाप्त किया जा सकता है ?
3. क्या आज कन्या जन्म को अशुभ माना जाता है यदि हाँ तो इस भावना को कैसे बदला जा सकता है ?
3. हमेशा दहेज प्रथा का विरोध हुआ हैं, फिर भी इसका प्रचलन क्यों है ?

अन्नू ने याद दिलाया, ''दीदी! समाज सुधारकों ने तो **नारी शिक्षा** के लिए भी प्रयास किया था।'' तब दीदी ने कहा– ''हाँ अन्नू ! लगभग सभी समाज सुधारकों का विचार था कि नारी को शिक्षा देने से उनमें आत्मविश्वास जागृत होगा। वह समाज में अपनी भूमिका सार्थक ढंग से निभा पाएगी और यह केवल महिला के विकास के लिए ही नहीं पूरे समाज के विकास के लिए भी जरुरी है। ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से सन् 1849 ई. में कलकत्ता का बेथन स्कूल खुला। यह बालिकाओं का पहला स्कूल था। सामाजिक विरोधों और उपेक्षाओं को सहकर भी लड़कियों ने स्कूल में दाखिला लिया तथा शिक्षा प्राप्त करने का साहस दिखाया। फलतः विद्यासागर ने अनेक बालिका स्कूल खोले। इसी प्रकार उत्तर भारत में दयानंद सरस्वती और उनके आर्य समाज द्वारा बालक बालिकाओं के लिए अनेक स्कूल तथा कॉलेज खोले गए। इनके अलावा, सर सैयद अहमद खाँ ने भी मुस्लिम समाज के विकास के लिए अलीगढ़ आंदोलन चलाया। उनका विचार था कि लड़कों के साथ–साथ लड़कियाँ भी स्कूल तथा कॉलेजों में आधुनिक शिक्षा प्राप्त करें।

इस समय महाराष्ट्र में भी नारी शिक्षा के लिए अनेक प्रयास हुए। ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्री बाई द्वारा पूना में बालिका स्कूल खोला गया। इसमें निम्न जाति की बालिकाओं को विशेष रूप से प्रवेश दिया गया। अब बालिकाओं के लिए न केवल प्राथमिक शिक्षा, बल्कि उच्च शिक्षा का भी समर्थन होने लगा। गोपाल गणेश आगरकर ने तो नौकरियों एवं विभिन्न उद्यमों के लिए भी बालिका शिक्षा का विचार रखा था। हमारे समाज सुधारकों ने समाज के सम्पूर्ण विकास और नारी समस्याओं का स्थायी हल, उन्हें पुरुषों के समान शिक्षा और सामाजिक अधिकार दिये जाने में ही देखा।

नारी सुधार कार्यक्रमों को रूढ़िवादियों का भारी विरोध झेलना पड़ा। फिर भी कई माता–पिता ने हिम्मत करके अपनी बेटियों को पढ़ाया। ऐसे ही एक परिवार की बेटी रमाबाई की कहानी सुनिए रमाबाई का जन्म सन् 1856 में हुआ था। उनके पिता अनंत शास्त्री महाराष्ट्र के एक पारंपरिक ब्राह्मण थे। उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाना शुरू किया। इससे उनका घोर विरोध हुआ। उन्हें गाँव छोड़कर जाना पड़ा और जंगल में कुटिया बनाकर रहना पड़ा। वहीं पर रमाबाई का जन्म हुआ। अनंत शास्त्री ने अपनी बेटी को भी संस्कृत सिखाई। जब रमाबाई केवल 16 वर्ष की थी, तभी उनके माता–पिता दोनों का देहांत हो गया। अनाथ रमाबाई व उनका भाई जगह–जगह भटकते रहे। किसी ने उन्हें आश्रय

ज्योतिबा फुले

नहीं दिया, क्योंकि उन दिनों पढ़ी–लिखी लड़की से सब कतराते थे।

पंडिता रमाबाई सरस्वती

रमाबाई घूमते–घूमते कलकत्ता पहुँची, वहाँ उनका स्वागत हुआ। वहाँ राजा राममोहन राय, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर आदि से प्रभावित कई लोग थे। वे महिलाओं के बारे में नए विचार रखते थे। वहाँ रमाबाई ने कई जगहों पर संस्कृत में नारी सुधार संबंधी भाषण दिये। कलकत्ता के लोगों ने उन्हें 'पंडिता' व सरस्वती की उपाधि दी। अब वे पंडिता रमाबाई सरस्वती कहलाने लगीं। उन्होंने विधवा महिलाओं को शिक्षित करने के लिए 'शारदा सदन' नामक आश्रम व स्कूल खोला। वे चाहती थीं कि महिलाएँ सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन में भी खुलकर भाग लें। इस प्रकार 19वीं सदी में नारी सुधार के क्षेत्र में अनेक प्रयास हुए। मगर इस क्षेत्र में अभी भी बालिका शिक्षा का उद्‌देश्य पूरा नहीं हुआ।

अवंतिका ने फिर पूछा– ''क्या सुधारकों ने जाति प्रथा को भी मिटाने का प्रयास किया था?'' दीदी ने कहा– हाँ! जाति प्रथा के कारण समाज उच्च जाति और निम्न जाति के दो वर्गों में बँट गया था। निम्न जातिवाले मंदिरों में नहीं जा सकते थे। वे कुएँ से पानी नहीं भर सकते थे। उन्हें तुच्छ समझा जाता था। रामकृष्ण मिशन जैसी कई संस्थाओं ने जाति प्रथा को कड़ी चुनौती दी। ब्रह्म समाज के प्रभाव से महाराष्ट्र में भी परमहंस सभा का गठन हुआ। इसके सदस्य विभिन्न जाति के लोग थे। इसकी बैठकें रूढ़िवादियों के डर से गुप्त रूप से की जाती थीं। सन् 1865 में इसका पुनर्गठन 'प्रार्थना समाज' के रूप में किया गया था जिसके प्रमुख नेता महादेव गोविंद रानाडे थे। उन्होंने जातिगत भेदभाव और छुआछूत की घोर निन्दा की। माली जाति में जन्म लेनेवाले ज्योतिबा फुले ने तो निम्न जाति के उद्धार के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया। अपने प्रयासों में तेजी लाने के लिए सन् 1873 में सत्यशोधक–समाज की स्थापना की। इस संस्था का मुख्य कार्य निम्न जाति के लोगों को समानता का अधिकार दिलाना था। इसने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करने तथा दलित जाति के पुरुष एवं महिला शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने की मांग की। उन्होंने विभिन्न नाटकों एवं लेखों के द्वारा भी जाति–प्रथा के विरुद्ध जन–जागरण लाने का प्रयास किया।

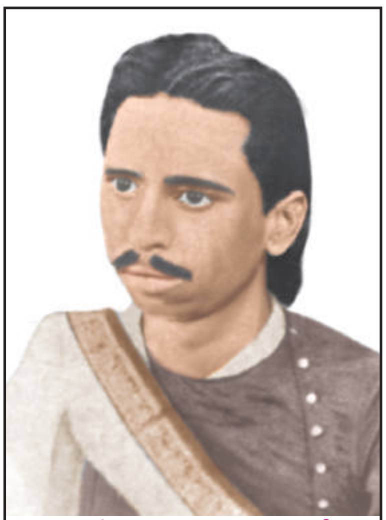

पंडित सुन्दरलाल शर्मा

20वीं सदी में महात्मा गांधी ने भी जाति प्रथा पर चोट की। उन्होंने इनके उद्धार के लिए अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। हमारे छत्तीसगढ़ में भी इन जातियों के उद्धार के लिए पंडित सुन्दरलाल शर्मा ने अनेक प्रयास किए। उन्होंने सभी जातियों के लोगों को जनेऊ धारण करवाया तथा राजिम के राजीवलोचन मंदिर में प्रवेश दिलाया।

महाराष्ट्र के डा. भीमराव अंबेडकर ने कठिन परिश्रम से इंग्लैंड में कानून की उच्च शिक्षा प्राप्त की और भारत लौटने पर स्वयं को निम्न जाति के उद्धार के लिए समर्पित कर दिया। वे मानते थे कि निम्न जातियों को अपने उद्धार के लिए शिक्षित और संगठित होना चाहिए । उनको राजनैतिक भागीदारी करना चाहिए। अतः उन्होंने निम्न जाति के लोगों के लिए अलग से निर्वाचन की माँग की। भारत के संविधान निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इस प्रकार अनेक भारतीय समाज सुधारकों के विभिन्न प्रयासों से निम्न वर्ग के लोगों की सामाजिक स्थिति में भी सुधार दिखाई देने लगा। परन्तु जाति–प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए आज भी समाज में पर्याप्त जन–जागरण की जरूरत है।

यद्यपि सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रभाव शहरों तक ही सीमित रहा। तथापि सुधारवादियों का ध्यान पूरे देश को नए विचारों से आधुनिक बनाने पर था।

अभ्यास प्रश्न

PRLFJ2

1. खाली स्थानों को भरिए –

1. शारदा एक्ट 1929 द्वारा .... पर रोक लगाई गई।
2. सती प्रथा को बंद करवाने वाले समाज सुधारक .... थे।
3. आंध्रप्रदेश के एक प्रसिद्ध समाज सुधारक .... थे।
4. .... ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की।
5. छत्तीसगढ़ में निम्न वर्ग की स्थिति सुधारने का कार्य .... ने किया।
6. गुरुघासीदास का जन्म बलौदाबाजार जिले के .... में हुआ था।

2. उचित संबंध जोड़िए –

1. राजा राममोहन राय	–	सत्यशोधक समाज
2. दयानंद सरस्वती	–	प्रार्थना समाज
3. सर सैयद अहमद खाँ	–	ब्रह्म समाज
4. महादेव गोविंद रानाडे	–	आर्य समाज
5. ज्योतिबा फुले	–	अलीगढ़ आंदोलन

3. प्रश्नों के उत्तर लिखिए –

1. गुरु घासीदास जयंती कब मनाई जाती है?
2. सती–प्रथा निषेध कानून कब और किस गर्वनर जनरल ने लागू किया था?
3. विधवा–पुनर्विवाह कानून कब और किसके नेतृत्व में लागू हुआ था?

4. बाल विवाह प्रथा कब और किस एक्ट के द्वारा समाप्त हुई थी?
5. प्रथम बालिका स्कूल कब और कहाँ खुला था?
6. अँग्रेजी शिक्षा से भारतीयों को किन–किन बातों की जानकारी मिली।
7. सतनाम पंथ के दो प्रमुख सिद्धांत बताइए?
8. विधवा–पुनर्विवाह कैसे संभव हुआ था?
9. जाति–प्रथा के विरोध में ज्योतिबा फुले के योगदान को बताइए।
10. नारी शिक्षा हेतु विभिन्न प्रयासों का उल्लेख कीजिए।
11. जातिप्रथा को पूरी तरह समाप्त करने के लिये आज भी समाज में किसकी आवश्यकता है ?
12. आपको लगता है कि बाल विवाह गलत और विधवा पुर्नविवाह सही है कैसे ? इस पर अपने विचार लिखिए।

5. टिप्पणी लिखिए –

अ. रमा बाई   ब. डॉ. भीमराव अम्बेडकर

6. योग्यता विस्तार –

1. पंडिता रमाबाई सरस्वती जैसी किसी अन्य स्थानीय महिला समाज सुधारक के बारे में पता कीजिए तथा उसका संक्षिप्त जीवन परिचय प्राप्त कीजिए।
2. अपने शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए –

   अ. दहेज प्रथा – एक सामाजिक अभिशाप है।

   ब. जाति प्रथा – मानवता के मार्ग में बाधक तत्व है।

अध्याय 6

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन

PRVBKP

(क) प्रारंभिक तैयारी– संगठन :–

पिछले अध्याय में आपने पढ़ा है कि 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने का पूरा प्रयास अँग्रेजी शासन ने किया। भारत के इतिहास में इस आंदोलन के पश्चात् नए युग की शुरुआत हुई। 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन से जनता को एहसास हुआ कि देश की आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियाँ देश के लोगों को एक दूसरे के समीप ला रही हैं। वे यह भी जानते थे कि लोगों को जागरूक करना होगा। उनमें राजनीतिक चेतना पैदा करनी पड़ेगी तभी भारतीय राष्ट्र का लक्ष्य पाया जा सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि लोगों में राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया जाए।

आप यह तो जानते ही हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मूलतः विदेशी आधिपत्य के विरुद्ध एक संघर्ष था। ब्रिटिश शासन के अत्याचारों से उत्पन्न परिस्थितियों ने भारतीय जनता में राष्ट्रीय भावना विकसित करने में सहायता दी। वे परिस्थितियाँ निम्नलिखित थीं–

1. लोगों में जातीय घृणा, सामाजिक कुरीतियों एवं असमानता को दूर करने हेतु प्रयास।
2. समूचे देश का राजनीतिक रूप से एकीकरण हुआ।
3. डाक तथा संचार व्यवस्था प्रारंभ करना।
4. अँग्रेजी भाषा का प्रचार–प्रसार करना।
5. अँग्रेजों के पक्षपात पूर्ण आर्थिक नीति और शोषण के कारण भी देश में राष्ट्रवाद का उदय हुआ।

> राष्ट्रीय एकता की भावना, देश–प्रेम, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक परम्पराओं पर अभिमान की भावना को सामूहिक रूप से राष्ट्रवाद कहा जाता है।

अँग्रेजों ने अँग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार क्यों किया ?

आपने यह पढ़ा है कि 18वीं सदी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। अँग्रेज व्यापारी विश्व भर के कई देशों में अपना माल बेचते थे। उन्हें अपने कारखानों के लिए सस्ते, कच्चे माल तथा तैयार माल के लिए बाजार चाहिए था। इसलिए भारत की कृषि, उद्योग, व्यापार आदि की नीति अँग्रेजी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए ही बनाई गई। अतः उन्होंने भारत का हर तरह से आर्थिक शोषण किया। इस नीति का हमारे देश के नेताओं ने डटकर विरोध किया। इसी विरोध की भावना से उत्पन्न विचार को आर्थिक राष्ट्रवाद भी कहा गया। भारतीयों को पाश्चात्य साहित्य एवं दुनिया के अन्य भागों की घटनाओं के बारे में जानकारी मिली। इससे उनमें राजनीतिक जागरूकता आई। अब भारतीय समझने लगे कि भारत के पिछड़ेपन के लिए ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियाँ ही जिम्मेदार हैं, जिनके कारण किसान, शिल्पकार और कारीगर बर्बाद हो गए। उस समय से भारतीय समाज में शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय हुआ जिनमें वकील, शिक्षक, सरकारी

कर्मचारी, व्यापारी आदि शामिल थे। यह समाज आधुनिक शिक्षा से प्रभावित और जागरूक था। इसने संवैधानिकता, लोकतंत्र जैसे आधुनिक विचारों को आत्मसात किया और उदार लोकतांत्रिक विचारों को स्वीकार किया। ब्रिटिश शासकों की नस्लवाद की भावना तथा प्रशासन में भारतीयों को न्यूनतम वेतन दिए जाने से उनके मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ। उन्होंने जातीय भेदभाव के विरुद्ध भारतीयों में स्वाभिमान की भावना जगाई, इससे उनमें राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ।

भारतीयों की राजनीतिक सभाएँ प्रारंभ में कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास जैसे प्रांतीय नगरों में हुईं। 1851 में कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1852 में मुंबई एसोसिएशन तथा इसी वर्ष मद्रास नेटिव एसोसिएशन का गठन किया गया।

इन संगठनों की प्रमुख माँगे थीं– सरकार में भारतीयों की भागीदारी, करों में कमी की माँग तथा भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करना।

इन संगठनों में प्रायः शिक्षित तथा उच्च वर्ग के लोग थे। बाद में ऐसे कई संगठन बने जिनमें जन सामान्य के लोग भी सदस्य बने। ऐसे संगठनों में 1870 में पूना सार्वजनिक सभा, 1884 में मद्रास महाजन सभा और 1885 में बाम्बे प्रेसीडेंसी एसोसिएशन प्रमुख थे। छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह कुछ संगठनों के विकास में राजनीतिक जागृति दिखाई पड़ने लगी थी।

ये नए संगठन पहले की अपेक्षा अधिक प्रखर थे। ये अँग्रेजों द्वारा भारतीयों से किये जा रहे भेदभाव एवं शोषण के विरोध में सभाएँ करते थे। इनकी माँगे सम्पूर्ण भारत के लिए होती थी।

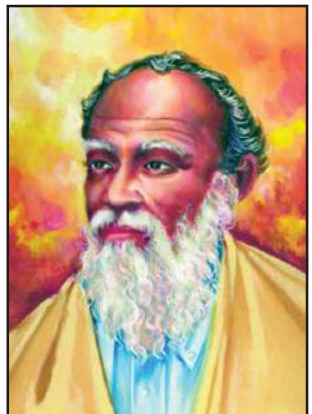
सुरेन्द्र नाथ बेनर्जी

सुरेन्द्र नाथ बेनर्जी ने 1853 में कलकत्ता में आयोजित इंडियन एसोसिएशन की बैठक में देश के सभी भागों के लोगों को आमंत्रित किया। यह प्रथम अखिल भारतीय प्रयास था।

कालान्तर में एक अन्य अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया गया, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसम्बर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में आरंभ हुआ। देश के विभिन्न भागों से 72 प्रतिनिधि इस अधिवेशन में सम्मिलित हुए थे। व्योमेशचंद्र बेनर्जी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इसी अधिवेशन में अखिल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की स्थापना हुई।

उन दिनों इन संगठनों के मुख्य उद्देश्य थे–

(1) भारत के विभिन्न भागों में रहनेवाले लोगों को संगठित करना।

(2) धर्म–जाति आदि के भेद से परे एकता की भावना उत्पन्न करना।

(3) एक दूसरे की समस्याओं को जानना।

(4) राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक उपायों पर विचारविमर्श करना।

(5) स्वतंत्रता, समानता तथा स्वराज्य में आस्था व्यक्त करना।

1876 में भैरमगढ़, बस्तर में विद्रोह हुआ था।

काँग्रेस सम्मेलनों में हो रही चर्चाओं से सरकारी अधिकारी चिंतित होने लगे क्योंकि शासन के बारे में जो कुछ कहा जा रहा था वह सच था। सरकार इसका खंडन भी नहीं कर सकती थी।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 ई. मुम्बई में सम्मिलित प्रतिनिधिगण

कँाग्रेस को लोकप्रिय न होने देने तथा भारतीयों की सदस्यता को रोकने के लिए सरकार ने कमर कस ली थी। उन दिनों ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति नहीं थी।

कँाग्रेस के प्रारंभिक नेता नरम विचारों वाले थे। उन्होंने अँग्रेजों का विरोध किए बिना देश की राजनीतिक, आर्थिक प्रगति का प्रयास किया। अपनी माँगों को शासन के समक्ष रखकर देश की समस्या का हल निकालने का प्रयत्न किया। ब्रिटिश शासन ने अधिवेशनों में रुकावट पैदा करना शुरू कर दिया।

इन सब विरोधों का सामना करते हुए राष्ट्रीय कँाग्रेस अपना कार्य सुचारु रूप से करती रही देश प्रेम की भावना से प्रेरित होकर बड़ी संख्या में युवा वर्ग राष्ट्रीय कँाग्रेस में सम्मिलित होने लगे। महिलाएँ भी अधिवेशनों में भाग लेने लगीं। छत्तीसगढ़ में भी राष्ट्रभक्त युवकों की कमी नहीं थी। यहाँ के जागरूक नवयुवकों ने जन–जन में देशप्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया। इनमें पं.माधव राव सप्रे का नाम प्रमुख है, इन्होंने 1900 में *'छत्तीसगढ़ मित्र'* नामक समाचार पत्र तथा 1906 में *'हिन्दी–केसरी'* के नाम से साप्ताहिक समाचार पत्र निकालकर लोगों में देशप्रेम की भावना को विकसित किया।

(ख) स्वराज्य के लिए संघर्ष–

आन्दोलनकारी दलों का निर्माण एवं प्रवृत्तियाँ –

आप यह जानते हैं कि कँाग्रेस ने प्रतिवर्ष अधिवेशन करके प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि की। महिलाओं की सहभागिता से भी सुधारात्मक आंदोलन शुरू किया। वे प्रार्थनापत्रों, निवेदनों के द्वारा अपनी माँगें ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखते थे। सरकार माँगें पूरी करेगी, ऐसा उनका विश्वास

था। अँग्रेज सरकार ने उनकी माँगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। भारतीय राष्ट्रीयता की भावना को कमजोर करने का प्रयास किया। तत्कालीन वायसराय कर्जन ने उस समय देश के सबसे बड़े बंगाल प्रांत का अक्टूबर 1905 में विभाजन कर दिया।

क्षेत्रफल की दृष्टि से बंगाल भारत का बड़ा प्रांत था। इसमें बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का भी समावेश था। अँग्रेजों ने इस विभाजन को प्रशासनिक सुविधा बताया किंतु उनका उद्देश्य राष्ट्रवाद की भावना को कमजोर करना था।

बंगाल प्रांत के विभाजन के पीछे प्रशासनिक सुविधा एक कारण हो सकता है, किन्तु वायसराय कर्जन का वास्तविक उद्देश्य हिन्दुओं एवं मुसलमानों में फूट डालकर राष्ट्रीय आंदोलन की भावना को कमजोर बनाना था। नवनिर्मित पूर्वी बंगाल में मुसलमान बहुसंख्यक थे। कर्जन की इस नीति का मुख्य उद्देश्य था मुस्लिम बहुल प्रांत का निर्माण करना तथा मुसलमानों को ब्रिटिश शासन का समर्थक बनाना।

बंगाल विभाजन का जनता पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? यदि इस प्रकार कोई घटना हो तो आप क्या करेंगे ? आप सभी आपस में चर्चा कीजिए।

बंगाल विभाजन से जनमत अत्यंत उग्र हो गया। लोगों ने उस दिन शोक दिवस मनाया। ब्रिटिश माल का बहिष्कार किया। स्वदेशी माल को खरीदने की शपथ ली। वन्देमातरम और स्वदेशी का नारा लगाया गया।

स्वदेशी अर्थात् अपने देश के लोगों द्वारा बनाई चीजों का ही उपयोग करना।

विद्यार्थियों ने सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार किया। राष्ट्रीय भावना जागृत करनेवाली शिक्षण संस्थाओं (राष्ट्रीय विद्यालयों) की स्थापना हुई। अब बंग–भंग विरोधी आंदोलन एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया।

बंगाल विभाजन युक्तिसंगत नहीं था इसलिए अँग्रेज शासकों को 1911 में इसे रद्द करना पड़ा। यह घटना राष्ट्रवादियों के लिए बहुत बड़ी विजय थी।

काँग्रेस सतत् क्रियाशील रही। 1906 में काँग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वराज्य, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा तथा विदेशी बहिष्कार के चार सूत्रीय कार्यक्रम को बहुमत से स्वीकार किया। प्रारंभ में काँग्रेस में नरम विचारधारा वाले सदस्यों की बहुतायत थी। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभक्त हो गई जिसे नरमदल एवं गरमदल के नाम से जाना जाता है।

नरम दल –

नरम दल के नेताओं को विश्वास था कि भारतीयों की माँगों पर न्यायोचित विचार करने के लिए ब्रिटिश शासकों को अनुनय–विनय करके मनाया जा सकता है। इसके प्रमुख नेता थे, सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी, गोपालकृष्ण गोखले, फिरोजशाह मेहता आदि। 1905 में नरम विचारधारा वाले नेताओं के स्थान पर गरम विचारधारा अर्थात् उग्र राष्ट्रवादी नेताओं का महत्व बढ़ने लगा।

गोपालकृष्ण गोखले

गरम दल –

गरम दल के नेताओं का मत था कि सरकार से केवल अनुनय–विनय करके भारतीय अपने अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। वे अँग्रेजों की सत्ता को भारत से हर तरह से उखाड़ फेंकना चाहते थे। ब्रिटिश सरकार की सद्भावना में इन नेताओं को कोई आस्था नहीं थी। उन्होंने जनता में आत्म–बल एवं देशप्रेम की भावना जगाई और देश के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिये तैयार रहने को कहा। ये नेता थे लाल–बाल–पाल अर्थात् लाला लाजपतराय, बाल गंगाधर तिलक और विपिनचंद्र पाल।

लाला लाजपतराय — बाल गंगाधर तिलक — विपिनचंद्र पाल

1910 में अँग्रेजों के शोषण के विरुद्ध बस्तर में भूमकाल विद्रोह हुआ था।

इस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन में नरम एवं गरम दल के नेताओं का उद्देश्य एक ही था किंतु इनके कार्य करने के तरीके अलग–अलग थे। इनके कार्यों से देश की जनता में राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई।

लोकमान्य बालगंगाधर तिलक ने **"स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हैं और इसे हम लेकर रहेंगे"** का नारा देकर जनता में देशप्रेम की भावना भर दी। बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित गीत **"वन्दे मातरम"** ने भारतवासियों में मातृभूमि के प्रति प्रेम और श्रद्धा की भावना जगाई।

लोकमान्य तिलक ने 'केसरी' और 'मराठा' नामक समाचार पत्रों के द्वारा राष्ट्रवादियों को एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने जनता में राजनैतिक जागरण के लिए लोकप्रिय उत्सवों जैसे गणेश उत्सव एवं विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए अनेक आंदोलन चलाए।

इसी समय छत्तीसगढ़ के राजिम में पं. सुंदरलाल शर्मा और पं.नारायणराव मेघावाले ने राष्ट्रीय खादी आश्रम की स्थापना की। स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए कम मूल्य में खादी बेचकर खादी को लोकप्रिय बनाया। मूल्य की कमी को उन्होंने अपना खेत बेचकर पूरा किया।

क्रांतिकारी आंदोलन – देश में ऐसे विचारधारावाले नौजवान भी थे जो अँग्रेजों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए उत्साही थे। वे सीधी कार्यवाही पर विश्वास करते थे। ऐसे उत्साही, समर्पित नवयुवकों के संगठन को क्रांतिकारी दल के नाम से जाना जाता था। इस क्रांतिकारी संगठन के अधिकांश सदस्य जोशीले नौजवान थे। वे गोला–बारूद बनाने एवं हथियार चलाने का प्रशिक्षण लेते

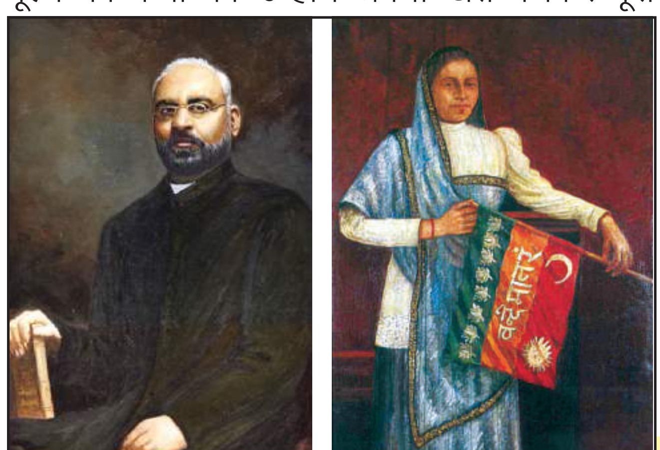

श्यामजी कृष्ण वर्मा — मैडम भीखाजी कामा

एम.बरकतउल्लाह

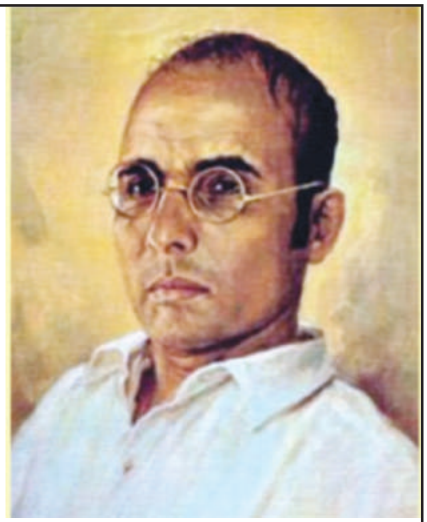

बी.डी.सावरकर

थे एवं अँग्रेजों के विरुद्ध सक्रिय संघर्ष के पक्षधर थे। वे महाराष्ट्र में अभिनव भारत एवं बंगाल में अनुशीलन समिति के सदस्य के रूप में सक्रिय थे। वे पंजाब और उत्तर भारत में भी अधिक क्रियाशील थे।

इनके अलावा विदेशों में भी श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम भीकाजी कामा, एम. बरकतउल्लाह, बी.बी.एस. अय्यर,रास बिहारी बोस, बी.डी.सावरकर, ओबेदुल्ला आदि क्रांतिकारी प्रमुख थे। ये क्रांतिकारी अपने उद्देश्य में आंशिक रूप से सफल भी हुए। इनके आत्मबलिदान ने भारतीयों के हृदय में देशप्रेम और विदेशी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष की भावना का प्रचार–प्रसार किया। ये क्रांतिकारी देश के लिए प्रेरणास्रोत बने।

अँग्रेजों की भारतीयों में फूट डालो नीति के कारण ढाका के नवाब सलीमउल्ला खाँ की अध्यक्षता में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश सत्ता के प्रति निष्ठा प्रकट की थी। बाद में उन्हें भी अँग्रेजों की दोहरी नीति समझ में आ गई। अंततः लखनऊ में सन् 1916 की सर्वदलीय बैठक में समझौता हुआ। परिणामस्वरूप हिन्दू–मुस्लिम दोनों ने मिलकर असहयोग आंदोलन में अँग्रेजों के विरुद्ध जबरदस्त संघर्ष किया। छत्तीसगढ़ में भी क्रांतिकारी संगठन संचालित हुए। इन संस्थाओं में मालिनी रीडिंग क्लब, पीपुल टीचर्स एसोसिएशन, कवि समाज राजिम एवं छत्तीसगढ़ बाल समाज प्रमुख संगठन थे। इन संगठनों ने छत्तीसगढ़ के युवकों को सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परिवर्तन की प्रेरणा दी और छत्तीसगढ़ की जनता में राष्ट्रीय जागृति के मार्ग को प्रशस्त किया। उनका उद्देश्य समाज–सुधार के साथ ही राष्ट्रीय भावना को विकसित करना था।

नरमदल और गरमदल का प्रभाव रायपुर के प्रांतीय अधिवेशन पर भी पड़ा। यहाँ वन्देमातरम् राष्ट्रीय गीत से कार्यवाही की शुरुआत करने के सुझाव पर वैचारिक मतभेद हुए। दादा साहेब खापर्डे एवं उनके साथियों ने तात्यापारा रायपुर के हनुमान मंदिर के सामने 'वन्दे मातरम्' का सामूहिक नारा लगाया तथा जनसभा में स्वदेशी के महत्व को समझाया।

सन् 1911 में कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया।

दिल्ली को भारत की राजधानी क्यों बनाया गया ? आपस में चर्चा कीजिए।

यूरोप में कुछ ऐसे भारतीय युवा छात्र थे, जो कि भारत की आजादी के लिए सशस्त्र क्रांति एवं संघर्ष का विचार रखते थे। ऐसे ही विचारवाले युवाओं का एक दल 'गदर पार्टी' के नाम से 1913 में उत्तर अमेरिका में सक्रिय था। उसके नेता लाला हरदयाल थे। इनकी सक्रियता के कारण ही इन्हें देश से निष्कासित किया गया था। कुछ समय बाद गदर पार्टी के कुछ सदस्य भारत में लौट

आए। प्रथम विश्वयुद्ध से लौटे सिपाहियों के बीच सशस्त्र क्रांति के तरीकों का प्रचार किया। इसी बीच यूरोप के साम्राज्यवादी देशों के दो विरोधी गुटों के बीच शत्रुता के कारण सन् 1914 में एक बड़ा युद्ध हुआ जो 1918 तक चला। इसे ही प्रथम विश्वयुद्ध कहते हैं।

ब्रिटिश सरकार ने भारतीय साधनों और सिपाहियों का युद्ध में उपयोग किया। प्रथम विश्वयुद्ध का प्रभाव एवं ब्रिटिश सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण से दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दाम बढ़ने लगे। इस समय ब्रिटिश सरकार ने नागरिकों पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए। अतः भारतीयों में असंतोष बढ़ने लगा था। ऐसी स्थिति को देखते हुए आयरलैंड से भारत आई, महिला डॉ.श्रीमती एनी बेसेंट ने होमरूल आंदोलन प्रारंभ किया।

होमरूल अर्थात् स्वशासन जिसका अर्थ है अपने शासन को स्वयं चलाना। इससे देश के आंतरिक शासन को संचालित करने का अधिकार भारतीयों को प्राप्त हो जाता। इसे ही स्वराज्य भी कहा जाता है।

डॉ. श्रीमती एनी बिसेंट

डॉ. एनीबेसेंट एवं बालगंगाधर तिलक ने सम्पूर्ण देश में सघन दौरा किया एवं स्वराज्य की माँग को लोगों तक पहुँचाया।

भारत में बढ़ते असंतोष, होमरूल आंदोलन की बढ़ती लोकप्रियता और यूरोप की युद्धजन्य परिस्थितियों के कारण ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को कुछ महत्वहीन विभाग सौंप दिए थे। इसी नियम के अंतर्गत मध्यप्रांत के विधान परिषद का प्रथम चुनाव हुआ। इसमें छत्तीसगढ़ से बहुत से नेता चुनकर गए जिनमें प्रमुख थे, ई. राघवेन्द्र राव, पं.रविशंकर शुक्ल, शिवदास डागा एवं बाजीराव कृदत्त आदि।

(ग) भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और गांधी जी–

सन् 1920 से राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गाँधी ने किया। गाँधी जी की नेतृत्व शैली एवं आंदोलन की नई पद्धति ने राष्ट्रीय आंदोलन को अधिक व्यापक बनाया। इससे स्वाधीनता संघर्ष में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई।

महात्मा गाँधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गाँधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर सन् 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा के बाद वे इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे एक बैरिस्टर (वकील) के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में गोरों अर्थात यूरोपीयों का शासन था। अफ्रीकी लोगों तथा वहाँ रहनेवाले भारतीयों को हीन समझा जाता था। उनके द्वारा दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए उन्होंनें वहाँ के भारतीयों पर होनेवाले अत्याचारों के खिलाफ अँग्रेज शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। अँग्रेजों द्वारा भारतीयों के साथ रंगभेदी व्यवहार को देखकर उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया जिससे सरकार को झुकना पड़ा।

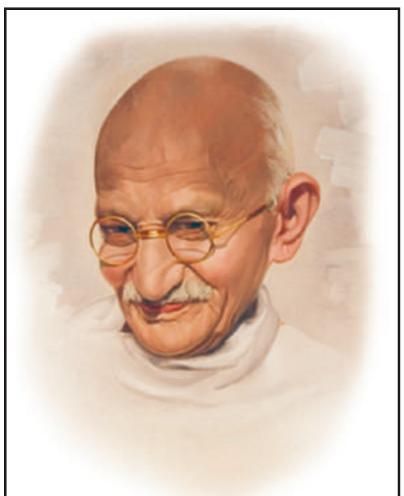
मोहनदास करमचंद गाँधी

सत्याग्रह– अत्याचार, शोषण के विरुद्ध आंदोलन का अहिंसात्मक तरीका है। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिये आग्रह अर्थात् शोषण के विरुद्ध शांति पूर्ण तरीके से आंदोलन।

दक्षिण अफ्रीका से गाँधी जी सन् 1915 ई. में भारत लौटे। भारतीय राजनीति में उनका पदार्पण प्रथम महायुद्ध के दौरान हुआ। उन्होंने अत्याचारों एवं शोषण के विरुद्ध संघर्ष का अपना तरीका विकसित किया। इसका व्यावहारिक अनुभव उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में प्राप्त किया था। वे आंदोलन के लिए हिंसा का मार्ग अपनाना उचित नहीं मानते थे। उनका विश्वास था कि हमें सत्य के लिए आग्रह करना चाहिए अर्थात् सत्याग्रह।

गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए कार्यक्रम बनाए।

1. *अन्याय करने वाले का सहयोग न करना अर्थात् असहयोग*
2. *अनुचित बातों को मानने से इंकार करना अर्थात् अवज्ञा।*

गाँधी जी ने सम्पूर्ण भारत का भ्रमण करके भारतीयों की दशा का अध्ययन किया। इस लिए उन्होंने किसानों, मजदूरों एवं दलितों की समस्याओं को उठाया। गाँधी जी लोगों की छोटी–छोटी किंतु महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने के लिए आंदोलन करते थे। वे सरकार से माँग करते थे कि लगान कम करे; जंगल के उपयोग पर पाबंदी हटाए, शराब की बिक्री बंद करे।

वे शराब की बिक्री बंद क्यों कराना चाहते थे ? क्या वर्तमान में बिक्री नहीं होती है? ऐसा क्यों है ? आपस में चर्चा कीजिए।

गांधी जी के नेतृत्व में हजारों–लाखों की संख्या में लोग ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरूद्ध आंदोलन के लिए निकल पड़े। आइए जानें कि 1920 में असहयोग आंदोलन शुरु करने के पूर्व गांधी जी के नेतृत्व में मुख्य रूप से कहाँ–कहाँ सत्याग्रह किए गए–

चम्पारण –

बिहार अंचल के चम्पारण जिले में अँग्रेज जमींदारों द्वारा किसानों को नील की खेती करने के लिए विवश किया जाता था। अँग्रेजों ने बंगाल पर कब्जे के बाद अफीम, जूट और नील की खेती को बढ़ावा दिया था। अँग्रेज किसानों को जबरदस्ती नील उगाने के लिए बाध्य करते थे।

अफीम, नील, जूट– ये तीनों ही व्यावसायिक फसलें थीं। इनका किसानों के लिए कोई उपयोग नहीं था। वे इन्हें बाजार में या फिर अँग्रेज जमींदारों को ही बेचते थे। अफीम का इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता है। उस वक्त अँग्रेज व्यापारी इसे चीन में ले जाकर बेचते थे जिससे उन्हें काफी मुनाफा होता था। नील का इस्तेमाल कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता है। आज जो हम नील इस्तेमाल करते हैं वह एक प्रकार का रसायन है। लेकिन सन् 1920 के दशक से पहले इसकी खेती होती थी। आज इसकी खेती नहीं होती। जूट तो आप जानते ही होंगे। इससे रस्सी, बोरे, कपड़े, थैला आदि बनाए जाते हैं।

नील उगाने को मजबूर किए जा रहे किसान कई बार विरोध करते थे। अँग्रेजों के अत्याचार से किसानों को मुक्त कराने के लिए गांधी जी ने चम्पारण जाकर सत्याग्रह किया। आखिर में सरकार ने अँग्रेज जमीदारों द्वारा जबरदस्ती नील की खेती कराने की प्रथा को रद्द किया।

खेड़ा सत्याग्रह –

गुजरात के खेड़ा जिले में अकाल पड़ा और प्लेग भी फैला। फलस्वरूप लगान चुकाना किसानों के लिए असम्भव हो गया। खेड़ा जिले में लगानबंदी के लिए आंदोलन हुआ। गाँधी जी के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन किया। सरकार को झुकना पड़ा और लगान माफ कर दिया गया।

कंडेल सत्याग्रह –

छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के कंडेल ग्राम का सत्याग्रह देशव्यापी हो गया। धमतरी के पास महानदी के तट पर रुद्री नामक स्थान है, तथा माडम सिल्ली में भी इसी नदी पर बाँध बनाया गया है। इससे नहर निकाली गई है जिस पर सरकार नहर कर वसूलती थी। इसके लिए दसवर्षीय अनुबंध करना पड़ता था। वह राशि इतनी अधिक हो जाती थी कि इस राशि से किसान अपने गाँव में ही सिंचाई के लिए एक विशाल तालाब निर्मित कर सकते थे। अतः किसान उस अनुबंध के लिए तैयार नहीं थे। अँग्रेजी प्रशासन ने जबरदस्ती कंडेल ग्राम नहर पानी छोड़ दिया। किसानों से हर्जाना वसूल करते हुए अनुबंध के लिए बाध्य किया। पानी चोरी करने का आरोप भी लगाया। ग्रामवासियों को सत्याग्रह करना पड़ा। पं सुंदरलाल शर्मा, नारायणराव मेघावाले एवं बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव इस आन्दोलन के सूत्रधार थे। अगस्त 1920 में सम्पूर्ण जिले में एक साथ आंदोलन हुआ। किंतु अँग्रेज नौकरशाही ने इसकी परवाह नहीं करते हुए रकम वसूली हेतु कुर्की वारंट जारी कर दिया। ग्रामवासियों के सभी मवेशियों (पशुओं) को कुर्क कर लिया। शासन पशुओं की नीलामी करके धनराशि प्राप्त करने की योजना बनाने लगी बाजार के दिन गाँव–गाँव में पशुओं को नीलामी हेतु ले जाया जाता था। हर गाँव में बोली लगाना तो दूर ग्रामवासी उन पशुओं के नजदीक तक नहीं जाते थे।

ग्रामवासी नीलामी बोली क्यों नहीं लगाते थे ? क्या आज भी पशुओं की नीलामी होती है? उसकी प्रक्रिया पर आपस में चर्चा कीजिए।

जनता में राष्ट्रीय चेतना आ रही थी। शासन को इससे भारी निराशा हुई। कंडेल ग्राम में यह सत्याग्रह पाँच महीने तक चला। अतः गाँधी जी से इस आंदोलन के नेतृत्व का आग्रह किया गया जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और नागपुर में होनेवाले काँग्रेस अधिवेशन के समय छत्तीसगढ़ के कंडेल ग्राम में आने का समय दिया।

इस मध्य रायपुर डिप्टी कमिश्नर ने जाँच–पड़ताल की। इससे शासन को सही तथ्यों की जानकारी हुई। किसानों द्वारा दृढ़तापूर्वक सत्य पर अड़े रहने के कारण शासन को संपूर्ण कार्यवाही रद्द करनी पड़ी और मवेशियों को छोड़ना पड़ा। गाँधी जी के छत्तीसगढ़ आगमन के पूर्व ही यह कंडेल किसान आंदोलन/सत्याग्रह सफलतापूर्वक समाप्त हो गया।

गाँधी जी के 20 दिसम्बर 1920 को छत्तीसगढ़ आगमन से यहाँ की राजनीतिक हलचलें बढ़ीं तथा राष्ट्रीय आंदोलन और तीव्र हो गया। रायपुर, धमतरी प्रवास में गाँधी जी के स्वागत हेतु अपार जनसमूह उमड़ पड़ा। आंदोलन की इस शानदार विजय के बाद गाँधी जी ने भी छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया। स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने में यहाँ की जनता का मार्गदर्शन तथा उत्साहवर्धन किया। जनता का उत्साह दर्शनीय था।

धमतरी के प्रसिद्ध मकई चौक में गाँधी जी के भाषण की व्यवस्था थी। अपार जन समूह गाँधी जी को देखने, सुनने एकत्रित था। खुली कार से ले देकर मुख्य द्वार तक तो पहुँचे किन्तु अपार

जन समूह के कारण गाँधी जी मंच तक पहुँचने में असमर्थ थे अतः पास के गुरूर नामक गाँव का एक व्यापारी उमर सेठ ने गांधी जी को अपने कंधों पर बैठाकर सुसज्जित मंच पर पहुँचाया।

धमतरी एवं कुरूद से वापस लौटने के बाद गाँधी जी पुनः रायपुर में रुके और महिलाओं की एक सभा को संबोधित किया। यहाँ तिलक स्वराज्य फंड हेतु महिलाओं ने तुरन्त हजारों रुपए के गहने उन्हें दे दिये। गाँधी जी ने युवकों के साथ महिलाओं को भी राष्ट्रीय आंदोलन में जूझने की प्रेरणा दी।

मिल मजदूर आंदोलन –

ठाकुर प्यारे लाल सिंह

लगातार मँहगाई बढ़ते जाने पर भी अहमदाबाद की सूती कपड़े की मिलों के मजदूरों के वेतन में वृद्धि नहीं की जा रही थी और बोनस भी नहीं दिया गया था। गांधी जी ने मजदूरों के समर्थन में आंदोलन किया। अतः मालिकों को हार माननी पड़ी।

इस समय मजदूरों में राष्ट्रीय जागृति आ चुकी थी। सन् 1908 में बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में मुंबई में मजदूरों ने हड़ताल कर दी। 1917 में रूस की क्रांति की सफलता के कारण भारत में भी मजदूर संगठनों की स्थापना हुई। इन संगठनों ने कई बार मजदूर हितों के लिए संघर्ष और आंदोलन किया; इन्हें सफलता भी मिली।

छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी मिल 'बंगाल–नागपुर कॉटन मिल', राजनादगाँव में थी। यहाँ के मजदूरों में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव पड़ा। अपनी स्थिति को सुधारने के लिए मजदूरों ने हड़ताल कर दी। इस हड़ताल का नेतृत्व वहाँ पर वकालत कर रहे ठाकुर प्यारे लाल सिंह ने किया।

इस समय तक संपूर्ण भारत राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव से उत्साहित था। देश में बढ़ते जा रहे राष्ट्रीय आंदोलन पर नियंत्रण रखने के लिए अँग्रेज सरकार ने 1919 में रोलेट एक्ट नामक नया कानून बनाया। इससे सरकार को किसी भी भारतीय को बिना किसी आरोप सिद्ध हुए या न्यायालय में पेश किये बगैर कारागार में बंद रखने का अधिकार था। काला कानून के रूप में कुख्यात इस एक्ट के विरुद्ध संपूर्ण देश में विरोध की लहर फैल गई।

जलियाँवाला बाग हत्याकांड –

रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन ने पंजाब में अधिक उग्र रूप धारण किया।

PS57MC

जलियाँवाला बाग हत्याकांड का एक चित्र

सरकार का दमन चक्र और तेज हुआ। राष्ट्रवादी नेता सत्यपाल और डॉ. सेफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियाँवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया था। यह बाग तीन ओर से ऊँची दीवारों से घिरा था और एक मात्र छोटी गली से बाग में आने–जाने का रास्ता था।

13 अप्रैल 1919 की इस सभा में काफी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। इनमें युवक, वृद्ध, पुरुष, महिलाएँ तथा बच्चे भी थे। तभी अचानक ब्रिटिश जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। इसमें कई सौ निर्दोष लोगों की मृत्यु हो गई और हजारों लोग घायल हुए। वह बैसाखी त्यौहार का दिन था।

जलियाँवाला बाग की दीवारों पर गोलियों के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। जलियाँवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक है।

इस जघन्य हत्याकांड के कारण संपूर्ण भारत में आक्रोश एवं विरोध प्रगट करने के लिए सर्वत्र सभाएँ हुईं। बिलासपुर एवं रायपुर में भी सभा हुई, जहाँ उस हत्याकांड की आलोचना कटु शब्दों में की गई। कविवर रवीन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त सम्मान ''सर'' की उपाधि का परित्याग किया। इसने मध्यमवर्गी राष्ट्रवाद को जन–जन वर्गीय राष्ट्रवाद में परिवर्तित कर दिया।

(घ) पूर्ण स्वराज्य की ओर –

जलियाँवाला बाग कांड से भारतीय जनता बहुत संतप्त थी। इंग्लैंड की संसद के उच्च सदन ने तो जनरल डायर के कार्यों का समर्थन भी किया था। इन घटनाओं से अँग्रेजों की न्याय परायणता से उदारवादी नेताओं का भी विश्वास जाता रहा। इन्हीं दिनों भारत के मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया।

तुर्किस्तान के सुल्तान विश्व के सभी मुसलमानों के धर्म गुरू थे। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद अंग्रेजों ने तुर्की की नई सरकार पर समझौते के अन्तर्गत कठोर शर्तें लाद दीं। इसके अनुसार खलीफा (धर्मगुरू) का पद समाप्त कर दिया गया। इसे पुनः स्थापित करने के लिए भारतीय मुसलमानों ने आंदोलन किया। यही खिलाफत आंदोलन कहलाता है। गांधी जी का विश्वास था कि खिलाफत के प्रश्न पर राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन किया जाए तो हिंदू–मुसलमान एकता तो सुदृढ़ होगी ही वहीं राष्ट्रीय आंदोलन और सशक्त बनेगा। अतः गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और 1 अगस्त 1920 ई. को असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया।

असहयोग आंदोलन को देश भर में समर्थन मिला। विद्यार्थी भी अब बड़ी संख्या में शामिल हुए। राष्ट्रीय शिक्षा देनेवाले विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना हुई। राष्ट्रवादियों ने दिल्ली में **जामिया मिलिया** तथा वाराणसी में **काशी विद्यापीठ** जैसी राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएँ स्थापित कीं। लोगों ने सरकारी नौकरी छोड़ दी। वकीलों ने अदालत का बहिष्कार कर दिया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और उनकी होली जलाई गई। छत्तीसगढ़ में किसानों एवं मजदूरों ने अत्यधिक उत्साह और तत्परतापूर्वक भाग लिया। जनता ने काँग्रेस के कार्यक्रमों को प्रबल समर्थन दिया। स्वदेशी का प्रभाव गाँव–गाँव पहुँच गया। अँग्रेजों के अत्याचार, गोलीबारी और गिरफ्तारियाँ आंदोलन की लहर को नहीं रोक सकीं। अँग्रेजों नें आंदोलन को बर्बरतापूर्वक कुचलने का प्रयास किया।

केरल प्रांत के कुछ भागों में मोपला किसानों ने आंदोलन किया। मोपला कैदियों को रेल बैगनों में ठूँसकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया गया। दम घुटने से 67 मोपला किसानों की मृत्यु हो गई। अँग्रेजों ने 45 हजार मोपला किसानों को बंदी बनाया। गांधी जी ने गुजरात के बारदोली स्थान पर यह आंदोलन शुरू किया। जनता अब खुलेआम घोषणा करती थी कि वह कर नहीं पटाएगी। गाँधी जी ने सदैव इस बात पर जोर दिया कि समूचा आंदोलन शांतिपूर्ण एवं अहिंसक होना चाहिए। 5 फरवरी 1922 को उत्तरप्रदेश के चौरी–चौरा में लोगों ने शांतिपूर्ण जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों की पुलिस से बहस हो गई। उसके बाद क्रुद्ध भीड़ ने पुलिस चौकी में आग लगा दी। कई सिपाही जलकर मर गए। अँग्रेजी शासन ने 22 सिपाहियों की हत्या के जुर्म में 19 किसानों को फाँसी पर चढ़ाया और 150 किसानों को कालापानी का दंड दिया। इस घटना से गाँधी जी अत्यंत दुखी हुए और 12 फरवरी 1922 को उन्होनें असहयोग आंदोलन वापस ले लिया।

गाँधी जी ने चौरी–चौरा कांड के बाद आंदोलन क्यों वापस ले लिया ? देश में इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई होगी ?

असहयोग आंदोलन स्थगित किए जाने के कारण कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोती लाल नेहरू, चितरंजन दास के मन में सरकार के कार्यों में बाधा डालने के लिए चुनाव लड़कर विधान मंडलों में प्रविष्ट होने का विचार आया। काँग्रेस में ही कुछ सदस्यों ने स्वराज दल के नाम से एक स्वतंत्र गुट बनाया। 1923 के विधान मंडल के चुनाव में जीतकर केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान मंडलों में पहुँचे। केंद्रीय विधान मंडल में मुस्लिम लीग की सहायता से उन्होंने नागरिक अधिकारों का हनन करनेवाली सरकारी योजनाओं का विरोध किया। मध्यप्रांत के विधान मंडल में छत्तीसगढ़ के स्वराज दल के चुने हुए प्रतिनिधियों ने 1919 के अधिनियम की कमियों को उजागर किया।

आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत–से नौजवान क्रांतिकारी तरीके से संघर्ष करना चाहते थे।

असहयोग आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी सशस्त्र क्रांति का रास्ता छोड़कर असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। असहयोग आंदोलन अचानक वापस ले लेने के कारण उन्हे निराशा हुई। उन्होंने अपना क्रांतिकारी आंदोलन पुनः प्रारंभ किया। पुराने सक्रिय क्रांतिकारी सचिन्द्र नाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल तथा योगेशचन्द्र चटर्जी इनके नेता थे।

इन क्रांतिकारियों ने लखनऊ के निकट काकोरी में एक रेलगाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूटा। सरदार भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने लाहौर में पुलिस सार्जेंट सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सैंडर्स ने एक प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय पर लाठियाँ बरसाई थीं जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद भगत सिंह और सुखदेव ने दिल्ली की केंद्रीय विधान सभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका। उनके बम फेंकने का उद्देश्य किसी को मारना या घायल करना नहीं था, बल्कि अपनी बात आम जनता तक पहुँचाना था। इसीलिए बम फेंकने के बाद वे भागे नहीं बल्कि वहीं खड़े रहे। इस बम कांड में गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह, राजगुरु और

सुखदेव को सैंडर्स की हत्या के आरोप में फाँसी की सजा दी गई थी। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एक मुठभेड़ के दौरान चन्द्रशेखर आजाद शहीद हो गए। आजाद के शहीद होने के पश्चात् पंजाब, उत्तरप्रदेश और बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन लगभग समाप्त–सा हो गया।

राजगुरू

भगत सिंह

सुखदेव

इसी बीच राष्ट्रीय आंदोलन में नौजवान नेताओं पर समाजवादी विचारों एवं रूसी क्रांति का गहरा प्रभाव पड़ा। समानता पर आधारित समाज की स्थापना में राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य बनाया। इनमें प्रमुख नेता थे पंडित जवाहर लाल नेहरू एवं सुभाषचन्द्र बोस।

पं. जवाहर लाल नेहरू ऐसे राष्ट्रीय नेता थे जिन्होने राजाओं द्वारा शासित राज्यों में शुरू हुए जनता के संघर्ष को आजादी के राष्ट्रीय आंदोलन का अंग बनाने में सहायता की।

सुभाषचन्द्र बोस कुशाग्र बुद्धिवाले ऐसे राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देकर देश के विद्यार्थियों और जवानों को आजादी के संघर्ष में जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

पं. जवाहर लाल नेहरू

संपूर्ण भारत में पं. जवाहर लाल नेहरू ''चाचा नेहरू'' तथा सुभाष चन्द्र बोस ''नेता जी'' के नाम से लोकप्रिय हैं।

हमारे देश में इसी प्रकार अन्य कई राष्ट्रीय नेता हैं जो अन्य उपनाम से लोकप्रिय हैं। इनकी सूची बनाइए। आपके क्षेत्र के भी कुछ लोकप्रिय नेताओं के नाम जोड़कर उनका जीवन परिचय संग्रह कीजिए।

सन् 1929 ई. के दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में कॉंग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन में पं. जवाहरलाल नेहरू ने विशाल जन समुदाय की उपस्थिति में 'राष्ट्रीय ध्वज' फहराया और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति तक निरंतर संघर्ष करते रहने की शपथ ली।

26 जनवरी 1930 को सम्पूर्ण देश में प्रतिज्ञा दिवस मनाया गया।

इसके फलस्वरूप देश भर में सर्वत्र उत्साह का वातावरण बन गया। इस अधिवेशन में गांधी जी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वे अँग्रेज शासन के खिलाफ एक और आंदोलन शुरू करें।

गाँधी जी ने वायसराय से नमक पर लगे कर तथा नमक बनाने के सरकार के एकाधिकार को समाप्त करने की माँग की। नमक जैसी आवश्यक वस्तु पर कर लगाया जाना अन्यायपूर्ण था। नमक सत्याग्रह प्रतीकात्मक था। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के सभी अत्याचारों एवं अन्यायपूर्ण कानूनों की अवहेलना करना।

गांधी जी ने 78 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से समुद्र के किनारे दांडी नामक स्थान की ओर प्रस्थान किया। 385 कि.मी. की इस पदयात्रा में असंख्य कार्यकर्ता आ मिले। 6 अप्रैल सन् 1930 को दांडी पहुँचकर समुद्र तट में नमक बनाकर उन्होंने कानून भंग किया। इसके साथ ही देश भर में कानूनों की अवज्ञा का आंदोलन आरंभ हो गया।

उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने 'खुदा–ई–खिदमतगार' नामक संगठन बनाया और पेशावर में सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया।

छत्तीसगढ़ में बिलासपुर नगर पालिका की बैठक में शासकीय भवनों पर राष्ट्रीय तिरंगा फहराने का प्रस्ताव पारित हुआ। वहीं संपूर्ण छत्तीसगढ़ में 'कर न दो और पट्टा मत लो' का आन्दोलन शुरू हुआ।

छत्तीसगढ़ में 'जंगल सत्याग्रह' कार्यक्रम का सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान है। यह आंदोलन सर्वाधिक अवधि तक चलनेवाला प्रभावशाली आंदोलन रहा है। इसकी विशेषता यह थी कि इसमें शहरी लोगों की अपेक्षा ग्रामीणों एवं आदिवासियों ने विशेष साहस का प्रदर्शन किया था। ब्रिटिश शासन ने जंगल के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था जबकि वनवासियों का जंगलों पर पुस्तैनी अधिकार था।

प्रसिद्ध डांडी मार्च के दौरान गाँधी जी अपने स्वयंसेवकों के साथ

दुर्ग जिले का मोहबना जंगल सत्याग्रह शांतिपूर्ण एवं सफल रहा। पौंडी गाँव के जंगल सत्याग्रह ने जन समुदाय को भी प्रभावित किया। रुद्री नवागाँव (धमतरी जिला) का जंगल सत्याग्रह इतना उग्र था कि संपूर्ण धमतरी तहसील उसके प्रभाव में आया। महासमुंद जिले के तमोरा गाँव में एक महिला दयावती के नेतृत्व में धारा 144 तोड़कर जंगल कानून भंग किया गया। पकरिया जंगल सत्याग्रह में दो हजार ग्रामीणों ने अपने 4000 पशुओं के साथ जंगल कानून तोड़ा। इस मध्य 6 अप्रैल से 13 अप्रैल 1930 ई. तक राष्ट्रीय सप्ताह मनाने की योजना बनाई गई जिसका स्वरूप था, झंडा दिवस, बहिष्कार दिवस, राजबंदी दिवस।

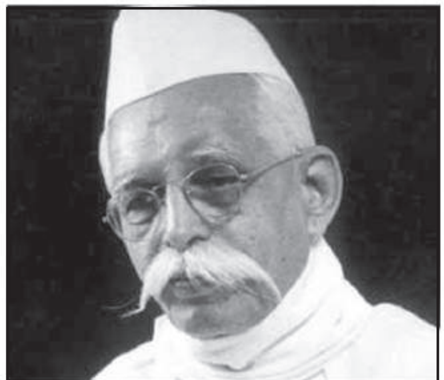

पं. रविशंकर शुक्ल

8 जनवरी 1932 को पं.रविशंकर शुक्ल की अध्यक्षता में द्वितीय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम तय हुए। इसमें विदेशी वस्तु बहिष्कार मुख्य कार्यक्रम था जो सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में प्रभावशाली ढ़ंग से संचालित हुआ। इस अंचल में जगह–जगह सत्याग्रह आश्रम स्थापित किए गए। इसके बाद सन् 1937 ई में देश भर में विधान मंडलों के लिए चुनाव हुए। इस चुनाव के बाद अधिकांश प्रातों में काँग्रेस की सरकार बनी। काँग्रेसी सरकार ने जनता की भलाई के लिए कई काम किए, किंतु 1939 ई. में द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के भाग लेने का निर्णय अँग्रेज शासकों द्वारा लिए जाने के कारण इन सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। काँग्रेस के नेताओं ने एक बार फिर गांधी जी से देशव्यापी आंदोलन छेड़ने के लिए अनुरोध किया।

सुभाषचन्द्र बोस

इस मध्य संपूर्ण भारत में क्रांतिकारी गतिविधियाँ निरंतर होती रहीं। राष्ट्रीय नेता भूमिगत होकर कार्य संचालित करने लगे। नेता जी सुभाषचंद्र बोस ने ''फारवर्ड ब्लाक'' नाम से युवकों का संगठन स्थापित किया तथा कालांतर में त्वरित कार्यवाही हेतु ''आजादहिंद फौज'' का गठन किया।

सुभाषचंद्र बोस ने भारतीयों को संघर्ष में शामिल होने का आह्वान करते हुए कहा– ''तुम मुझे खून दो– मैं तुम्हें आजादी दूँगा।''

छत्तीसगढ़ में भी युवकों ने असेंबली में बम कांड जैसा साहसिक कार्य करने का संकल्प लिया था। उन्होंने रायपुर नगर में अपने साथियों के साथ मिलकर बम, रिवाल्वर बनाना सीख लिया था। इसमें परसराम सोनी, सुधीर मुखर्जी, मंगल मिस्त्री, सूर बंधु आदि अनेक लोग शामिल थे। किंतु इन क्रांतिकारियों को उनके ही अपने मित्र की मुखबिरी के कारण पकड़ लिया गया। इतिहास में यह 'रायपुर षड़यंत्र केस' के नाम से जाना जाता है, जिसमें 15 अभियुक्त एवं 71 गवाह थे। रायपुर षड़यंत्र के क्रांतिकारियों को कठोर सजा दी गई।

मुंबई के विशेष अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को ' अँग्रेजों! भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। ब्रिटिश सरकार ने हर संभव कठोरता एवं बर्बरता से आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। अंततः गांधी जी ने पूरे देश से आह्वान किया – ''करो या मरो''।

सार्वजनिक स्थानों पर तिरंगा फहराया गया। सत्याग्रहियों ने गिरफ्तारी दी। वास्तव में यह सबसे व्यापक स्तर पर अहिंसात्मक जन आंदोलन शुरू करने की स्वीकृति थी, जिसका लक्ष्य स्पष्ट था। यह दिखाई दे रहा था कि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद भारतीयों को अब अँग्रेज सरकार का कोई भय नहीं था।

जेल से रिहा होनेवाले नेताओं की अगवानी के लिए भारी भीड़ जमा होने लगी। युद्ध के दौरान अँग्रेज सरकार ने कुछ मामूली–सी संवैधानिक सुधारों की सिफारिश की थी, किंतु भारतीय नेताओं ने अस्वीकार कर दिया।

वायसराय ने काँग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं से चर्चा की। मुहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि कार्यकारी परिषद् में मुस्लिम प्रतिनिधि की नियुक्ति का पूर्ण अधिकार मुस्लिम लीग को मिले यह काँग्रेस को मान्य नहीं था।

मार्च 1946 में अँग्रेज सरकार ने स्वतंत्रता की माँग स्वीकार कर ली। काँग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता वार्ता आवश्यक माना गया। इधर फरवरी 1946 के प्रांतीय परिषदों के चुनाव में काँग्रेस को बहुमत से सफलता मिली थी। इसलिए 1946 में अंतरिम सरकार के गठन को स्वीकृति मिली जिसका नेतृत्व पं. जवाहरलाल नेहरू के हाथों में था। इसके विरोध में मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस मनाया। इससे हिन्दू और मुस्लिम दोनों ही प्रभावित हुए। पुनः वार्ता की गई। निर्णय हुआ कि अँग्रेज जून 1948 तक भारत से बाहर चले जाएँगे।

इस संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत नए वायसराय लार्ड माउंट बेटन को भारत भेजा गया। इंग्लैंड की संसद में एक कानून पारित किया गया जिसे 1947 का भारतीय स्वाधीनता अधिनियम कहते हैं। काँग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य विवाद को सुलझाने का भरसक प्रयास किया गया। अंततः देश में हो रहे दंगे एवं अंतरिम सरकार में मतभेद तथा तनावों के कारण देश का विभाजन अनिवार्य हो गया। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींचने के लिए विभाजन परिषद् एवं सीमा आयोग ने अपना कार्य शुरू कर दिया। 1947 में सभी राजनैतिक दलों ने पाकिस्तान को अलग राष्ट्र के रूप में स्वीकार कर लिया। दोनों देशों की सीमाएँ निर्धारित की गई। ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित भारतीय स्वाधीनता अधिनियम के अंतर्गत भारत तथा पाकिस्तान दो स्वतंत्र देशों में बाँट दिया गया। इसलिए भारत 15 अगस्त तथा पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है।

स्वाधीनता संग्राम की प्रमुख घटनाएँ 1879–1947

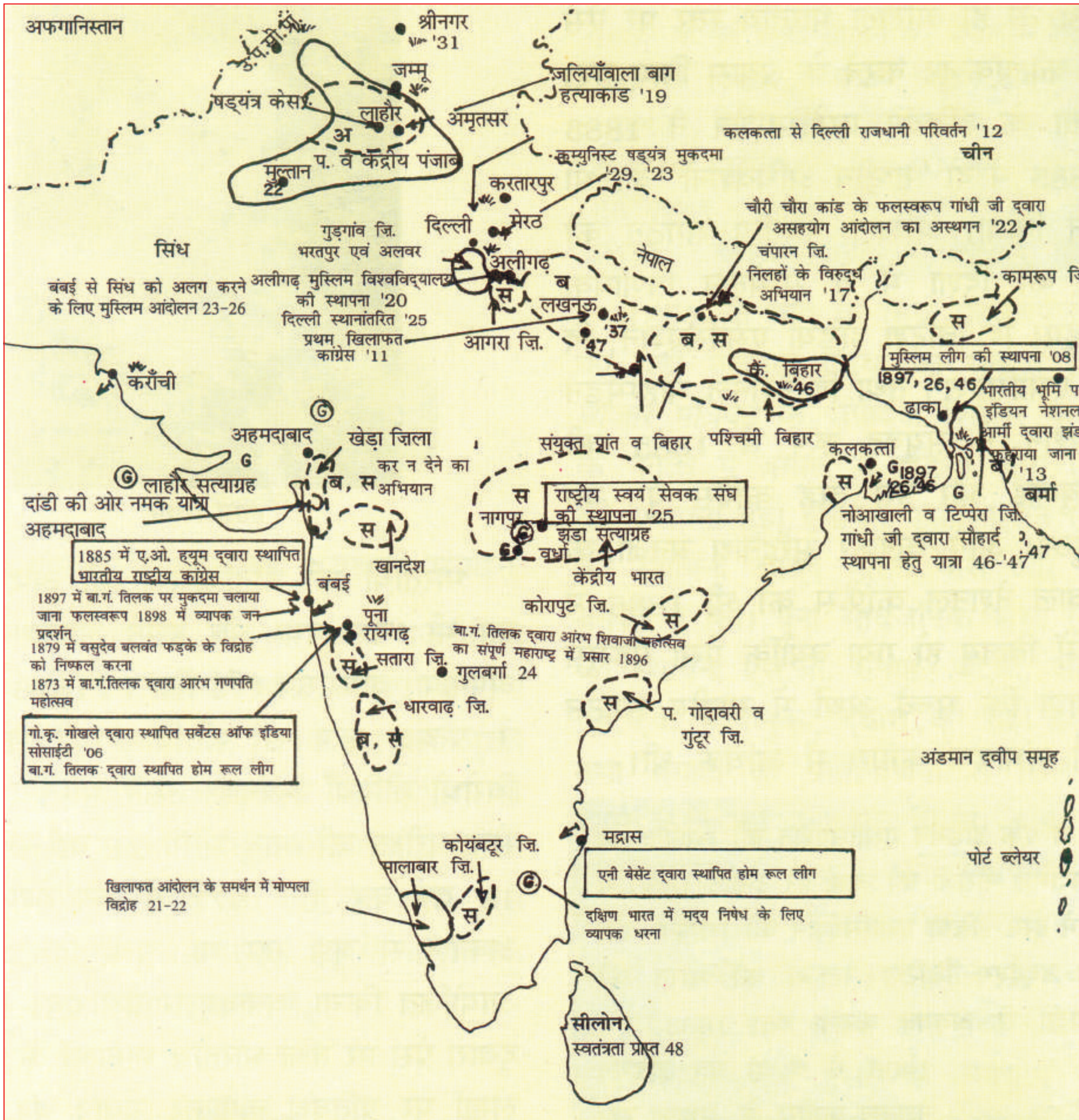

संकेत

- G — स्थापना की तिथि के साथ गांधी आश्रम
- ◯ — गांधीवादी गतिविधियाँ
- प्रमुख दंगे जिनका राजनीतिक परिणाम रहा
- शाही भारतीय नौसेना विद्रोह के प्रमुख स्थल, 1946
- स्वतंत्रता अभियानों व वृहद अस्थिरता के क्षेत्र : अ 1919, ब 1920–1922, स 1942
- सांप्रदायिक दंगों के प्रमुख क्षेत्र, 1946–1947
- राजनीतिक/सामाजिक आंदोलन (ऐसे आंदोलन जिन्हें व्यापक समर्थन मिला उन्हें स्थापना स्थल के मुख्यालय के साथ दर्शाया गया है)

स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएँ

1885	–	इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना
1905	–	बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार, 1905–1908
1906	–	मुस्लिम लीग की स्थापना
1909	–	इंडियन काउंसिल एक्ट
1911	–	बंगाल विभाजन रद्द – राजधानी दिल्ली स्थानांतरित
1909	–	गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ, 1921
1929	–	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज का आह्वान (पूर्ण स्वतंत्रता)
1935	–	गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि
1940	–	मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान
1942 और 1946	–	भारतीय स्वतंत्रता के लिए समझौते की शर्तों में असफल केबिनेट मिशन
1947	–	स्वतंत्रता प्राप्ति व भारत का विभाजन पाकिस्तान की स्वतंत्रता

PSE3NZ

अभ्यास प्रश्न

1. हां या नहीं में उत्तर दीजिए –

1. 'हिन्दी केसरी' के सम्पादक बालगंगाधर तिलक थे।
2. राष्ट्रीय एकता की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं।
3. औद्योगिक क्रांति के कारण अधिकांश मिलें खुलीं।
4. भारत के पिछड़ेपन के लिए अँग्रेजों की आर्थिक नीति जिम्मेदार है।
5. शिक्षित मध्यम वर्ग ने आधुनिक विचारों को अस्वीकार किया।

2. खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए–

1. गाँधी जी .... में भारत लौटे।
2. चम्पारण .... अंचल में है।
3. .... सत्याग्रह नहर कर के विरोध में था।
4. लगान बंदी के लिए गुजरात के .... जिले में आंदोलन हुआ।
5. .... की दीवारों पर गोलियों के निशान आज भी हैं।

3. जोड़ी बनाइए –

1.	1916	–	मुस्लिम लीग की स्थापना
2.	1911	–	बंगाल का विभाजन
3.	1907	–	सर्वदलीय बैठक का आयोजन
4.	1906	–	दिल्ली राजधानी बनी
5.	1905	–	सूरत अधिवेशन

4. इन प्रश्नों के उत्तर में केवल नाम लिखिए –

1. बंगाल विभाजन किया –
2. नरम विचारधारा के प्रमुख नेता –
3. छत्तीसगढ़ में खादी आश्रम बनाया –
4. कवि समाज संगठन कहाँ बना –
5. गदर पार्टी के संस्थापक थे –

5. नीचे कुछ घटनाएँ लिखी गई हैं, आप उससे संबंधित तिथि सन् आदि उसके सामने अंकित कीजिए।

क. 'अँग्रेजों ! भारत छोड़ो' की हुंकार सुनाई पड़ी।
ख. अंततः पाकिस्तान को एक अलग राष्ट्र के रूप में स्वीकार कर लिया।
ग. अँग्रेजों को किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करना चाहिए, यह संकल्प लिया।
घ. एक ऐसी हिंसक घटना हुई जिसके कारण गांधी जी को आंदोलन स्थगित करना पड़ा।
ङ. समुद्र तट पर पहुँचकर गांधी जी ने नमक कानून भंग किया।

6. प्रश्नों के उत्तर दीजिए –

1. इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस सदी में हुई ?
2. 28 दिसम्बर 1885 को किस पाठशाला में सभा हुई ?
3. छत्तीसगढ़ में काँग्रेस की शाखा कब बनी ?
4. भारतीय राजनैतिक सभा प्रारंभ में कहाँ हुई थी ?
5. राष्ट्रीय नेता प्रारंभ में किस विचारधारा के थे ?
6. 1900 में छत्तीसगढ़ में प्रकाशित समाचार पत्र का क्या नाम था ?
7. बंगाल प्रांत का विभाजन क्यों किया गया ?
8. राष्ट्रीय विद्यालय/महाविद्यालय क्यों खोले गए ?
9. 'फूट डालो' की नीति का क्या अर्थ है ?
10. स्वदेशी का क्या अर्थ है ?

7. सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए ?

क. खेड़ा सत्याग्रह	ख. कंडेल सत्याग्रह
ग अहमदाबाद मिल	घ. खिलाफत आंदोलन
ड. मोपला किसान आंदोलन	च. चौरा–चौरी कांड
छ. प्रतिज्ञा दिवस	ज. जंगल सत्याग्रह
झ. रायपुर षडयंत्र–केस	ञ. धारा 144
ट. 1947 का अधिनियम	ठ. 1919 का अधिनियम

8. इन घटनाओं का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए–

(1) महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश।

(2) रोलेट एक्ट

(3) मकई चौक धमतरी में गाँधी जी

(4) जलियाँवाला बाग हत्याकांड

9. योग्यता विस्तार–

(1) जलियाँवाला बाग के संबंध में सचित्र जानकारी एकत्रित कीजिए।

(2) गांधी जी का छत्तीसगढ़ आगमन के संबंध में सचित्र विवरण संग्रह कीजिए।

(3) अपने क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में सचित्र जानकारी एकत्रित कीजिए।

अध्याय 7

भारतीय गणतंत्र की स्थापना

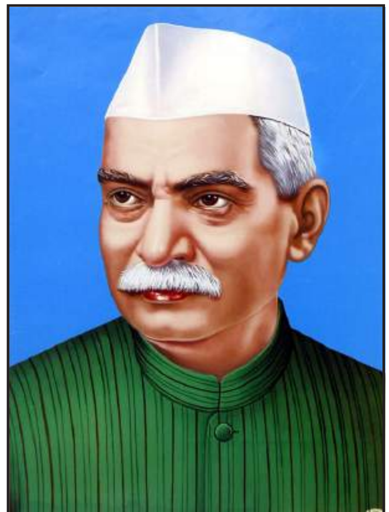

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद इंग्लैंड यह समझ चुका था कि अब भारत में उसका राज नहीं चलेगा। इसलिए वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री एटली को 1946 ई. में घोषणा करना पड़ा कि वे जल्दी ही भारत छोड़ना चाहते हैं। फिर उन्होंने सत्ता हस्तांतरण के संबंध में भारतीय नेताओं से बातचीत करने का विचार किया। उन्होंने अपने केबिनेट के तीन मंत्रियों को अंतरिम सरकार बनाने और संविधान गठित करने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव में कहा गया कि संविधान सभा में प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा चुने हुए व्यक्ति और भारतीय रियासतों के राजाओं द्वारा मनोनीत व्यक्ति शामिल होंगे। इसे केबिनेट मिशन कहते हैं।

अंतरिम सरकार की स्थापना –

इस प्रकार वायसराय लार्ड वेवेल के आमंत्रण पर केंद्र में पं. जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार 1946 ई. में बनी। इसके अलावा डॉ. राजेन्द्र

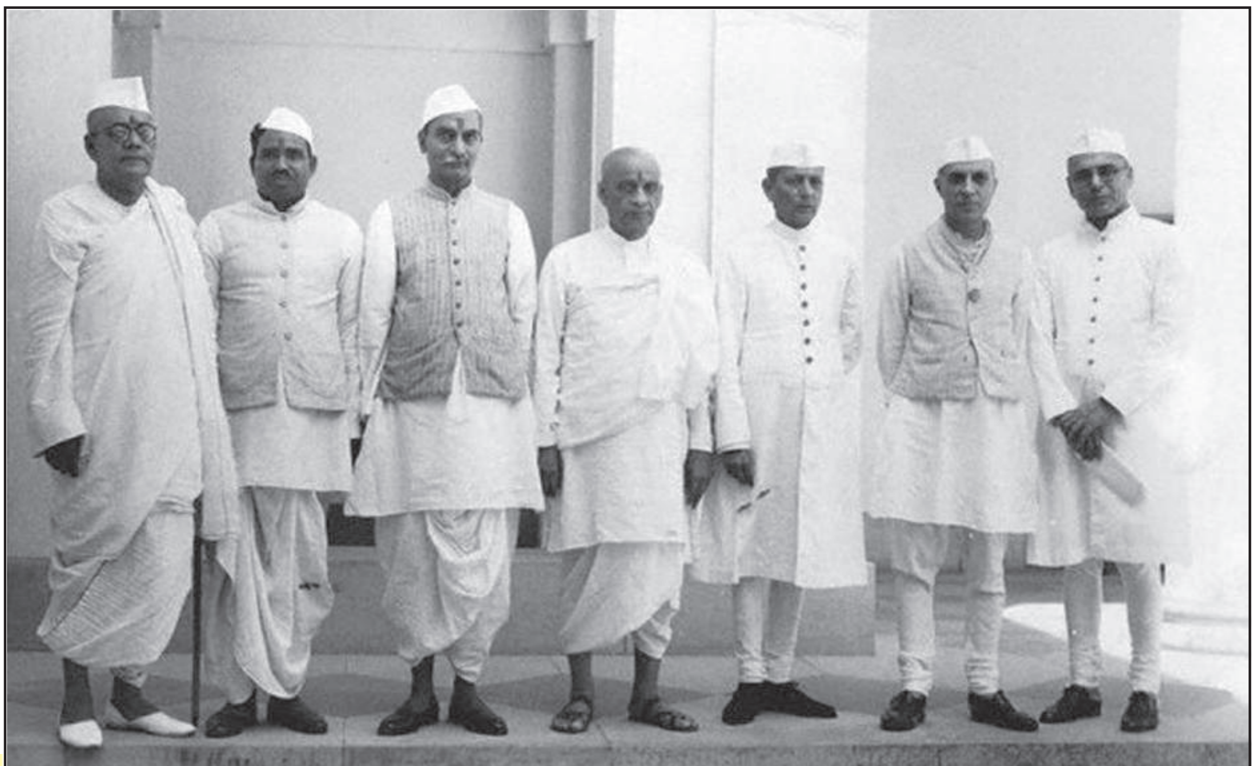

अंतरिम सरकार के सदस्य

प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा का गठन हुआ, जिसने दिसम्बर 1946 ई. में अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन मुस्लिम लीग तथा राजाओं ने उसमें भाग नहीं लिया था।

लीग द्वारा पाकिस्तान की माँग –

मुस्लिम लीग पृथक पाकिस्तान की माँग पर अड़ी हुई थी। लेकिन काँग्रेस शुरू से ही भारत का विभाजन नहीं चाहती थी। किंतु लीग अपनी माँग पर जोर देने लगी। वह पहले अंतरिम सरकार में भी शामिल नहीं हुई थी, मगर बाद में शामिल होकर उसके कार्यों में बाधा पहुँचाने लगी।

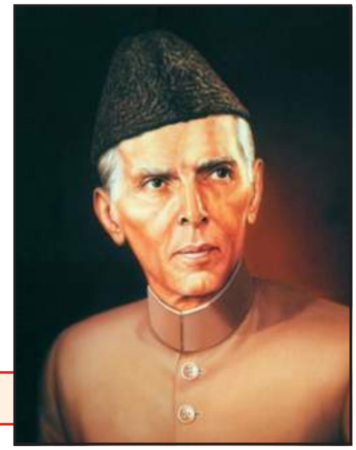

मोहम्मद अली जिन्ना

पता करें –

मंत्रिमंडल की कार्यवाही में बाधा पड़ने से क्या असर पड़ता होगा ?

लीग की सीधी कार्यवाही दिवस –

अब मुस्लिम लीग हर कीमत पर पाकिस्तान चाहने लगी इसलिए उसने 16 अगस्त 1946 ई. को 'सीधी कार्यवाही दिवस' घोषित किया जिसके कारण बंगाल, बिहार, बंबई आदि स्थानों में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। इन दंगों से हिन्दू–मुस्लिम में भयंकर मारकाट मच गई। इन दंगों को रोकने के लिए अँग्रेजों ने कोई विशेष प्रयास नहीं किया। इस प्रकार कुछ ही महीनों में बहुत से लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए। परंतु इस समय छत्तीसगढ़ में किसी प्रकार का दंगा फसाद नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ शांति स्थापित थी जो यहाँ की जनता के भाईचारा का प्रतीक है।

साम्प्रदायिक दंगों से गांधी जी अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने दंगाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और शांति स्थापना के प्रयास किए।

आपने किसी दंगे की घटना देखी या सुनी होगी। बताइए उससे क्या–क्या हानि होती है ?

माउंटबेटन योजना–

अराजकता के ऐसे वातावरण में मार्च 1947ई. में लार्ड माउंटबेटन नए वायसराय बनकर भारत आए। उन्होंने दोनों सम्प्रदायों के प्रमुख नेताओं से बातचीत की। इसके पश्चात् उन्होंने भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र राष्ट्रों – भारत और पाकिस्तान निर्माण की योजना प्रस्तुत की।

भारत विभाजन –

काँग्रेस शुरू से ही भारत की एकता और अखंडता चाहती थी मगर उसने हिंदू–मुस्लिम के आपसी झगड़े का अंत करने के लिए भारत विभाजन को न चाहते हुए भी स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पश्चिम पंजाब, पूर्वी बंगाल, सिंध और पश्चिमोत्तर सीमा–प्रांत को मिलाकर पाकिस्तान का पृथक राष्ट्र बना।

अखंड भारत का विभाजन भारतीयों के लिए अत्यंत दुःखद घटना थी। विभाजन के बाद भी विभिन्न स्थानों में हिंदू–मुस्लिम दंगे हुए, विशेषकर पंजाब और बंगाल में। ये दंगे अविश्वास का वातावरण बनाते हैं। इनसे धन और जन की हानि होती है। ये समाज के विकास में बाधक होते हैं। इसलिए विभिन्न धर्मों के लोगों को हमेशा मिलजुलकर रहना चाहिए।

भारत विभाजन से कई आर्थिक समस्याएँ भी पैदा हुईं। जूट और सूती कपड़े के अधिकांश कारखाने भारत में रह गये। मगर जूट और कपास उत्पादन के अधिकांश क्षेत्र पाकिस्तान में चले गये। इससे जूट और सूती कपड़े के कई कारखाने बंद हो गए। गेहूँ चावल और सिंचाई के अधिकांश क्षेत्र पाकिस्तान के क्षेत्र में चले गए इससे कुछ दिनों तक भारत में अन्न का अभाव भी रहा।

शिक्षक से चर्चा करें – सामान्यतः विभाजन से क्या–क्या हानि होती है ?

अ. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम –

माउंटबेटन योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंग्लैंड के संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 ई. को पारित किया गया। इसमें व्यवस्था थी कि 15 अगस्त 1947 ई. को भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों का रूप ग्रहण करेंगे। इसके बाद उन पर इंग्लैंड का कोई अधिकार नहीं रहेगा।

स्वतंत्रता की घोषणा –

इस तरह 14 अगस्त की आधी रात के बाद जब 15 अगस्त 1947 ई. की तारीख शुरू हुई। तब पं. जवाहर लाल नेहरू ने भारत के स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए कहा– ''भारत में जीवन और स्वतंत्रता का उदय हुआ''। संविधान सभा स्वतंत्र भारत की संसद के रूप में काम करने लगी। हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधान मंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू और प्रथम गवर्नर जनरल लार्ड माउंट बेटन बने। पं. जवाहर लाल नेहरू द्वारा 15 अगस्त की सुबह दिल्ली के लाल किले पर स्वतंत्र भारत का तिरंगा झंडा फहराया गया। संपूर्ण देश के साथ–साथ छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी तत्कालीन खाद्य मंत्री आर.के.पाटिल ने तिरंगा झंडा फहराया। इस प्रकार नए भारत के निर्माण का कार्य शुरू हो गया।

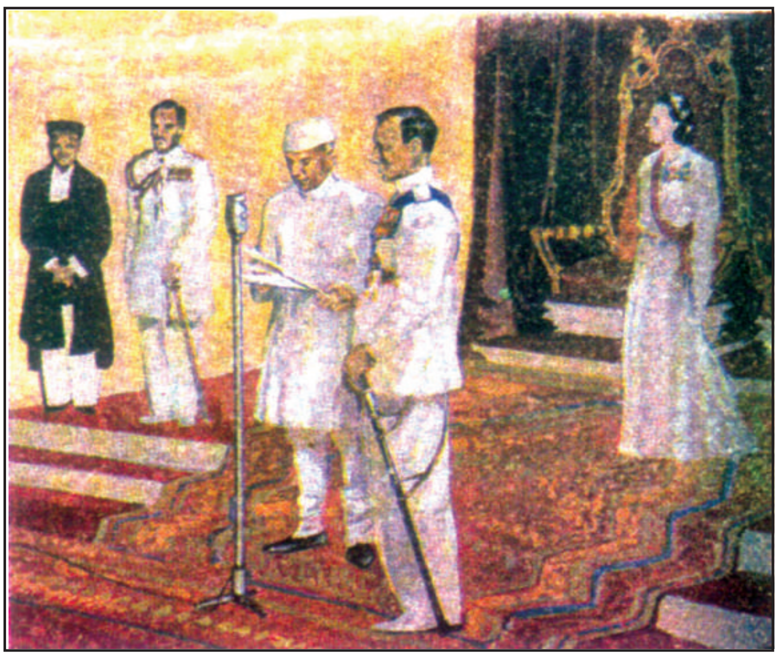

लार्ड माउंट बेटन द्वारा पं. नेहरू को स्वतंत्र भारत के प्रधान मंत्री की शपथ दिलाते हुए

ब. देशी रियासतों–रजवाड़ों का विलय –

स्वतंत्र भारत के सामने कई तात्कालिक कार्य थे। पहला कार्य था देश में राजनीतिक एकता स्थापित करना। 1947 में अँग्रेजों द्वारा सीधे तौर पर शासित होनेवाले इलाकों के अलावा करीब 550 से ज्यादा स्वतंत्र देशी रियासतें थीं, जहाँ अँग्रेजों का शासन नहीं था। स्वतंत्रता की घोषणा के समय यह व्यवस्था हुई थी कि इंग्लैंड से भारत के स्वतंत्र होने के साथ–साथ सभी देशी रियासतें भी स्वतंत्र हो जाएंगी। यह निर्णय इनके हाथ में था कि ये स्वतंत्र रहेंगी अथवा भारत या पाकिस्तान में से किसी एक के साथ रहेंगी। लेकिन इन रियासतों के स्वतंत्र बने रहने से भारत की एकता एवं सुरक्षा खतरे में पड़ जाती। इसलिए देशी रियासतों के विलय का कार्य तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया। सरदार पटेल छत्तीसगढ़ के रियासतों के विलय हेतु दिसंबर 1947 ई. में नागपुर भी आए। उनके समझाए जाने से यहाँ के कुल 14 रियासतों का भारत में विलय हो गया। कवर्धा, सक्ती एवं छुईखदान का विलय वहाँ के जन आंदोलन के बाद हुआ। इस प्रकार सरदार पटेल की सूझबूझ के कारण भारत की कुल 562 देशी रियासतों में से अधिकांश रियासतों ने स्वतंत्रता पूर्व ही भारत में विलय स्वीकार कर लिया था। इसी सूझबूझ के कारण उन्हें 'लौह पुरुष' कहा जाता है। अब उनके सामने जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद का विलय शेष था।

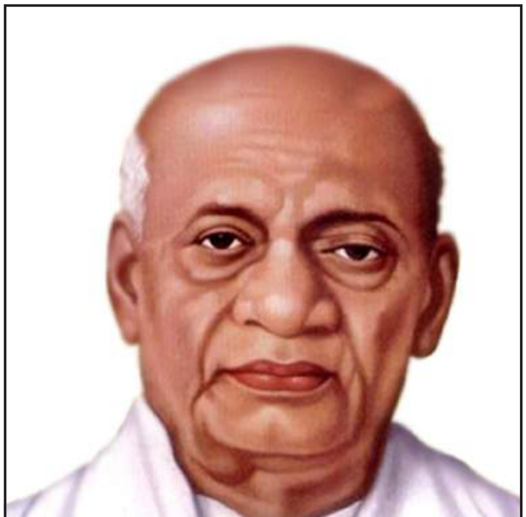

सरदार वल्लभ भाई पटेल

1. जूनागढ़ का विलय –

जूनागढ़ सौराष्ट्र की एक छोटी–सी रियासत थी। वहाँ का नवाब पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। परंतु जूनागढ़ की जनता भारत में शामिल होना चाहती थी। अतः जनता के दबाव के कारण नवाब पाकिस्तान भाग गया। इस प्रकार फरवरी 1948ई. में जूनागढ़ भारत में विलीन हो गया।

2. कश्मीर का विलय –

कश्मीर रियासत के राजा हरिसिंह ने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया था परंतु वहाँ की जनता शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में भारत में विलय की माँग कर रही थी। जब स्वतंत्रता के तुरंत बाद पाकिस्तान के प्रोत्साहन से सशस्त्र घुसपैठियों ने कश्मीर पर आक्रमण किया। तब राजा हरिसिंह ने कश्मीर के भारत में विलय के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। फिर भारतीय सैनिकों की मदद से उन घुसपैठियों को कश्मीर से खदेड़ दिया गया।

3. हैदराबाद का विलय –

हैदराबाद का निजाम पाकिस्तान के बहकावे में आकर स्वतंत्र ही रहना चाहता था। परंतु वहाँ की जनता स्वामी रामानंद तीर्थ के नेतृत्व में हैदराबाद का भारत में विलय की माँग कर रही थी। इनकी माँग को दबाने के लिए निजाम द्वारा उन पर अनेक अत्याचार किये गये। अंततः भारतीय सैनिकों द्वारा निजाम के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की गई और हैदराबाद रियासत भारत में विलीन हो गई।

अपने शिक्षक से चर्चा करें कि एकता से क्या क्या लाभ है ?

स. नए संविधान का निर्माण –

इस बीच संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान के प्रारूप बनाने का कार्य 26 नवम्बर 1949 ई. को अंतिम रूप प्रदान किया गया। मगर इसे 26 जनवरी 1950ई. को लागू किया गया। इस प्रकार भारत एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसंपन्न गणतंत्र राष्ट्र बन गया। इसलिए तब से यह दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।

डॉ. भीम राव अम्बेडकर

राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीयों ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, मानवता तथा लोकतंत्र के राष्ट्रीय मूल्यों को स्वीकार किया था। इन्हें हमारे संविधान में महत्व दिया गया। हमारे संविधान में भारत के सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर नियमों का संकलन किया गया, जिसके अनुसार शासन चलाया जाता है।

हमारे संविधान की अन्य विशेषताओं के बारे में आप नागरिक शास्त्र खंड में विस्तार से पढ़ेंगे।

अभ्यास प्रश्न

PSHUSA

1. खाली स्थान को भरिए –

1. सत्ता हस्तांतरण संबंधी तीन ब्रिटिश मंत्रियों की समिति को ....कहा गया हैं।
2. केन्द्र में अंतरिम सरकार का गठन .... के नेतृत्व में हुआ था।
3. संविधान सभा (संविधान निर्मात्री समिति) के अध्यक्ष .... थे।
4. संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष .... थे।
5. भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधान मंत्री .... थे।

6. ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय .... थे।

7. स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल .... थे।

8. स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री .... थे।

9. ....को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है।

2. सुमेलित कीजिए –

क. सीधी कार्यवाही दिवस	–	26 नवम्बर 1949
ख. स्वतंत्रता दिवस	–	16 अगस्त 1946
ग. संविधान के प्रारूप को अंतिम रूप	–	26 जनवरी 1950
घ. गणतंत्र दिवस	–	15 अगस्त 1947

3. तिथियों के योजनाओं को उचित क्रम में लिखिए –

माउंटबेटन योजना, केबिनेट मिशन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम

4. प्रश्नों के उत्तर दीजिए –

1. केबिनेट मिशन क्या है ?
2. अंतरिम सरकार की स्थापना कैसे हुई ?
3. माउंटबेटन योजना क्या है ?
4. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या है ?
5. देशी रियासतों का विलय क्यों किया गया?
6. भारतीय गणतंत्र की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई ?

5. टिप्पणी लिखिए –

क. लीग की सीधी कार्यवाही ।

ख. भारत विभाजन ।

ग. भारतीय संविधान का निर्माण ।

PT6QTX

अध्याय 8

छत्तीसगढ़ अध्ययन

भारत के हृदय में स्थित मध्यप्रदेश से लगा हुआ दक्षिण–पूर्व का भू–भाग छत्तीसगढ़ कहलाता है। प्राचीन काल के दक्षिण कोसल, महाकान्तार, दण्डकारण्य, महाकोसल, मेकल आदि नाम के क्षेत्र इसमें मिले हुए हैं। गढ़ों के आधार पर कल्चुरि काल के राजाओं के समय इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। रतनपुर राज्य में 18 गढ़ तथा रायपुर राज्य में 18 गढ़ थे। महानदी तथा शिवनाथ नदी प्रायः इसकी सीमा रेखा थी।

आदि मानव सभ्यता के प्रांरभिक प्रमाण हमें रायगढ़ के पास सिंघनपुर, काबरा पहाड़, दुर्ग क्षेत्र का चितवाडोंगरी में मिले शैल चित्र, बालोद धमतरी मार्ग पर सोरर, मुजगहन, करकाभाट के अतिरिक्त बसना, सराईपाली के पास बरलिया गाँव में मिले शव स्थल पाषाण स्तंभ के रुप में मिलते हैं। राजिम को छत्तीसगढ का प्रयागतीर्थ कहा जाता है। पांडुका गाँव के पास सिरकट्टी में नदी बंदरगाह के अवशेष हैं। नदी जल मार्ग द्वारा महानदी से संबलपुर (हीराकुंड) तक नाव द्वारा व्यापार होता था।

सरगुजा जिले में दुनिया की एक प्राचीनतम नाट्यशाला है। कहा जाता है कि महाकवि कालिदास ने यहाँ पर मेघदूत काव्य की रचना की थी। जनश्रुति के अनुसार दंडकारण्य (बस्तर) में भगवान राम का आगमन हुआ था। छत्तीसगढ़ के रामगिरी, सीताबेंगरा, भीमखोज आदि स्थान रामायण एवं महाभारत काल से संबंधित हैं।

इतिहास के हर काल में छत्तीसगढ़ का महत्व है। आदिमानव काल, वैदिक काल, रामायण–महाभारत काल, महाजनपद काल, मौर्य, शुंग, सातवाहन, वाकाटक, गुप्तकाल, शरभपुरीय, सोमवंश, पांडुवंश, नल, नागवंश, कल्चुरिकाल, मराठाकाल तथा अँग्रेजों के शासन काल में हुई घटनाओं से यह प्रभावित रहा है।

बिलासपुर क्षेत्र के मल्हार गाँव में प्राप्त प्राचीन मूर्तियों और पुरावशेष, ताला गाँव की सुप्रसिद्ध रुद्रशिव प्रतिमा, सिरपुर में ईंट से बना हुआ लक्ष्मण मंदिर, राजिम में राजीवलोचन का मंदिर, रतनपुर, रायपुर, अम्बिकापुर में महामाया देवी का मंदिर, दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर, भोरमदेव का शिवमंदिर, बारसूर बस्तर का गणेश मंदिर प्रसिद्ध हैं। मल्हार, सिरपुर, आरंग, राजिम, रतनपुर में जैन धर्म, बौद्ध धर्म से सम्बन्धित प्राचीन अवशेष मिले हैं। पाली, जांजगीर, खरौद, नगरी सिहावा, बस्तर, डोंगरगढ़, खैरागढ़, सारंगढ़, सिरी– पचराही, देवबलौदा, गंडई, चंपारन, रायपुर, दुर्ग, धमतरी आदि ऐतिहासिक स्थान भी महत्वपूर्ण हैं।

छत्तीसगढ़ में कल्चुरि या हैहयवंशी राजाओं ने लगभग दसवीं शताब्दी के अंत से अठारहवीं शताब्दी के मध्य तक शासन किया। बाद में यहाँ सन् 1741 ई. में मराठों का प्रभाव बढ़ा।

नागपुर के भोंसले परिवार के राजकुमार बिंबाजी भोंसले ने रतनपुर से छत्तीसगढ़ का

प्रशासन चलाया। बाद में सूबेदारी शासन हुआ। फिर अँग्रेजों के द्वारा हस्तक्षेप किया गया। तदन्तर राजा रघु जी तृतीय की मृत्यु के बाद यहाँ अँग्रेजी राज शुरु हो गया। छत्तीसगढ़ में अँग्रेजी प्रशासन 1854 से 1947 ई. तक चला। यहाँ पर 14 सामंती राज्य एवं अनेक जमींदारियाँ भी थीं।

छत्तीसगढ़ के समाज में कबीर पंथ एवं सतनाम पंथ की विचारधाराओं का व्यापक प्रभाव पड़ा। गुरु घासीदास युग प्रवर्तक थे। 19वीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में इस अंचल में उन्होंने सामाजिक जागृति की।

अँग्रेजों के अत्याचार एवं अन्याय का विरोध सोनाखान के जमींदार वीर नारायण सिंह ने किया। वे छत्तीसगढ़ में सन् 1857 ई. की क्रांति के नेता थे। अँग्रेजों ने 10 दिसम्बर 1857 ई. को रायपुर में सैनिकों और जनता की उपस्थिति में उन्हें फाँसी दे दी। 18 जनवरी 1858 ई. को रायपुर फौजी छावनी में हनुमान सिंह राजपूत के नेतृत्व में क्रांति हुई, जिसमें एक अँग्रेज अधिकारी सिडवेल मारा गया। अँग्रेजों ने जिन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर 22 जनवरी 1858 ई. को फाँसी दी, उन शहीदों के नाम हैं – गाजी खाँ, अब्दुल हक, मुल्लू, शिवनारायण, पन्ना लाल, मातादीन, ठाकुर सिंह, अकबर हुसैन, बल्ली दुबे, लल्ला सिंह, बुद्धू, परमानंद, शोभाराम, दुर्गाप्रसाद, नजर मुहम्मद, शिव गोविंद एवं देवीदीन। इन शहीदों को कभी नहीं भुलाया जा सकता, जिनके त्याग एवं बलिदान ने जनता में जागृति उत्पन्न की। क्रांतिकारी नेता हनुमान सिंह राजपूत अंत तक गिरफ्तार नहीं किये जा सके।

छत्तीसगढ़ के साहित्य साधकों में पं. गोपाल मिश्र, पं. माखन मिश्र, कवि खांडेराव, बाबू रेवाराम कायस्थ, पं. शिवदत्त शास्त्री गौराहा, पदुमलाल पुन्नालाल बक्शी, महामहोपाध्याय हीरालाल, राजा कमलनारायण सिंह, पं. माधवराव सप्रे, पं. सुन्दरलाल शर्मा, पं. लोचन प्रसाद पांडेय, पं. मुकुटधर पांडेय, बाबू प्यारेलाल गुप्त, पं. बाल शास्त्री झा, पं. केदारनाथ ठाकुर, पं. रामदयाल तिवारी, मौलाना अब्दुल रऊफ, मावली प्रसाद श्रीवास्तव, पं. द्वारिका प्रसाद तिवारी बिप्र, आदि प्रमुख हैं। इन्होंने यहाँ के साहित्यिक एवं साँस्कृतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया।

छत्तीसगढ़ में राजनीतिक एवं साहित्यिक चेतना जगाने में पं. रविशंकर शुक्ल, वामनराव लाखे, पं. नारायण राव मेघावाले, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बैरिस्टर छेदी लाल, पं. रत्नाकर झा, डॉ. खूबचंद बघेल, श्रीमती मिनी माता, पं. उमेश दत्त पाठक, पं. विद्यार्थी ठाकुर, पं. ध्रुवनाथ ठाकुर, घनश्याम सिंह गुप्त, पं. ज्वाला प्रसाद मिश्र, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, पं. सुंदर लाल त्रिपाठी, डॉ. राधा बाई एवं श्रीमती दयाबाई का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

पं. सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह एवं खूबचंद बघेल ने समाज के पिछड़े वर्ग, किसानों तथा मजदूरों के हित में महत्वपूर्ण कार्य किया। महात्मा गाँधी ने पं. सुन्दरलाल शर्मा के समाज सुधार के कार्यों की सराहना की थी।

'भारत छोड़ो आंदोलन' के पहले छत्तीसगढ़ के युवकों के एक दल ने सशस्त्र क्रांति का प्रयास किया था। यह घटना रायपुर षड़यंत्र केस या सूरबंधु केस के रूप में जानी जाती है। इसमें परसराम सोनी, पं. देवीकांत झा, सुधीर मुखर्जी, सुरबंधु, रणवीर शास्त्री आदि युवकों ने भाग लिया।

'भारत छोड़ो आंदोलन' में ठा. रामकृष्ण सिंह, पं. कमल नारायण शर्मा, पं. रामानंद दुबे, रणवीर सिंह शास्त्री, पं. रत्नाकर झा, पं. रामगोपाल तिवारी, महंत लक्ष्मीनारायण दास, मोती लाल त्रिपाठी आदि सक्रिय थे।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का प्रभाव भी छत्तीसगढ़ पर पड़ा। बैरिस्टर छेदीलाल तथा बाजा मास्टर त्रिपुरी काँग्रेस में काफी सक्रिय रहे थे। रायपुर और दुर्ग में कलेक्टर रहे श्री रामकृष्ण पाटिल ने सरकारी नौकरी छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। दुर्ग के पुलिस अधिकारी पं. लखनलाल मिश्र ने वर्दी त्यागकर राष्ट्रीय आंदोलन में समर्पित भाव से कार्य किया।

15 अगस्त 1947 की सुबह का सूरज देश की आजादी का संदेश लेकर खुशहाली के माहौल में उगा। हम विकास की ओर आगे बढ़ते रहे, हमारा छत्तीसगढ़ भी इसमें सहभागी रहा है। सर्वधर्म समभाव तथा सामाजिक समरसता की भावना यहाँ के जन–जन के मन में समाई हुई है।

छत्तीसगढ़ की संस्कृति गौरवशाली रही है। यहाँ की परम्पराएँ अद्भुत हैं, जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ती हैं। महानदी की पवित्र जलधारा की तरह सर्वधर्म समभाव की भावना यहाँ के लोगों के विचारों में समाहित है।

अभ्यास प्रश्न

PTFLVK

1. केवल नाम लिखिए–

अ. सबसे अधिक वर्षों तक शासन करनेवाला राजवंश

ब. सोनाखान के जमींदार

स. सबसे प्राचीन नाट्यशाला छत्तीसगढ़ में कहाँ है ?

द. रायपुर फौजी छावनी में किसके नेतृत्व में क्रांति हुई ?

इ. किस पुलिस अधिकारी ने वर्दी त्यागकर राष्ट्रीय आंदोलन में समर्पित भाव से कार्य किया ?

2. सुमेलित कीजिए–

अ. भोंसला शासक	हनुमान सिंह
ब. क्रांतिकारी नेता	बिम्बाजी
स. साहित्यकार	गुरु घासीदास
द. समाज सुधारक	पं. गोपाल मिश्र

3. प्रश्नों के उत्तर दीजिए–

अ. इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ क्यों कहते हैं?

ब. छत्तीसगढ़ में राजनैतिक विकास किस प्रकार हुआ?

स. छत्तीसगढ़ के किसी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में चित्र सहित जानकारी एकत्र कर लिखिए तथा जानकारी के स्त्रोत भी बताइये ?

अध्याय 1

अब मीता जानती है

Q5TVC5

आज स्कूल से आने के बाद मीता चुप–चुप थी। बिस्तर पर लेटे–लेटे वह कुछ सोच रही थी। माँ ने पूछा–मीता क्या हुआ ! खाना खाकर तुरंत क्यों लेट गई हो ? आज तुम्हें खेलने के लिए बाहर जाने की जल्दी नहीं है ?

भैया – मैं भी यही सोच रहा हूँ माँ ! रोज तो यह बिना खाए ही खेलने के लिए दौड़ जाती है। आज इसे क्या हो गया ?

मीता – आज स्कूल में 19 नवंबर यानी विश्व बाल शोषण मुक्ति दिवस मनाया गया।

भैया – विश्व बाल शोषण मुक्ति दिवस ! यह क्या होता है ? मैं तो बाल दिवस, जिसे 14 नवंबर को मनाया जाता है, उसी के बारे में जानता हूँ।

माँ – मीता, मुझे भी बताओ, मैं भी जानना चाहती हूँ।

मीता – आज हमें एक फिल्म दिखायी गयी।

भैया – अरे वाह! कैसी फिल्म थी मीता ?

मीता – फिल्म में राजू नाम का एक छोटा लड़का था। उसके एक रिश्तेदार उसके यहाँ अक्सर आते थे। वे जब भी राजू को अकेले में पाते, उसके शरीर को जबरन आपत्तिजनक तरीके से छूते, सहलाते या उसे चूमने की कोशिश करते थे।

भैया – आपत्तिजनक तरीके से ! इसका क्या मतलब है, मीता ?

मीता – वास्तव में राजू को उनका छूना या सहलाना या प्यार करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। जब भी वे उसके घर आते राजू उनसे बचने या छुपने या फिर भागने की कोशिश करता रहता था।

भैया – बेचारा राजू ! फिर क्या हुआ मीता ?

मीता – हाँ भैया, वो रिश्तेदार तो इतने खराब थे कि जैसे ही राजू को अकेले में पाते तुरंत उसे पकड़ लेते थे। कई बार तो वे उसे चॉकलेट या मिठाई और आइसक्रीम का लालच भी देते थे।

भैया – हाँ मीता तुम सच कह रही हो ! मैंने भी टेलीविजन के एक धारावाहिक में देखा था कि इस तरह की गंदी हरकतें करने वाला आदमी एक छोटे बच्चे को डरा–धमका कर अपने साथ आने के लिए कहता हैं, और यह भी कहता है कि "**यह हमारे–तुम्हारे बीच की बात है, किसी को बताना नहीं**"।

मीता – हाँ भैया ! फिल्म में राजू के साथ भी ऐसा ही हो रहा था।

माँ – पर मीता ! राजू के माता–पिता को यह सब मालूम था या नहीं ? क्या राजू ने उन्हें बताया नहीं ?

मीता – राजू ने उन्हें बताया था माँ ! किन्तु उन लोगों ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और ध्यान भी नहीं दिया।

भैया – फिर राजू ने क्या किया मीता ?

मीता – राजू ने परेशान होकर अपने टीचर को बताया। तब टीचर ने राजू के माता–पिता से बातचीत की और उन्हें समझाया।

भैया – समझाया ! क्या समझाया ?

मीता – राजू के टीचर ने बताया कि अक्सर माँ–पिताजी और दूसरे बड़े लोगों को बच्चों की बातों पर विश्वास करना या उनकी बातों पर ध्यान देना जरूरी नहीं लगता, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके घरों में उनके बच्चों के साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। जबकि सच्चाई यह है कि बच्चों के साथ बुरा व्यवहार या गंदी हरकतें कहीं भी हो सकती हैं।

माँ – हाँ मीता ! राजू के टीचर ने बिल्कुल सच कहा। विश्व के किसी भी देश में, किसी भी घर में, कहीं पर भी, किसी भी बच्चे के साथ ऐसा हो सकता है।

भैया – क्या ऐसा सभी लड़कों के साथ हो सकता है ?

मीता – नहीं भैया ! फिल्म में यह भी बताया गया था कि ऐसा किसी भी बच्चे के साथ हो सकता है चाहे वह लड़का हो या लड़की। पता है! मेरी एक सहेली है निशा उसने बताया था कि उसके पड़ोस में एक अंकल हैं जो उसके साथ ऐसी ही हरकतें करते थे, मना करने पर भी नहीं मानते थे, तब उसने अपने माता–पिता को उसके बारे में बताया, उन्होंने उन्हें बहुत डांटा। एक और लड़की रानी ने भी बताया कि उसके एक शिक्षक जो छात्रावास के प्रभारी भी थे उसने इसी तरह की हरकत कई लड़कियों के साथ की थी। उन सबने मिलकर उसका इतना विरोध किया कि उस शिक्षक को उस स्कूल से हटा दिया गया।

भैया – फिर राजू के टीचर ने और क्या किया ?

मीता – उन्होंने राजू के माँ–पिताजी को समझाया कि उन्हें उस गंदा व्यवहार करने वाले आदमी की जानकारी पुलिस को दे देना चाहिए।

भैया – वाह ! फिर उन्होंने ऐसा किया या नहीं ?

मीता – हाँ भैया ! फिल्म के अंत में उस रिश्तेदार को पुलिस के हवाले कर दिया गया।

माँ – हाँ बेटा ! इसलिए बहुत जरुरी है कि सभी माता–पिता, शिक्षक और बड़े लोगों को, बच्चों की बातों पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही उन्हें यह भरोसा दिलाना चाहिए कि वे उन पर पूरा विश्वास करते हैं, उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखते हैं।

भैया – हाँ माँ ! तभी तो बच्चे अपनी परेशानियां बिना किसी संकोच के बड़ों को बता सकेंगे। किन्तु इन परेशानियों से बचने के लिए बच्चे और क्या कर सकते हैं ?

मीता – भैया ! फिल्म देखने के बाद उस पर स्कूल में बातचीत भी हुई। हमारे टीचर ने हमें बताया कि जैसा राजू के साथ हो रहा है वैसा किसी दूसरे लड़के या लड़की के साथ भी हो सकता है। इसलिए इन परेशानियों से बचने के लिए बच्चों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए।

भैया – अच्छा ! कौन–कौन सी बातें ?

मीता – यह कि– हमारे शरीर को हमारी इच्छा के बिना कोई नहीं छू सकता। खास तौर पर, शरीर में तीन जगह – छाती, जांघ (आगे/पीछे) और दोनों पैरों के बीच की जगह। ये ऐसे अंग हैं जिनकी सुरक्षा पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि इन्हें कोई छूता है या छूने का प्रयास करता है तो उसे छूने नहीं देना चाहिए।

माँ – किन्तु मीता ! माँ–पिताजी या जिन पर हमें विश्वास है वे यदि नहलाते समय इन अंगों की साफ–सफाई करते हैं तो परेशान नहीं होना है।

भैया – मीता ! मैंने चित्रों में देखा है कि आदिमानव भी इन अंगों की सुरक्षा के लिए पत्तों के वस्त्र पहनते थे अब तो हम लोग कपड़े पहनते हैं।

मीता – हाँ भैया ! हमारे टीचर ने हमें बताया यह भी बताया कि हमें इन सारी परेशानियों से बचने के लिए पहली बात डरना नहीं, हिम्मत रखना और केवल चार काम करना है– **चिल्लाओ, हटाओ, दूर जाओ और बताओ।**

भैया – **चिल्लाओ, हटाओ दूर जाओ और बताओ** ! ये क्या हैं जरा ठीक से बताओ न मीता।

मीता – हाँ, बता रही हूँ भैया ! **नहीं** का मतलब है कि यदि कोई हमारे शरीर के इन अंगों को या किसी अन्य अंग को छूता है जो हमें अच्छा न लगे तो उसे मना करना है और जोर से चिल्लाकर बोलना है – **नहीं** ।

– **हटाओ और दूर जाओ** का मतलब है कि चिल्लाकर उसे पूरी ताकत लगाकर धक्का देकर दूर हटायें और स्वयं भी दूर चले जाएँ।

– **बताओ** का मतलब है कि माँ–पिताजी, शिक्षक या जो लोग सचमुच हमसे प्यार करते हैं या जिन पर हमें भरोसा है, उनके पास जाकर उन्हें इसके बारे में बताना है।

भैया – और यदि आसपास ऐसा कोई न हो तो क्या होगा ?

माँ – बेटा ! मैंने कहीं यह पढ़ा है कि बच्चे जरूरत पड़ने पर चाइल्ड हेल्प लाइन **नंबर 1098** पर भी डायल कर सकते हैं। जिससे उन्हें तुरंत सहायता मिल सकती है।

भैया – अरे वाह ये तो बड़ी अच्छी बातें हैं इसे तो मैं अपने दोस्तों को जरुर बताऊँगा। ताकि वे भी आवश्यकता पड़ने पर अपनी सुरक्षा कर सकें।

तभी मीता की सहेली हीना आ गई और मीता खुशी–खुशी उसके साथ खेलने के लिए चली गयी।

ध्यान देने हेतु मुख्य बातें–

Q63RDS

1. **विरोध** –शरीर के खास अंगों (छाती, जांघ, गाल आदि) को छूना, सहलाना या चुम्बन लेने जैसी क्रिया का विरोध जरूर करें।
2. **शिकायत–** इस तरह के आपत्तिजनक व्यवहार की शिकायत बिना संकोच माता–पिता अथवा शिक्षक से अवश्य करें।
3. **हेल्पलाइन का उपयोग –** आवश्यकता पड़े तो चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 पर डायल कर सहायता प्राप्त करें व दोषी को दण्ड दिलाने की कार्यवाही करें।

हमारे आपसपास या स्वयं के साथ ऐसी कोई घटनाएँ तो नहीं हो रही हैं ? आपस में चर्चा करें।

अभ्यास के प्रश्न

Q6CHFF

1. विश्व बाल शोषण मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है ?
2. आप दूसरे लोगों के गंदे व्यवहार और हरकतों की शिकायत किससे करेंगे ? लिखिए।
3. आप दूसरे लोगों के गंदे व्यवहार और हरकतों से बचने के लिए कौन–कौन से चार काम करेंगे? लिखिए।
4. चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर लिखिए।
5. चाइल्ड हेल्प लाइन का उपयोग हम किन परिस्थितियों में कर सकते हैं ?

अध्याय 2

हमारा संविधान

आपने इतिहास में पढ़ा है कि किस प्रकार अँग्रेजी शासन के विरोध में स्वराज की माँग को लेकर सभी भारतीय एकजुट हो गए और सभी ने साथ मिलकर स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी जिसे हम स्वतंत्रता आंदोलन के नाम से जानते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में भारत के अलग–अलग परिवेश के लोग शामिल थे। वे एक साथ जेल गए और उन्होंने अलग–अलग तरीकों से अँग्रेजों का विरोध किया।

स्वतंत्रता के लिए आंदोलन

इस आंदोलन का एक उदाहरण हमें जलियाँवाला बाग हत्याकांड में देखने को मिलता है। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने शांतिप्रिय, निहत्थे लोगों पर जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे, गोलियाँ चलवा दीं। इसमें बहुत से लोगों की जानें गईं। महिला–पुरुष, हिंदू–मुसलमान, सिख एवं ईसाई कितने सारे लोग थे, जो अँग्रेजों की नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। इस आंदोलन के माध्यम से देश में, राष्ट्रीय एकता की भावना को बल मिला।

संविधान सभा का गठन :– आपने पढ़ा कि जब भारत में अँग्रेज थे तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अँग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी। वे चाहते थे कि भारत एक स्वतंत्र देश बने। आजादी की इस लड़ाई के साथ–साथ लोग एक और सवाल से जूझ रहे थे कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कैसे चलेगा।

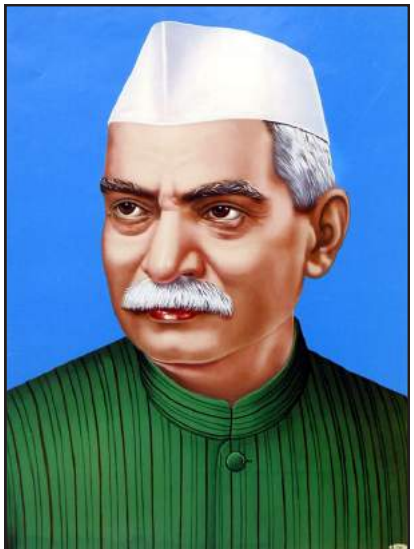

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
संविधान समिति के अध्यक्ष

क्या हमें राजाओं के शासन को अपना लेना चाहिए या जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन होना चाहिए ? इसी प्रकार एक और प्रश्न यह था कि ज्यादातर अधिकार किसके पास होने चाहिए– प्रधानमंत्री के पास या राष्ट्रपति के पास ? क्या महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार मिलना चाहिए ? क्या सभी धर्म के लोगों को अपना–अपना धर्म मानने का अधिकार होना चाहिए ? सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर कैसे मिले ? हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में छुआछूत की समस्या व्याप्त है तो इस समस्या को कैसे दूर किया जाए ? इस प्रकार के कई सवाल राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उभर कर सामने आए।

इन सवालों पर बातचीत करके फैसला करने के लिए एक समूह का चुनाव किया गया इसे 'संविधान सभा' कहा गया। संविधान सभा में देश के सभी भागों से लगभग 299 सदस्य थे।

संविधान सभा का काम था–संविधान लिखना। संविधान नियमों का वह संकलन है जिसमें हमारे देश की व्यवस्था की रूपरेखा एवं हमारे सामाजिक आदर्श लिखित हैं। संविधान सभा में कई समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। यह चर्चा लगभग तीन साल तक चली, तब जाकर संविधान का निर्माण हुआ। यह संविधान भारत में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया।

1. स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ने 31 दिसम्बर 1929 को पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लिया था। इस पूर्ण स्वराज्य के संकल्प दिवस के महत्व को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इसलिए 26 जनवरी, 1950 को देश का संविधान लागू किया गया।

2. संविधान में कहा गया है कि संविधान लागू होने के प्रारंभ से दस वर्ष के भीतर चौदह वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास किया जाएगा।

3. शिक्षा का मौलिक अधिकार होने के बाद वर्तमान में 6–14 वर्ष के बच्चे के शिक्षा के स्तर में क्या सुधार हुआ है ? इस पर शिक्षक से चर्चा करें।

बताइए–

1. जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन क्यों होना चाहिए?
2. महिला एवं पुरुष को समान अधिकार क्यों मिलना चाहिए?
3. 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं?

Q75AKD

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व–संपन्न, समाजवादी, पंथ–निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म,
और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिए
तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और
राष्ट्र की एकता और अखंडता
सुनिश्चित करनेवाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़, संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

1. संविधान की उद्देशिका को पढ़िए और शिक्षक की सहायता से इसे समझने का प्रयास करिए।
2. चर्चा कीजिए कि क्या इसमें से कुछ बातें हमें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देखने को मिलती है ?

संविधान की आवश्यकता क्यों ?

जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि संविधान सभा ने शासन का स्वरूप जैसे– प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होना चाहिए एवं उन्हें कौन–कौन से कार्य

करने होंगे ? विधानसभा एवं संसद क्या कार्य करेंगे ? मंत्रियों का क्या काम होगा ? आदि निर्धारित किया।

इसके साथ–साथ आवश्यकता इस बात की थी कि शासन अपनी शक्तियों का गलत उपयोग न कर पाए। इसके लिए संविधान में यह व्यवस्था की गई कि शासन भी संविधान में लिखी बातों के अनुसार ही कार्य करेगा। यदि शासन के किसी कार्य से नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है तो वह न्यायालय की शरण ले सकता है।

कई साल पहले मुम्बई नगर निगम ने फुटपाथों पर रहनेवाले करीब 50 हजार लोगों को हटाने की व उनकी झुग्गियाँ नष्ट करने की कोशिश की। इस कार्यवाही के विरुद्ध बस्ती में रहने वाले लोगों ने न्यायालय में मुकदमा दायर किया। उनके वकील ने दलील दी कि जब तक उनके रहने की दूसरी व्यवस्था नहीं की जाती तब तक उन्हें वहाँ से नहीं हटाया जा सकता। यह उनके किसी भी स्थान में रहने की स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का हनन है। उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया कि झुग्गीवासियों के घरों को नष्ट करने से पहले उन्हें किसी और जगह पर बसाया जाए।

इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार न्यायालय ने सरकार की मनमानी पर अंकुश लगाया। इस प्रकार के नियम–कानूनों के कारण देश में निवास करने वाली विभिन्न जाति, धर्म, भाषा और विचारधारा के लोगों का संविधान पर विश्वास बना हुआ है, क्योंकि उसमें समानता की बात कही गई है। हम सभी इन नियम–कानूनों का पालन करते हैं। इससे देश में शांति और एकता कायम रहती है। इस प्रकार संविधान से हमें एक बेहतर समाज बनाने की प्रेरणा मिलती है।

अभ्यास के प्रश्न

Q7E6M1

1. संविधान क्या है ? संविधान सभा का गठन क्यों किया गया था?
2. संविधान की आवश्यकता किन परिस्थितियों में हुई ?
3 संविधान की उद्देशिका में दिए गए शब्द 'समता' को समझाइए।
4. भारत का संविधान सन् 1950 में 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया?
5. यदि संविधान नहीं होता तो क्या–क्या दिक्कतें होतीं ?
6. यदि समाज में कोई नियम या कानून न हो तो क्या होगा ?
7. राष्ट्रीय एकता को समझाइए।

अध्याय 3

मौलिक अधिकार एवं कर्त्तव्य

Q7N2NN

कक्षा में दो छात्र–छात्राएँ आपस में बहस कर रहे थे। लता का कहना था कि मैं रोज इसी जगह पर बैठती हूँ आज भी यहीं पर बैठूँगी परंतु तुषार कह रहा था कि मैं यहीं पर बैठूँगा, मुझे भी यहाँ बैठने का अधिकार है। ठीक उसी समय शिक्षिका कक्षा में आईं दोनों विद्यार्थियों से बहस का कारण पूछा। दोनों की बातें सुनने के बाद उन्होंने कहा, "सभी विद्यार्थियों को विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार है। किसी के लिए भी कक्षा में बैठने का कोई विशेष स्थान निश्चित नहीं किया गया है, इसलिए कोई भी विद्यार्थी कक्षा में कहीं भी बैठकर अध्ययन कर सकता है। इसलिए लता, तुषार के स्थान पर और तुषार, लता के स्थान पर बैठकर अध्ययन कर सकते हैं। चूँकि तुषार आज कक्षा में पहले आया है, इसलिए उसे अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी बैठने का अधिकार है।''

ऐसे सार्वजनिक स्थानों की सूची बनाइए जहाँ आप समान अधिकार का प्रयोग करते हैं–

क्रमांक	सार्वजनिक स्थान	समान अधिकार का प्रयोग
1.	रेल्वे टिकट के लिए कतार में खड़े व्यक्ति	सब पर सामान्य नियम लागू होगा जो कतार में पहले खड़ा है उसे पहले टिकट मिलेगी।
2.		
3.		
4.		
5.		

पिछले अध्याय में हमने संविधान के बारे में पढ़ा है। इस अध्याय में हम संविधान में दिए हुए मौलिक अधिकार एवं कर्त्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। हमारे संविधान में नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिन्हें मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। ये अधिकार निम्नलिखित हैं–

नागरिकों के मौलिक अधिकार

1. समानता का अधिकार : —

इस मौलिक अधिकार का अर्थ है देश के कानून के सामने सभी नागरिक समान हैं। जैसे— कुछ समय पहले एक अधिकारी पर अपराध के संबंध में मुकदमा चला। जब तक मामला अदालत में था उन्हें सामान्य नागरिक की तरह अदालत में जाना पड़ता था। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी अधिकारी या राजनीतिज्ञ अपने पद का प्रभाव दिखाकर अदालत को प्रभावित कर सके।

संविधान में देश के सभी नागरिकों के लिए समता की बात कही गई है। उदाहरण के लिए नौकरी में (चाहे वह सरकारी नौकरी हो या गैर सरकारी) व्यक्ति को जाति, धर्म के आधार पर कोई यह नहीं कह सकता कि आप किसी जाति विशेष के हैं, इसलिए आपको नौकरी नहीं प्रदान की जाएगी।

संविधान में छुआछूत को कानूनी रूप से अपराध घोषित किया गया है। किसी भी नागरिक को सार्वजनिक संस्थाओं जैसे— अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, दर्शनीय स्थलों, इमारतों, पर्यटन स्थल में प्रवेश एवं इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता है।

यहाँ समता के कौन—से अधिकारों पर चर्चा की गई है? संविधान की उद्देशिका में समता के बारे में क्या कहा गया है ?

नीचे लिखी बातों में से कौन–कौन–सी बातें समता के अधिकारों का हनन हैं। चर्चा कीजिए। यह भी चर्चा करें कि ये क्यों समता का हनन मानी जाती हैं ?

– कुछ घरों में कुछ खास समुदाय के लोगों के लिए अलग से बर्तन रखे जाते हैं।
– सार्वजनिक स्रोत से पानी भरते समय कुछ लोग अपना बर्तन दूसरे के बर्तन से छू जाने पर एतराज करते हैं ।

2. स्वतंत्रता का अधिकार :–

दो व्यक्तियों के स्वभाव, चरित्र और दृष्टिकोण में अंतर होता है। अतः उनके क्रियाकलापों में भिन्नता होगी। सभी व्यक्ति एक ही व्यवसाय व विचार में रुचि नहीं रख सकते। उन्हें इच्छानुसार मौके नहीं मिलते। अतः उन्हें अपने विचार, निवास, व्यापार व व्यवसाय की स्वतंत्रता संविधान में दी गई है।

हमारे संविधान में व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया गया है। उसे मनमाने ढ़ंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसे देश के कानून के अनुसार एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा ही किसी अपराध के लिए बंदी बनाया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी आने–जाने का एवं निवास करने का अधिकार है। जैसे छत्तीसगढ़ से अधिकांश व्यक्ति काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं। इसी प्रकार दूसरे राज्यों से कई व्यक्ति छत्तीसगढ़ में आकर निवास करते हैं।

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार :–

शोषण का अर्थ होता है किसी व्यक्ति की मेहनत और उसकी मजबूरी का गलत फायदा उठाना और उसकी मेहनत की उचित मजदूरी न देना। हमारे समाज में कई प्रकार के शोषण दिखाई देते हैं। जैसे – दिनभर कार्य करने के उपरान्त औरत को पुरुष से कम मजदूरी दी जाती है। बड़े रेलवे स्टेशनों पर या बस स्टेंड़ के आस–पास छोटे–छोटे बच्चों का पढ़ने–खेलने की उम्र में कूड़े बीनने के लिए बाध्य हैं और जिसके कारण वे तरह–तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। यह भी शोषण का एक रूप है।

संविधान में यह उल्लेख है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से किसी कारखाने या खदान में कोई खतरेवाला कार्य नहीं करवाया जा सकता। बीड़ी बनाना, पटाखा बनाना, कालीन बुनना, बोझा ढोना आदि कार्यों में बच्चों को लगाने पर प्रतिबंध है।

उदाहरण के लिए मान लो किसी मजदूर ने गॉव में किसी साहूकार से कर्ज लिया है और वह उसे वापस नहीं कर पाती। यदि साहूकार उसे अपने खेतों में काम करने के लिए बाध्य करता है जिससे कि वह इस काम के जरिए कर्ज चुका सके तो इसे बंधुआ मजदूर कहा जाएगा।

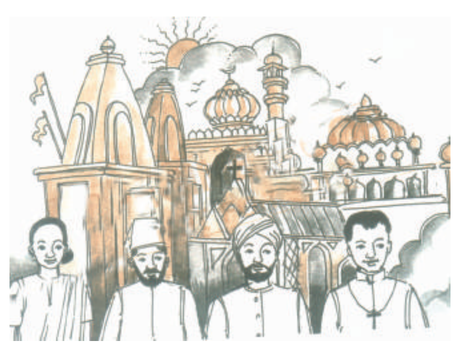

पता लगाकर सूची बनाइए कि आपकी उम्र के बच्चे किस तरह की मजदूरी के कार्य करते हैं।

4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार :–

भारत में अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं। इन सभी लोगों को अपनी पसंद से धर्म मानने और उनके रीति–रिवाजों

का पालन करने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार–प्रसार कर सकता है। सरकार किसी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकती। सरकार के लिए सभी धर्म समान होते हैं। किसी भी स्कूल,कॉलेज और तकनीकी शिक्षा केन्द्र आदि में किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। धार्मिक स्वतंत्रता का उपयोग करने के लिए भी कुछ सीमाएँ निर्धारित की गई हैं ताकि लोग धर्म के नाम पर अमानवीय तथा रुढिवादी कार्य न करें।

उदाहरण के लिए, कुछ लोग अज्ञानतावश बच्ची को जन्म लेते ही मार डालते हैं। मान लो कोई कहे कि उन्होंने बच्ची को इसलिए मार डाला क्योंकि यह उनके धार्मिक रिवाज का हिस्सा है तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। धर्म के नाम पर बाल–हत्या जैसा अपराध नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार, धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर सती प्रथा का पालन नहीं किया जा सकता।

5. शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार :–

भारत में विभिन्न भाषाएँ बोलने वाले एवं धर्म माननेवाले लोग रहते हैं। अपनी–अपनी संस्कृति होती है। हमारा संविधान इन सभी को उनकी संस्कृति, भाषा और लिपि को संरक्षित करने का अधिकार प्रदान करता है। संविधान में कहा गया है कि अल्पसंख्यक समूहों को अपने धर्म एवं भाषा के आधार पर स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय आदि स्थापित करने एवं संचालित करने की स्वतंत्रता है। इन संस्थाओं को शासन की शर्तें पूरी करने पर बिना किसी भेदभाव के शासन द्वारा अनुदान दिया जाता है।

अल्पसंख्यक समूहों को आम तौर पर भाषा और धर्म के आधार पर तय किया जाता है। कोई अल्पसंख्यक हैं या नहीं, यह इस पर निर्भर करता है कि वे कहाँ रहते हैं। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में मराठी बोलनेवाले लोग अल्पसंख्यक नहीं माने जाएँगे, लेकिन पश्चिम बंगाल में वे अल्पसंख्यक माने जाएँगे।

क्या 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं ? अपने आस–पास पता कर शिक्षक से चर्चा कीजिए।

6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार –

इस अधिकार के तहत प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों के हनन होने पर न्यायालय में जाने का अधिकार है। नागरिकों को प्राप्त यह मूल अधिकार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अधिकार के अंतर्गत हमारे अन्य अधिकारों की रक्षा होती है। यदि लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उन्हें उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है।

यदि लोगों के किसी समूह के अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो हर प्रभावित व्यक्ति को अलग से मुकदमा दायर करने की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति या संस्था लोगों के इस समूह की तरफ से सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकती है। इस प्रकार के मुकदमे को जनहित याचिका या लोकहित के मुकदमे कहा जाता है।

जनहित याचिका का एक उदाहरण

मान लो कि सरकार किसी नदी पर एक बाँध बनाने का निर्णय करती है और मान लो यदि बाँध बना तो करीब पचास हजार लोगों के खेत या घर डूब जाएँगे। उनकी भूमि और आजीविका चली जाएगी। उनकी जीवन प्रणाली पर गम्भीर असर होगा। यह उन लोगों के जीवन की स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का, देश के किसी भी भाग में बसने की स्वतंत्रता का और अपनी रुचि का कोई धंधा अपनाने की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में इन लोगों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दायर किया जा सकता है। पचास हजार लोगों की तरफ से एक ही मुकदमा दायर किया जा सकता है।

एक सत्र न्यायाधीश दुकालू नामक एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा सुन रहे थे। तब उन्हें यह संदेह हुआ कि यह मानसिक बीमारी से पीड़ित है। अतः इसे इलाज हेतु मानसिक चिकित्सालय में भेज दिया गया। चिकित्सालय में 6 माह रहने के बाद अधीक्षक ने अदालत को सूचना दी कि इस आदमी की तबियत ठीक हो गई है, परंतु न्यायाधीश ने उसे मुक्त करने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाया। दुकालू को इस मानसिक चिकित्सालय में छः साल और रहना पड़ा। दुकालू के लिये एक संस्था ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। अदालत में यह सिद्ध हुआ कि दुकालू की शारीरिक स्वतंत्रता का हनन हुआ है। उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को यह आदेश दिया कि वह उसे उचित मुआवजा दे। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि ''ये मुआवजा दुकालू के जीवन के बीते हुए समय को नहीं लौटा सकते, जो उसने यातना के बिताए हैं।''

नागरिकों के मूल कर्त्तव्य :–

जिस प्रकार हमारे मौलिक अधिकार हैं वैसे ही हमारे कर्त्तव्य भी हैं। हमारे आस–पास रहने वाले लोगों के प्रति हमारी ये जिम्मेदारियाँ हैं कि अधिकारों को पाने के लिए हमें कुछ कर्त्तव्य निभाने पड़ते हैं। संविधान में निम्नलिखित कर्त्तव्यों का उल्लेख किया गया है –

मूल कर्तव्य – भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह –

1. संविधान का पालन करे और उसके आदर्शो,संस्थाओं,राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे ;
2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे ;
3. भारत को प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे ;
4. देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें ;
5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म,भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हैं ;
6. हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे ;
7. प्राकृतिक पर्यावरण को जिसके अंतर्गत वन, झील,नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखे ;
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मावनवाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;
9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे ;

10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।

11. 6से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर अभिभावकों द्वारा प्रदान करना।

संदर्भ – भारत का संविधान (2005) भारत सरकार,विधि और न्याय मंत्रालय।

अभ्यास के प्रश्न

Q86TRY

1. सत्य एवं असत्य लिखिए –

1. किसी विशेष जाति या धर्म को मानने वाले को ही नौकरी मिलती हैं।
2. देश के किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति निवास कर सकता हैं।
3. सार्वजनिक स्थलों का उपयोग हम समान रुप से कर सकते हैं।
4. समूह के अधिकारों का उलंघन होने पर जनहित याचिका दायर की जा सकती हैं।

2. निम्नलिखित उदाहरणों को पढ़कर लिखिए कि इन व्यक्तियों के किन मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है:–

– यदि किसी कारखाने में 12 वर्ष के बच्चों से कार्य कराया जाता है।

– बिना कारण किसी को गिरफ्तार करना और हथकड़ी में बाँधकर ले जाना।

– एक जैसे कार्य के लिए महिला श्रमिक को पुरुष श्रमिक से कम मजदूरी दिया जाना।

– शांतिपूर्वक जुलूस निकालने से रोकना।

3. प्रश्नों के उत्तर लिखिए –

1. मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं? लिखिए।
2. हमें प्राप्त मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए, और किसी एक मौलिक अधिकार का वर्णन कीजिए।
3. शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार से आप क्या समझते हैं?
4. स्वतंत्रता के अधिकार को उदाहरण द्वारा समझाइए ?
5. किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर उसे क्या करना चाहिए।
6. एक विद्यार्थी के रूप में आप किन–किन कर्तव्यों का पालन करेंगे ?
7. 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कारखाने में काम करवाना किस अधिकार के अन्तर्गत प्रतिबंधित है ?
8. मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में क्या अन्तर है ?

योग्यता विस्तार –

- चर्चा कीजिए कि विद्यालय के प्रति आपके क्या अधिकार एवं कर्तव्य हैं।
- राजू शहर की भीड़–भाड़ और प्रदूषण से परेशान होकर वापस अपने गाँव निवास करने के लिए जाना चाहता था लेकिन कुछ लोग उसे बलपूर्वक ऐसा करने से रोकते हैं। बताइए ऐसा करने से राजू के किस मौलिक अधिकार का हनन होगा।

अध्याय 4

केंद्र की सरकार

Q8FPTL

आपने कक्षा सातवीं में राज्य सरकार के बारे में पढ़ा है। अब बताइए :–

1. हमारे राज्य का विधानसभा भवन कहाँ पर स्थित है ?
2. आपके क्षेत्र का विधायक कौन है ?
3. क्या छत्तीसगढ़ सरकार का आदेश भोपाल (मध्यप्रदेश) में लागू होगा

हमारे देश में राज्य सरकारों के अलावा एक और सरकार है जो पूरे देश के कई मामलों जैसे रक्षा, डाकघर, बैंक, रेलसेवा आदि की देख–रेख करती है और पूरे देश के लिए कई विषयों पर कानून बनाती है। इस सरकार को केंद्रीय सरकार कहते हैं। इस सरकार के कार्य देश की राजधानी दिल्ली से किए जाते हैं। (इसलिए आम शब्दों में इसे कई बार दिल्लीवाली सरकार कहा जाता है।)

1. आपके आसपास केंद्रीय सरकार के कौन–कौन–से कार्यालय है, सूची बनाइए।
2. केंद्र सरकार के कानून देश के किन लोगों पर लागू होते होंगे? आपस में चर्चा कीजिए।
3. जिस प्रकार पेट्रोल की कीमत का निर्धारण केन्द्र सरकार करती है इसी प्रकार 2–3 उदाहरण और बताइए जिनका निर्धारण केन्द्र सरकार को करना चाहिए और क्यों? सोचकर अपने शब्दों में लिखो।

Q8PKV9

इस पाठ में हम केंद्र सरकार के विषय में पढ़ेंगे।

संसद :– पूरे देश के लिए कानून बनाने का कार्य लोकसभा एवं राज्यसभा करती है जिसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति तथा इन दोनों सदनों को ही मिलाकर संसद कहते हैं। चित्र में संसद भवन दिखाया गया है। यह भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है।

संसद भवन

– आपने अपने देश की संसद भवन का चित्र कहाँ–कहाँ देखा है ?
– क्या आपके इलाके का भी कोई व्यक्ति इस भवन में बैठता है? यदि हाँ तो उन्हें क्या कहते हैं?
– इस भवन में बैठे व्यक्ति क्या काम करते होंगे?

लोकसभाः– जिस प्रकार राज्यों को विधानसभा क्षेत्रों में बाँटा गया है, उसी प्रकार पूरे देश को लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बाँटा गया है। इन क्षेत्रों के विभाजन का आधार भी जनसंख्या ही है। लगभग 10 लाख मतदाताओं में एक संसदीय चुनाव क्षेत्र बनाया गया है। भारत में कुल लोक सभा सीट 552 है, जिसमें से 545 सदस्य कार्यरत हैं। इसमें चुनाव द्वारा 543 तथा राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य मनोनित हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में 11 लोक सभा क्षेत्र है।

लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। एक सदस्य एक ही क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है।

1. आप किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में निवास करते हैं?
2. आपके क्षेत्र के लोकसभा सदस्य कौन हैं?
3. उनका चुनाव कैसे हुआ? आपस में चर्चा कीजिए ।

राज्यसभा :– केन्द्र में सभी राज्य सरकार के प्रतिनिधि हों इसके लिए एक और सभा का गठन किया गया जिसे राज्यसभा कहते हैं। इसे राज्य सरकार की प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं जिसमें से 238 सदस्यों को राज्य सरकार चुनकर भेजती है तथा 12 ऐसे सदस्य होते हैं जिन्हें कला, विज्ञान, साहित्य, संगीत आदि क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य से 5 सदस्य मनोनीत है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है।

संसद को व्यवस्थापिका भी कहते हैं। यह सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है।

संसद के कार्यः– संसद का प्रमुख कार्य कानून बनाना है। दूसरा मंत्रिमंडल के कार्यों की समीक्षा करना और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

प्रश्न यह है कि कानून बनाने का कार्य संसद ही क्यों करती है? इसका उत्तर है कि संसद में हमारे द्वारा चुनकर भेजे गए प्रतिनिधि बैठते हैं,जो हमारे हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाते हैं ।

कार्यपालिकाः– संसद में जो कानून बनता है उसे लागू करने की जवाबदारी सरकार के जिस महत्वपूर्ण अंग की होती है उसे कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति होता है। सरकार का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है लेकिन वास्तव में निर्णय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद् द्वारा लिए जाते हैं।

Q8YGWH

लोकसभा में बहुमत दल के नेता अर्थात् जिस दल या दलों को मिलाकर आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन प्राप्त होता है, उसे ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रि परिषद में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ये सभी मंत्री संसद के सदस्य होते हैं।

राष्ट्रपति :– भारत की कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति है। सरकार का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है लेकिन वास्तव में निर्णय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए जाते हैं।

उदाहरण– आपने समाचार पत्रों में या टी.वी. में देखा होगा कि संसद में महिलाओं के लिए स्थान सुरक्षित रखने के लिए आरक्षण पर बहुत बहस होती थी। यदि मंत्रिपरिषद यह निर्णय लेती है कि महिलाओं को संसद में आरक्षण मिलना चाहिए तो यह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता।

आपस में चर्चा कीजिए कि किन–किन क्षेत्रों में महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है।

राष्ट्रपति की शक्तियाँ :– राष्ट्रपति की कुछ महत्वपूर्ण शक्तियाँ निम्नलिखित हैं :–

1. राज्यों के राज्यपालों, महाधिवक्ता, मुख्य चुनाव आयुक्त, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ,संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है।
2. राष्ट्रपति भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है।
3. राष्ट्रपति दूसरे देशों से युद्ध की घोषणा तथा संधियाँ और समझौते कर सकता है।
4. राष्ट्रपति के पास क्षमादान करने की भी शक्ति होती है।
5. यदि भारत की सुरक्षा को युद्ध आदि का खतरा हो तो राष्ट्रपति पूरे देश के लिए आपातकाल की घोषणा कर सकता है।

राष्ट्रपति इन सारी शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद् की सलाह से करता है ।

– राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए ?
– राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
– उपर्युक्त शक्तियों के अतिरिक्त राष्ट्रपति की और कौन–कौन–सी शक्तियाँ हैं ?
शिक्षक से चर्चा कीजिए।

क्या आप जानते हैं कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाए कानून का पालन न करने पर या उसे तोड़ने पर दंड देने का कार्य किसका है?

यह कार्य सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग करता है, जिसे 'न्यायपालिका' कहते हैं।

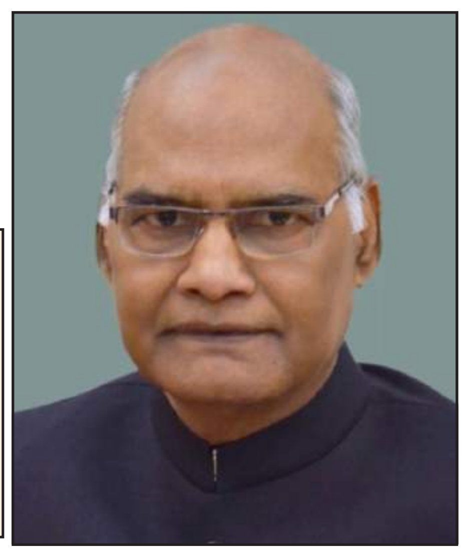

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद

न्यायपालिका :– पिछली कक्षा में आपने जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के बारे में अध्ययन किया। अब हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अध्ययन करेंगे। यह देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, जो दिल्ली में स्थित है। इसे उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं।

उच्चतम न्यायालय के अधिकार एवं शक्तियाँ :– उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार तीन प्रकार के हैं–

1. प्रारम्भिक अधिकार क्षेत्र

इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित मुकदमों की सुनवाई कर सकता है–

अ. ऐसे मुकदमे जो केन्द्र व राज्य सरकार के बीच हों।

ब. ऐसे मुकदमे जो दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवादित हों।

स. ऐसे मुकदमे जो किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों के हनन से संबंधित हों।

2. अपीलीय अधिकार

इसके अंतर्गत यह न्यायालय संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी मामलों में उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुन सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली

3 परामर्श क्षेत्राधिकार

इसके अंतर्गत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व या विधि सम्मत तथ्यों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं लेकिन इस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता।

सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक है। यह संसद द्वारा पारित अधिनियमों का पुनरावलोकन कर सकता है। संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध होने पर उन कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है।

QKCQDG

अभ्यास के प्रश्न

1. **पता करें और बताएँः—**

   1. आप किस राज्य में रहते हैं ?
   2. हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन हैं?
   3. क्या आपके क्षेत्र के संसद सदस्य वहाँ की समस्या को हल करने में मदद करते हैं। यदि हाँ तो कैसे ?

2. केन्द्र सरकार किसे कहते हैं ? केन्द्र सरकार के सभी अंगों के नाम लिखिए।
3. देश की संसद से आप क्या समझते हैं ?
4. देश के लिए कानून बनाने का कार्य सरकार के किस अंग का है ?
5. राष्ट्रपति की चार महत्वपूर्ण शक्तियों के बारे में लिखें ?
6. संसद के कार्यों को लिखिए।
7. प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है ?
8. सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को लिखिए।
9. रामलाल का जमीन संबंधित केस उच्च न्यायालय में चल रहा था। उच्च न्यायालय ने निर्णय रामलाल के विरूद्ध दिया जिससे रामलाल नाखुश था। अब वह न्याय प्राप्ति के लिए कौन–सा उपाय करेगा।
10. 'अगर मैं प्रधानमंत्री होता' अपने विचार 5 वाक्यों में लिखिए।

अध्याय 5

हमारी न्याय व्यवस्था

QKLLF4

कक्षा सातवीं में आप लोगों ने सरकार के कार्यों, कानून बनाने व उसे लागू करने के बारे में पढ़ा। सरकार का तीसरा काम लोगों को न्याय दिलाना है। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि कोर्ट, कचहरियाँ क्या–क्या काम करती हैं, इनके काम करने के क्या तरीके है, और ये कितने तरह की होती हैं। कोर्ट–कचहरी के कामो को समझने के लिए आइए एक घटना का अध्ययन करें।

चैतू और रामसिंह की जमीन का झगड़ा

सोनपुर गाँव में दो किसान रहते थे– चैतू और रामसिंह। इन दोनों के खेत पास–पास थे। कुछ सालों से उन दोनों में जमीन के विषय में कहा सुनी चल रही थी। रामसिंह ने चैतू के खेत की मेंड़ को तोड़–तोड़कर धीरे–धीरे अपने खेत को बढ़ा लिया था।

खेत के मेंड़

एक दिन चैतू ने नहर का पानी अपने खेत में भरा। लेकिन उसी रात रामसिंह ने चैतू के खेत की मेंड़ फोड़कर पानी अपने खेत में भर लिया। दूसरे दिन सुबह चैतू जब अपना खेत देखने गया तो उसने देखा कि उसके खेत में बिलकुल पानी नहीं है जबकि रामसिंह के खेत में काफी पानी भरा है। उसने खेत में काम कर रहे रामसिंह से कहा कि ''तुमने यह ठीक नहीं किया। तुम मेरी फसल को नुकसान पहुँचाना चाहते हो। रामसिंह ने कहा कि मैंने ठीक किया है।'' चैतू ने कहा, ''चोरी और सीना जोरी, मैं अभी तक शांति से काम निकालना चाहता था परंतु तुम इसे मेरी कमजोरी समझ रहे हो। अब मैं तुम्हारे द्वारा दबाई हुई अपनी जमीन भी वापस लेकर रहूँगा।''

चैतू ने अपने गाँव के सरपंच को बताया कि रामसिंह ने उसकी जमीन हड़प ली है तथा उसके खेत का पानी भी अपने खेत में बहा लिया है। पंचायत की बैठक में दोनों की बात सुनी गई। पंचायत ने रामसिंह को समझाया कि वह चैतू के साथ झगड़ा न करे और उसकी जमीन वापस कर दे। लेकिन रामसिंह ने पंचायत के फैसले को मानने से इंकार कर दिया। तब चैतू ने रामसिंह के विरुद्ध तहसीलदार के न्यायालय (कोर्ट) में मुकदमा दर्ज करने की सोची।

जमीन जायदाद के झगड़े या मजदूर–मालिक के बीच पैसों के लेनदेन में जो विवाद होता है, ऐसे विवादों को दीवानी मुकदमे कहते हैं। इसमें सजा नहीं होती पर जिस पक्ष को नुकसान सहना पड़ा है, उसे उसके नुकसान का मुआवजा दिया जा सकता है।

सरपंच ने चैतू को सलाह दी कि वह वकील के पास जाए और इस मामले को बताए। वकील ने चैतू की जमीन से संबंधित सभी कागजातों जैसे पर्चा–पट्टा की फोटोकॉपी तथा पटवारी से विवादित भूमि (खसरा बी–1) की नकल लाने को कहा और उसने मामले की पैरवी करने के लिए फीस के रूप में 1500 रुपये माँगे। चैतू ने इस रकम को किश्तों में देने को कहा।

अपने शिक्षक से चर्चा करें :–

1. दीवानी मुकदमे किसे कहते हैं?
2. कोर्ट कचहरी के अलावा गाँव में न्याय पाने के और क्या उपाय हैं?
3. चैतू ने सरपंच को अपने झगड़े की बात क्यों बताई?
4. चैतू के मामले की सुनवाई किस न्यायालय में शुरू होने वाली थी?
5. चैतू ने वकील को पैसे क्यों दिए? वकील ने जमीन के कागजात क्यों मँगाए?
6. वकील का क्या काम है?

रामसिंह और चैतू की मारपीट

इसी बीच एक दिन खेत पर दोनों में काफी कहा–सुनी हुई और बात इतनी बढ़ी कि रामसिंह ने डंडे से चैतू के सिर और हाथ पर जोर से वार किया। चैतू के सिर पर चोट लगने के कारण खून निकलने लगा। उसका हाथ भी टूट गया। पास के ही खेत में मंगल किसान काम कर रहा था। उसने भी इस घटना को देखा। उसी ने आकर चैतू की मदद की और घर तक पहुँचाया।

खेत में चैतू और रामसिंह के बीच मारपीट

थाने में रिपोर्ट

चैतू का लड़का एक पड़ोसी की मदद से पिता को थाने ले गया। चैतू ने रामसिंह के विरुद्ध रिपोर्ट लिखवाई। थाने के मुंशी ने कोरे कागज पर रिपोर्ट लिखी। यह घटना की पहली रिपोर्ट (फर्स्ट इन्फर्मेशन रिपोर्ट या एफ.आई.आर.) थी। चैतू ने उस पर हस्ताक्षर किए तथा मुंशी से अनुरोध किया कि वह उसे रजिस्टर में दर्ज कर उसकी एक प्रति उसे अवश्य दें। मुंशी ने थानेदार को कोरे कागज पर लिखी रिपोर्ट दिखाई और कहा कि ये लोग इसे रजिस्टर में दर्ज करने को कह रहे हैं। थानेदार ने पूरी रिपोर्ट पढ़ी और उसे रजिस्टर में दर्ज कर उसकी एक प्रति चैतू को देने को कहा। उसके बाद उसने एक सिपाही के साथ चैतू को इलाज के लिए शासकीय अस्पताल भेज दिया। अस्पताल में चैतू का इलाज हुआ और वह घर आ गया।

एफ.आई.आर. क्या है ?

थाने में रिपोर्ट

यदि आप किसी घटना की शिकायत या किसी बात की सूचना पुलिस को देना चाहते हैं तो पास के थाने में जाकर घटना की प्रथम सूचना लिखवानी होती है। इसे अंग्रेजी में एफ.आई.आर. या फर्स्ट इंफार्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। रिपोर्ट दर्ज होने पर ही पुलिस मामले की जाँच व कार्यवाही करती है और यह पुलिस का कर्तव्य भी है। एफ.आई.आर. में अपराध का विवरण अपराधी का नाम, स्थान, अपराध का समय, गवाहों के नाम आदि लिखे जाते हैं। जो भी जानकारी अपराध से संबंधित हो तथा मालूम हो उसे अवश्य ही उसमें लिखना चाहिए।

थाने में एफ. आई. आर. कोई भी दर्ज करा सकता है। यदि पढ़ा–लिखा हो तो स्वयं लिखकर एवं उस पर अपने हस्ताक्षर व पता लिखकर दिया जा सकता है। मौखिक बताने पर थानेदार रिपोर्ट लिख लेता है और पढ़कर सुनाता है। फिर उस पर जानकारी देनेवाले से हस्ताक्षर करवाता है। एफ. आई.आर. एक खास रजिस्टर (रोजनामचा) में दर्ज होनी चाहिए क्योंकि रोजनामचा में रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस की जाँच की कार्यवाही अनिवार्य हो जाती है।

एफ.आई.आर. लिखवानेवाले को उसकी एक प्रति निःशुल्क मिलती है। यदि कोई थानेदार या मुंशी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करता तो रिपोर्ट लिखानेवाला रिपोर्ट सीधे पुलिस अधीक्षक या मजिस्ट्रेट को डाक से भेज सकता है। (इसके अलावा पुलिस नियंत्रण कक्ष के फोन नम्बर 100 पर भी रिपोर्ट की सूचना दी जा सकती है।)

आइए पता करें :–

1. थाने में चैतू ने क्या रिपोर्ट लिखवाई होगी? विवरण लिखें।
2. रिपोर्ट की एक प्रति लेना क्यों आवश्यक है?
3. अगर कोई थानेदार आपकी एफ.आई.आर. न लिखे तो आप क्या कर सकते हैं?

जुर्म की छानबीन

एफ.आई.आर. के आधार पर थानेदार ने छानबीन करना तय किया। दोपहर को थानेदार चैतू के घर पहुँचा। उसने चैतू को देखा तथा डाक्टर के इलाज व पर्ची को पढ़ा। डाक्टर की पर्ची से पता चला कि चोट काफी गहरी है। चैतू का हाथ टूट गया था। थानेदार ने चैतू के पड़ोसियों से भी पूछताछ की। पड़ोसी मंगल ने खेत में हुए झगड़े की पूरी बात बताई। थानेदार को यकीन हो

गया कि अपराध गंभीर है। थोड़ी देर बाद थानेदार रामसिंह के घर पहुँचा और उसे बताया कि चैतू को तुमने गंभीर चोट पहुँचाई है इसलिए तुम्हें चोट पहुँचाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। थानेदार उसे गिरफ्तार करके अपने साथ ले गया।

ऐसे अपराध, जिनसे समाज की शांति भंग होती है, जैसे– चोरी, रिश्वत, डकैती, हत्या, मारपीट आदि को फौजदारी अपराध कहते हैं।

थाने में रामसिंह से पूछताछ की गई। रामसिंह इस बात से मना कर रहा था कि उसने चैतू की पिटाई की है। थानेदार उसे जुर्म कबूल करने पर जोर दे रहा था परंतु वह साफ इंकार कर रहा था।

पुलिस थाने में किसी पर भी अपना जुर्म कबूल करने की जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। यदि थाने में कोई अपना जुर्म काबूल कर भी ले तो इसके आधार पर उसे सजा नहीं हो सकती। जुर्म कबूल करना तभी माना जाएगा जब वह कचहरी में मजिस्ट्रेट के सामने जुर्म कबूल करे। पुलिस का काम तो सिर्फ मामले की छानबीन करके कचहरी में सबूत पेश करना है। पुलिस किसी को सजा नहीं दे सकती। कचहरी में सारे मामले की सुनवाई होने के बाद मजिस्ट्रेट ही सजा सुना सकता है।

गिरफ्तारी

पुलिस जब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसे यह बताना जरूरी होता है कि उस व्यक्ति को किस जुर्म के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। यदि उसे यह नहीं बताया जाता है तो उस व्यक्ति का यह अधिकार है कि वह पुलिस से पूछे और जुर्म बताए जाने पर ही उसके साथ जाने को तैयार हो। बिना जुर्म बताए किसी को गिरफ्तार करना गलत है। गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के भीतर पास के न्यायालय में उस व्यक्ति को प्रस्तुत करना आवश्यक है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का यह भी हक है कि वह जल्दी–से–जल्दी अपने बचाव के लिए किसी वकील की सहायता ले सके।

पुलिस किसी व्यक्ति को इसलिए गिरफ्तार करती है ताकि उससे पूछताछ की जा सके। गिरफ्तार नहीं करने पर वह व्यक्ति अपने खिलाफ सबूतों को नष्ट कर सकता है या फिर वह कोई दूसरा अपराध कर सकता है अर्थात् गिरफ्तारी कोई सजा नहीं होती।

1. रामसिंह को किस जुर्म के लिए गिरफ्तार किया गया?
2. किसी व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों किया जाता है?
3. सजा कौन दे सकता है?
4. गिरफ्तारी और सजा में क्या अंतर है?
5. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को वकील से सहायता लेने की अनुमति क्यों दी जाती है?
6. फौजदारी और दीवानी मामले को उदाहरण सहित समझाएँ।

जमानत

थानेदार ने रामसिंह को हवालात में बंद कर दिया। उसने थानेदार से बहुत मिन्नत की कि उसे छोड़ दिया जाए। थानेदार ने रामसिंह को बताया– "तुम्हें जमानत पर ही छोड़ा जा सकता है। कोई व्यक्ति जिसके पास पैसे, जमीन–जायजाद इत्यादि हो वह तुम्हारी जिम्मेदारी ले सकता है।

यदि तुम्हारे पास खुद की जमीन, पैसा हो तो तुम भी अपना बाण्ड मुचलका (जमानत राशि) भर सकते हो।'' रामसिंह के पास 15 एकड़ जमीन थी। अतः उसने अपना बाण्ड खुद भरा। थानेदार ने कहा जब भी तुम्हें कचहरी में, बुलाया जाएगा, तो तुम्हें वहाँ हाजिर होना पड़ेगा। अब तुम घर जा सकते हो।

पहली पेशी

पहली पेशी में रामसिंह को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया। पुलिस की तरफ से सरकारी वकील ने रामसिंह द्वारा किए गए जुर्म की बात मजिस्ट्रेट के सामने बताई। एफ. आई.आर. की प्रति और डॉक्टर की रिपोर्ट भी दी तथा चैतू को गंभीर चोटें पहुँचाने का आरोप रामसिंह पर लगाया गया। मजिस्ट्रेट ने रामसिंह से पूछा कि आप अपना जुर्म मानते हो। रामसिंह ने मना कर दिया। मजिस्ट्रेट ने अगली पेशी की तारीख दे दी।

पहली पेशी

गवाह और पेशी

रामसिंह ने अपने पक्ष में कुछ दोस्तों के नाम गवाही के लिए दिए थे। चैतू ने जो रिपोर्ट थाने में लिखवाई उसमें गवाहों के रूप में एक पड़ोसी और मंगल किसान का नाम था। इन सबको मजिस्ट्रेट का आदेश (सम्मन) मिला कि उन्हें कचहरी में गवाही देने के लिए उपस्थित होना है।

15 दिन बाद जब दूसरी पेशी की तारीख आई तब सब गवाह द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट की कचहरी में पहुँचे। पुकार हुई और गवाहों ने बारी–बारी से घटना के दिन की सारी बातें बताईं दोनों पक्ष के वकीलों ने गवाहों से पूछताछ की।

तीसरी पेशी में दोनों पक्ष के वकीलों में बहस हुई। इस प्रकार वकीलों द्वारा पूछताछ और बहस होते रहने के कारण केस दो साल तक चला। अंत में मजिस्ट्रेट ने रामसिंह को जानलेवा मारपीट करने के जुर्म में दोषी पाया और अपने फैसले में रामसिंह को तीन वर्ष की सजा सुनाई।

पहली पेशी

चर्चा करें और लिखें –

1. गवाह पेश करना क्यों जरूरी है ?
2. गवाहों से पूछताछ करना क्यों जरूरी है?
3. पुलिस के काम और मजिस्ट्रेट के काम में क्या अंतर है?
4 मजिस्ट्रेट अपना फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करता है? शिक्षक से चर्चा करें।

सेशन्स कोर्ट में अपील (जिला मुख्यालय)

रामसिंह कोर्ट कचहरी के चक्कर में बर्बाद हो गया। उसकी खेती–बाड़ी के कार्यो मे बहुत बाधा पहुँची थी। उसे चिंता हो रही थी कि तीन साल की सजा में तो उसकी पूरी खेती चौपट हो जाएगी। ऐसी स्थिति में उसने अपने वकील से कहा, ''क्या अब कोई उपाय नहीं हैं जिससे मेरी सजा माफ हो जाए?''

जिला एवं सत्र न्यायालय

वकील ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा– ''मैं इस फैसले के खिलाफ सेशन्स कोर्ट में अपील करूँगा। जब तक वहाँ का फैसला नहीं होगा तुम्हें जेल नहीं जाना होगा। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट या न्यायिक दंडाधिकारी का फैसला सेशंस जज बदल सकता है। सेशंस कोर्ट में तुम्हें बार–बार पेशी के लिए आने की जरूरत भी नहीं होगी। तुम समय–समय पर फीस देते रहना।''

इस प्रकार रामसिंह के वकील ने सेशन्स कोर्ट (सत्र न्यायालय) में अपील की। वहाँ पर रामसिंह के बचाव के लिए उसके वकील ने मंगल को रामसिंह के पक्ष में गवाही देने को कहा पर मंगल ने साफ इंकार कर दिया। यहाँ मामला एक साल तक चला। सेशंस जज ने रामसिंह की सजा तीन साल से घटा कर दो साल कर दी।

1. ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट का फैसला ———————— जज बदल सकता है।
2. ————————न्यायालय में अपराधी को बार–बार जाने की जरूरत नहीं पड़ती है।
3. रामसिंह का वकील क्या गलत तरीका अपनाने की कोशिश कर रहा था?

QKVHGR

उच्च न्यायालय

रामसिंह फैसला सुनकर दुखी हुआ। किन्तु उसने हार नहीं मानी। उसने अपने वकील से पूछा कि इस सजा से बचने का क्या उपाय हैं। वकील ने सलाह

दी कि उच्च न्यायालय में फैसला बदला जा सकता है। वकील ने कहा कि हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होता है। यह राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। किसी भी मुकदमे के फैसले के खिलाफ इस न्यायालय में अपील की जा सकती है। उच्च न्यायालय में मुजरिम और गवाहों को नहीं बुलाया जाता है। केवल केस फाईल के आधार पर बहस होती है और फैसले होते हैं। रामसिंह के कहने पर वकील ने उच्च न्यायालय में अपील की।

सर्वोच्च न्यायालय (उच्चतम न्यायालय)
|
उच्च न्यायालय
|
जिला एवं सत्र न्यायालय

जिला न्यायालय (दीवानी मामले)	सत्र न्यायालय (फौजदारी मामले)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1	न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2	न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी

लगभग चार माह बाद उसके केस पर बहस प्रारंभ हुई। वकील ने रामसिंह की सजा को माफ कराने की बहुत कोशिश की। उच्च न्यायालय के जज ने निचली अदालतों के फैसलों को बारीकी से जाँचा तथा वकीलों की बहस को सुना। अंत में जज ने सेशंस जज के फैसले को सही पाया और रामसिंह की दो साल की सजा को बरकरार रखा।

इस प्रकार रामसिंह को दो साल के लिए जेल भेज दिया गया। वकील ने रामसिह से जेल में मुलाकात की और उसे भरोसा दिलाते हुए कहा कि तुम्हारी सजा को मैं सर्वोच्च न्यायालय में माफ करवाऊँगा। रामसिंह ने कहा, "साहब, सर्वोच्च न्यायालय में और अधिक पैसे खर्च होंगे। वहाँ भी ऐसा ही फैसला होगा। मुझे अब कहीं नहीं जाना है।"

1. रामसिंह का मामला किन–किन अदालतों में चला? क्रम से लिखिए ।
2. किसी मामले के फैसले के विरुद्ध अपील करने की सुविधा क्यों दी जाती है? शिक्षक की मदद से चर्चा करें।

सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा और अंतिम न्यायालय होता है। यहाँ पर उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध अपील की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अंतिम होता है।

सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे प्रमुख न्यायालय है। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होता है तथा जिला स्तर पर भी न्यायालय होते हैं। फौजदारी मामलों के लिए सेशंस कोर्ट तथा दीवानी मामलों के लिए जिला कोर्ट होता है।

अब आप समझ गए होंगे कि रामसिंह का मामला सबसे पहले मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी के न्यायालय में गया। इसके बाद जिला के सत्र न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालय में गया। इस प्रकार न्यायालय की व्यवस्था तहसील, जिला, राज्य एवं देश में की गई है। हमारे राज्य का उच्च न्यायालय बिलासपुर में है तथा देश का उच्चतम न्यायालय दिल्ली में है।

छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय, बिलासपुर

आप आपस में चर्चा करें और पता लगाएँ कि आपके क्षेत्र में न्याय की व्यवस्था के लिए कहाँ–कहाँ पर कचहरी है ?

अभ्यास के प्रश्न

QL5DIE

1. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

अ. गिरफ्तारी कोई–––––––––– नहीं है।

ब . पुलिस नियंत्रण कक्ष का फोन नम्बर –––––––––– है।

2. नीचे दिए गए विवरण को पढ़कर खाली स्थान भरें–

तहसीलदार ने मामले की सुनवाई के लिए–––––––––की तारीख दी। पहली–––––––में चैतू से जमीन के विवाद के बारे में विस्तार से जानकारी ली गई। दूसरी पेशी के लिए उसे तीन माह

बाद तारीख दी गई। तहसीलदार ने दूसरी बार जमीन के कब्जे के बारे में पूछा तो पटवारी ने कहा कि वर्तमान में चैतू की जमीन के कुछ हिस्से पर रामसिंह ने कब्जा किया हुआ है।

तीसरी पेशी में रामसिंह को नोटिस दी गई कि वह अपनी तरफ से जमीन के कागजात व ------पेश करे। चौथी पेशी में दोनों पक्षों के--------ने गवाही दी। दोनों वकीलों ने तहसीलदार के सवालों के जवाब दिए।

तहसीलदार ने दोनों पक्षों के बयान तथा वकीलों की बहस को सुना तथा प्रस्तुत कागजातों की जाँच की, जाँच में विवादित भूमि चैतू का होना तय पाया। अतः उसने अपने फैसले मे लिखा कि रामसिंह चैतू की जमीन के-------को छोड़ दे तथा मुआवजे के रूप में चैतू को 5000 रु. तथा न्यायालय खर्च के रूप मे 500 रु. दे।

3. नीचे लिखे कथन सत्य हैं या असत्य लिखिए–

अ. किसी बात की शिकायत पुलिस थाने में करने के लिए एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जाती है।

ब. वकील का काम अपराधी को फैसला सुनाना है।

स. उच्च न्यायालय में छोटी कचहरी और सेशंस कोर्ट के फैसले बदले जा सकते हैं।

4. अंतर बताएँ–

अ. वकील और जज

ब. मुजरिम और कैदी

5. निम्नलिखित के कार्य बताएँ–

वकील, मजिस्ट्रेट, पुलिस।

6. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :–

अ. हमें न्यायालयों की आवश्यकता क्यों पड़ती है ?

ब. दीवानी मामलों और फौजदारी मामलों में क्या अंतर है?

स. न्यायालय में बार–बार पेशियाँ क्यों होती हैं ?

7. गतिविधि–

आप अपने निकट के किसी न्यायालय की जानकारी शिक्षक की सहायता से प्राप्त करें। कक्षा में कोर्ट–कचहरी की गतिविधियों को नाटक द्वारा प्रस्तुत करें।

QLE9K2

अध्याय 6

कर (Tax)

सड़क हो या बिजली, पुल हो या रपटा, बाजार हो या खेल का मैदान, सरकारी स्कूल हो या सरकारी अस्पताल, ये सभी स्थान किसी एक व्यक्ति का न होकर सभी व्यक्तियों के लिए होते हैं अर्थात् इनका उपयोग गाँव या शहर के सभी व्यक्ति कर सकते हैं। ये सभी सार्वजनिक सुविधाएँ कहलाती हैं।

क्या आपने अपने आस–पास की सार्वजनिक सुविधाओं को देखा है? उसके कुछ उदाहरण बताइए–

– –
– –
– –
– –

उपर्युक्त सूची में बताए गए कार्यों को कौन करवाता है ? इन कार्यों को कराने के लिए धन कहाँ से आता है ? शिक्षक से चर्चा कर लिखिए :–

– –
– –
– –
– –

इन कार्यों को कराना सरकार की जिम्मेदारी होती है। इनके अलावा लोगों को सुविधाएँ उपलब्ध कराना जैसे पानी की व्यवस्था, अस्पताल खुलवाना, बिजली की व्यवस्था, सड़क बनवाना आदि कार्यों को भी सरकार करती है। इस कार्य के लिए सरकार को धन की आवश्यकता होती है। धन की व्यवस्था सरकार कर या टैक्स से करती है। कर सरकार को दिया गया एक अनिवार्य अंशदान होता है। सरकार लोगों से कर किस प्रकार प्राप्त करती है इसकी चर्चा आगे करेंगे।

बजट :–

सरकार को कर या टैक्स के रूप में आय (आमदनी) प्राप्त होती है। इन करों से प्राप्त धन को वह किन मदों पर खर्च करेगी यह तय किया जाता है। इस आय–व्यय के लेखा–जोखा को बजट कहते हैं। इस बजट में एक तरफ यह बताया जाता है कि किस–किस प्रकार के कर (टैक्स) लगाने से सरकार को आमदनी प्राप्त होगी तथा दूसरी तरफ, प्राप्त धन को कहाँ–कहाँ लगाया जाएगा।

अपने माता–पिता की सहायता से निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर अपने घर का एक मसिक बजट बनाइए :–

घर का मासिक बजट माह ....सन् ....

स. क्र.	विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आय जैसे वेतन, परिश्रामिक कृषि इत्यादि	प्राप्त राशि	व्यय मद/विवरण	व्यय राशि
1.	मसिक वेतन/ पारिश्रमिक	....	1.राशन, 2.सब्जी,	....
2.	मकान किराया से आमदनी	....	3.वस्त्र 4.स्कूल,	....
3.	दुकान से प्राप्त आमदनी	....	5. फीस, 6. पुस्तक	....
4.	कृषि से प्राप्त आमदनी	....	7. बिजली बिल, 8. जल कर	....
5.	अन्य संरचना से प्राप्त आमदनी	....	9. परिवहन 10. अन्य कोई विशेष कार्य पर खर्च	....
	आय का योग		**व्यय का योग**	

छात्र अपने घर में आय के जो साधन हैं उसी को लिखें।

माता –पिता से पता करें यदि आय व्यय से ज्यादा हो तो क्या करते हैं?

यदि व्यय आय से ज्यादा हो तो क्या करते है?

करों के प्रकार :–

हम सभी लोग किसी न किसी रूप में सरकार को कर देते हैं। एक तो हम अपनी आय,जमीन एवं संम्पत्ति पर कर देते हैं एवं दूसरा वस्तुओं तथा सेवाओं के खरीदने पर सरकार को कर चुकाते हैं।

कर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते है–

1. प्रत्यक्ष कर
2. अप्रत्यक्ष कर

प्रत्यक्ष कर :–

प्रत्यक्ष कर वह कर है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वही व्यक्ति इसका भुगतान करता है। जैसे आयकर , सम्पत्ति कर आदि ।

आयकर (Income Tax) :– आयकर सरकार द्वारा व्यक्ति की आय (आमदनी) पर लगाया जाता है। सरकार देश में लोगों के जीवन–यापन के लिए एक निश्चित आर्थिक सीमा तय करती है। इस सीमा से अधिक आय प्राप्त करने वाले लोगों को आयकर देना पड़ता है। कृषि से होने वाली आय पर सरकार ने आयकर में छूट दे रखी है।

इनके अलावा कारखानों या उद्योग धंधे चलानेवाली कंपनियों को कर देना होता है। क्योंकि ये आय के साधन हैं। इस आमदनी में होनेवाले खर्चे (कच्चा माल, वेतन आदि) काटकर जो बचता है उसे कारखाने या कंपनी का मुनाफा कहते हैं। कंपनी के मालिक को इस मुनाफे पर नियमानुसार सरकार को कर देना पड़ता है।

संपत्ति कर :– शहरी क्षेत्रों में जमीन एवं मकान पर नगर–निगम कर वसूल करती है।

1. पता कीजिए कि आपके आस–पास के वाहन (स्कूटर, मोटर साईकिल, जीप, कार, बस, ट्रक) मालिक को कर देना पड़ता है? वह कर क्यों लगता है?
2. क्या तुमने कभी टैक्स फ्री सिनेमा के बारे में सुना है? गुरुजी से चर्चा करो।
3. वस्तुओं पर कर लगाने से सरकार को अधिक आय क्यों होगी? शिक्षक से चर्चा कीजिए।

अप्रत्यक्ष कर :–

जब हम किसी वस्तु एवं सेवा को खरीदते है तो सरकार उस पर कर लगाती है। यह कर विक्रेता पर लगाया जाता है परन्तु इस कर की राशि को वस्तु एवं सेवा के मूल्यों में जोड़कर वह उपभोक्ता से वसूली कर लेता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह कर किसी एक व्यक्ति पर लगाया जाता है परन्तु उसका भुगतान कोई दूसरा व्यक्ति करता है। इसलिए इसे हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं – जैसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,बिक्री कर, सेवा कर मनोरंजन कर आदि।

हमारे देश में 1 जुलाई 2017 से GST अर्थात् वस्तु एवं सेवा कर लागू हो गया है। अब विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर एकल कर को अपनाया गया है। इससे सभी अप्रत्यक्ष कर GST में समाहित हो गए हैं।

वस्तु एवं सेवा कर (GST) :– वस्तु एवं सेवा कर जिसे हम जी.एस.टी.के नाम से जानते हैं। यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तु एवं सेवा दोनों पर लागू होता है। इससे पूरे भारत में एक समान

कर व्यवस्था लागू हो गई है, अर्थात पूरे देश में किसी भी वस्तु की कीमत एक समान होगी। पहले किसी कम्पनी की कार को दिल्ली में खरीदते थे और उसी कम्पनी की कार को रायपुर में खरीदते थे तो दोनों कारों की कीमत में अन्तर होता था,क्योंकि प्रत्येक राज्य में कर की दर अलग–अलग होती थी। अब कोई भी राज्य किसी भी वस्तु पर मनमाने ढंग से कर नहीं लगा सकता। "एक देश एक कर के नियम का पालन सभी राज्यों को करना होगा।"

जी.एस.टी. एक मूल्य संवर्धित कर है जो किसी वस्तु के उत्पादन के प्रत्येक चरण में केवल उसी हिस्से पर लगायी जाती है जितनी उस वस्तु के कीमत में वृद्धि होती है। हम जानते है कि किसी भी वस्तु को उपभोक्ता तक पहुँचने के लिए विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है और प्रत्येक चरण में उस वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है। मूल्य में की गई यह वृद्धि मूल्य संवर्धन कहलाता है।

माना जा रहा है कि हमारे देश में जी.एस.टी. के लागू होने से वस्तु की कीमतों में कमी आएगी और उपभोक्ताओं को वस्तुएँ सस्ती दर पर सुलभ होंगी। इससे लोगों को कर पटाने में सुविधा होगी और सरकार की कर संबंधी समस्याएँ भी दूर होंगी।

सरकार द्वारा अनिवार्य आवश्यकता की कुछ वस्तुओं को कर से मुक्त रखा गया है। वहीं अन्य वस्तुओं पर 5,12,18 एवं 28 प्रतिशत के दर से कर लिया जा रहा है। इसे हम चित्रों के माध्यम से अच्छी तरह से समझ सकते हैं –

उपर्युक्त चित्रों को देखकर शिक्षकों की सहायता से पता करें कि 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की दर से किन–किन वस्तुओं पर कर लिया जा रहा है ?

कर का प्रभाव :– किसी भी कर को लगाते समय दो बातों का ध्यान रखा जाता है :–

1. उस कर से कितनी आमदनी होगी ?
2. उस कर का असर किस पर होगा–अमीर पर या गरीब पर ?

सरकार वस्तुओं पर कर लगाकर आय प्राप्त करती है। वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाने से उस वस्तु की कीमतें बढ़ जाती हैं। चाहे वह अमीर हो या गरीब उसे किसी भी वस्तु को खरीदने पर निर्धारित कर देना पड़ता है। इसका असर कम करने के लिए सरकार की कोशिश होती है कि वह जरूरत की चीजों–नमक, साबुन, तेल, खाद्यान्न सामान आदि पर कम दर से कर लगाए और विलासिता की वस्तुओं–टी.व्ही., फ्रीज, एयर कंडीशनर, कार आदि पर ज्यादा। लेकिन जरूरत की चीजों से अधिक कर इकट्ठा हो जाता है क्योंकि ये अधिक मात्रा में बिकती हैं। जबकि विलासिता की वस्तुओं या वैसी चीजें, जो केवल अमीर लोग ही खरीद सकते हैं, इससे कम कर इकट्ठा होता है।

हमारे द्वारा सरकार को कर देना आवश्यक है। कर एकत्रित करने के लिए सरकार समय निर्धारित करती है। अतः हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम सरकार द्वारा तय किए गए कर को निश्चित समय में जमा करें साथ ही सरकार का भी कर्त्तव्य है कि कर द्वारा प्राप्त आय को सही रूप में सार्वजनिक सुविधाओं के लिए खर्च करे।

चर्चा करें–

1. मिट्टी के तेल पर कर बढ़ाने का प्रभाव किन लोगों पर होगा ?
2. फ्रीज, कार एवं ए. सी. पर कर बढ़ाने से किन लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा ?
3. माचिस या मोटर सायकल, किस पर कर बढ़ाने से अधिक पैसे इकट्ठे किए जा सकते हैं?

अभ्यास के प्रश्न

QLN5LP

1. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :–

1. सरकार को .... से धन प्राप्त होता है।
2. आय–व्यय का लेखा–जोखा.................................... कहलाता है।
3. ....और.............................. करों के प्रकार है।
4. टैक्स लगने पर सामानों की कीमत............................जाती है।

2. प्रश्नों के उत्तर दीजिए :–

1. कर क्या है ? समझाइए।
2. कर (टैक्स) क्यों लगाया जाता है ?
3. वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगने वाले कर और आय कर में तुलना कीजिए।
4. सरकार द्वारा कृषि के उत्पादन पर कर लगा देना उचित है या अनुचित ? अपने विचार लिखिए।
5. मूल्य संवर्धन को समझाइए।
6. जी. एस. टी. को समझाइए।
7. **बजट बनाएँ–** आपके पिताजी की आय 5000 रूपए मासिक है तो आप भोजन, आवास, कपड़ा, शिक्षा एवं अन्य खर्च पर मासिक बजट बनाइए।

अध्याय 7

भारत में कृषि का विकास

QLX1NC

इस अध्याय में हम यह अध्ययन करेंगे कि देश की आजादी के बाद से अब तक कृषि के क्षेत्र में क्या बदलाव आया है? इस सिलसिले में भारत सरकार ने कौन–कौन–सी नई योजनाएँ लागू की हैं?

आज देश के आर्थिक विकास में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। देश में कृषि को दो खास भूमिकाएँ अदा करनी पड़ती हैं। पहली– देश में, खेती से इतना अनाज पैदा हो कि सभी को पर्याप्त अनाज मिल सके और गरीब–से–गरीब भी अनाज की अपनी जरूरतें पूरी कर सके। दूसरी– जो लोग अपने गुजर–बसर के लिए खेती पर ही निर्भर हैं, उन्हें खेती से पर्याप्त आमदनी हो सके।

स्वाधीनता के पहले भारत के आर्थिक विकास में कृषि का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं था। जब बाढ़ और सूखे के कारण पैदावार कम होती तो बहुत से लोगों को कृषि के कामों में मजदूरी भी नहीं मिल पाती थी। अकाल के समय अँग्रेज सरकार गाँवों में गरीबों के लिए पर्याप्त अनाज नहीं जुटा पाती थी। इस कारण रोग व भूख से बहुत अधिक लोग मर जाते थे।

जमींदारी प्रथा का अंत :–

आजादी के बाद किसानों की स्थिति बहुत खराब थी। उनके पास जमीन कम होने के कारण वे दूसरों की जमीन पर काम करते थे। उन्हें जमीन के मालिक को पैदावार का बड़ा हिस्सा बटाई के रूप में देना पड़ता था। परिणामस्वरूप किसान गरीबी में रहते थे और अपने परिवार की बुनियादी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते थे।

जमींदारों के पास खेती योग्य जमीन का आधे से ज्यादा हिस्सा था। ग्रामीण क्षेत्रों में वे बहुत ताकतवर होते थे क्योंकि वे किसानों से लगान वसूल करते थे। बहुत से जमींदार किसानों पर अत्याचार किया करते थे। इसलिए आजादी के तुरंत बाद भारत की नई सरकार ने इस जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का निर्णय लिया।

अब जमींदार किसानों से लगान इकट्ठा नहीं कर सकते। सरकार ने जमीन का लगान बहुत कम कर दिया और लगान वसूल करने के लिए उसने अपने कर्मचारी तैनात कर दिए। इस प्रकार अब किसानों को लगान न दे सकने की स्थिति में जमींदार के हाथों परेशान नहीं होना

पड़ता। धीरे–धीरे किसानों ने जमींदारों की बेगार करने से भी मना कर दिया।

सरकार ने ऐसे कानून भी बनाए जिनसे जमीन रखने की सीमा भी तय हो गई। दूसरे शब्दों में, यह तय किया गया कि कोई भी व्यक्ति अपने पास एक सीमा तक ही जमीन रख सकता है। इससे जमींदारों को चिंता हुई, क्योंकि इसका मतलब था कि उन्हें अपनी सैकड़ों एकड़ जमीन छोड़नी होगी और उसे भूमिहीन मजदूरों में बाँट दिया जाएगा।

इससे निपटने के लिए बड़े किसान अपनी जमीन अपने परिवार और रिश्तेदारों को बाँटने लगे। जमींदारों ने यह दिखाया कि जमीन कई लोगों के पास है जबकि वास्तव में पूरी जमीन उनके कब्जे में ही थी और वे पहले की तरह ही उससे कमाई करते रहे।

- जमींदारी प्रथा के समय में किसानों के सामने जो समस्या थी, उसका वर्णन कीजिए।
- जमींदारी प्रथा खत्म होने से छोटे किसानों और मजदूरों को क्या फायदा हुआ?
- सरकार ने कानून बनाकर जमीन की सीमा क्यों तय की ? इससे भूमिहीन किसानों को लाभ क्यों नहीं हुआ? चर्चा कीजिए।

सिंचाई और बाँध बनाने में बढ़ोत्तरी :–

सन् 1950 से 1966 के बीच भारत सरकार ने सिंचाई और बिजली परियोजनाओं में बहुत धन लगाया। ऐसी उम्मीद की गई थी कि इन योजनाओं से खेती की पैदावार बढ़ेगी और अनाज की कमी की समस्या हल हो जाएगी। सिंचाई और बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए भाखड़ा–नांगल (पंजाब), दामोदर घाटी (पश्चिम बंगाल), हीराकुंड (ओड़िसा), नागार्जुन सागर (आंध्रप्रदेश), गांधीसागर (मध्यप्रदेश), पं. रविशंकर शुक्ल जलाशय (छत्तीसगढ़) इत्यादि बाँध बनाए गए। इससे सिंचाई वाली जमीन में बढ़ोतरी हुई तथा फसलों की पैदावार भी बढ़ी। इसके साथ–साथ खेती की जानेवाली कुल ज़मीन में बढ़ोत्तरी हो रही थी। इसका प्रमुख कारण था गाँव के आसपास के जंगल व चारागाह की जमीन पर भी खेती होने लगी। इस समय खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिए खेती का रकबा बढ़ रहा था एवं सिंचित भूमि में बढ़ोत्तरी हो रही थी। रेखाचित्र 1 व 2 को देखकर इन बातों को आसानी से समझा जा सकता है।

ऊपर जिन बाँधों का उल्लेख किया गया है उन्हें अपने एटलस में ढूँढ़िए।

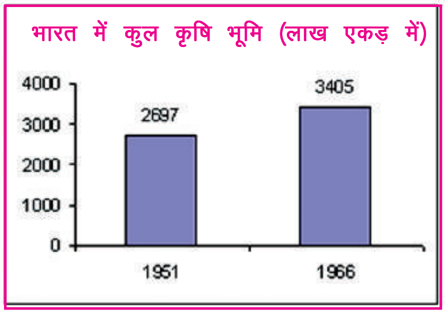

रेखाचित्र 1

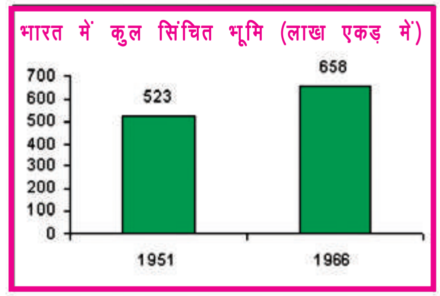

रेखाचित्र 2

उपरोक्त रेखाचित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो –

- 1951 में कितनी जमीन पर खेती होती थी ?
- 1951 में कितनी जमीन पर सिंचाई नहीं होती थी ?
- 1951 और 1966 के बीच सिंचाई की जमीन में कितनी बढ़ोतरी हुई ?
- 1951 और 1966 के बीच खेती का रकबा कितना बढ़ा ?

QH6WPZ

1966 में कृषि नीति – हरित क्रांति :–

सन् 1950 से 1965 के बीच खाद्यानों का उत्पादन बढ़ा परंतु देश में अनाजों की कमी बनी रही। इस कमी को पूरा करने के लिए विदेशों से अनाज मँगाया जाता था। यह बहुत ही चिंता का विषय था। उसी दरम्यान सन् 1965 और 1966 दोनों ही सूखे के साल थे। इस समय अनाज की पैदावार (खाद्यान्न और दालें) बहुत कम पैदा हुईं जिसके कारण अकाल की स्थिति निर्मित हुई एवं सरकार को अनाजों की पूर्ति के लिए पहले से ज्यादा अनाज आयात करने की जरूरत पड़ी।

सरकार के सामने अनाज की पैदावार बढ़ाना सबसे बड़ी समस्या थी। इसके लिए कृषि वैज्ञानिकों की सहायता से कृषि योजना बनाई गई, जिसे हरित क्रांति का नाम दिया गया।

हरित क्रांति के प्रमुख घटक :–

इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य करने की योजना बनाई गई–

1. अधिक उपज देनेवाले उन्नतशील बीज का उपयोग।
2. सिंचाई के लिए मोटर पम्प, बिजली, डीजल का प्रबंध।
3. रासायनिक खाद उपलब्ध कराना।
4. कृषि कार्यों में मशीनों का उपयोग।

5. कीटनाशक दवाओं का उपयोग।

6. कृषि उत्पादनों के लिए मंडी तथा भंडारण की व्यवस्था।

7. सोसायटी एव बैंक से पूँजी की व्यवस्था।

उन्नत बीजों के लिए अच्छी सिंचाई वाली जमीन की जरूरत होती है। इन बीजों की विशेषता थी–ये कम समय में पकते थे, फसल छोटे कद की होती थी, अनाज की पैदावार अधिक होती थी।

देशी बीजों में कीटों का आक्रमण कम होता है परंतु इन उन्नत फसलों पर नुकसान पहुँचाने वाले कीटों का आक्रमण सरलता से हो जाता है। अतः कीटों को मारने वाली दवाओं की भी जरूरत होती है। सही दाम पर उन्नत बीज, खाद, कीटनाशक दवाओं इत्यादि की पूर्ति के लिए हमारे राज्य में सहकारी संस्थाओं की स्थापना की गई है। चूँकि ये दवाइयाँ भारत में अधिक नहीं बनती, अतः इन्हें विदेशों से आयात करना पड़ता था। धीरे–धीरे हम मशीनों की सहायता से खेती करने लगे।

क्या इन घटकों को आप अपने आस–पास की खेती में देख सकते हैं?

हरित क्रांति कहाँ फैली?

भारत में हरित क्रांति को पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ जिलों में **'सघन जिला कृषि कार्यक्रम'** के नाम से लागू की गई। उन्नत बीजों के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है और जिन क्षेत्रों में पहले से ही सिंचाई होती थी, उन्हीं जिलों का चयन इस कार्यक्रम के लिए किया गया। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तरप्रदेश में नए किस्म का गेहूँ पैदा किया जाता था, जबकि तमिलनाडु में चावल पैदा किया जाता था। कुछ वर्षों बाद कृषि की नई तकनीक देश के अन्य भागों में फैल गई।

छत्तीसगढ़ में हरित क्रांति सन् 1966 में जिला सघन कृषि कार्यक्रम के माध्यम से शुरू हुई। इसके लिए रायपुर जिले का चयन किया गया। इस योजना के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय में अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की गई जहाँ नई प्रजातियों के उन्नत बीज तैयार किए गए। उन्नत किस्म के बीज, खाद, कीटनाशक दवाओं के लिए सरकार द्वारा अनुदान की व्यवस्था की गई। सिंचाई के लिए नलकूप खनन तथा सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई। इसी उद्देश्य से

राज्य के कोडार बाँध तथा पं. रविशंकर जलाशय का निर्माण किया गया। सहकारी संस्थाओं की स्थापना कर आसान किश्तों पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया गया। इससे किसानों के पास संसाधनों की वृद्धि हुई ताकि उन्हें जमींदार व साहूकारों के पास जाना न पड़े।

किसानों से चर्चा करके पता करें :–

1. किसान अपने खेतों की सिंचाई किस प्रकार करते हैं? क्या उनके सभी खेतों में सिंचाई होती है?
2. आपने उन्नत बीज कब अपनाया ?
3. आप बीज, खाद और कीटनाशक कहाँ से प्राप्त करते हैं ?
4. छोटे किसान खाद, बीज, सिंचाई आदि की व्यवस्था कैसे करते है ?
5. देशी बीज और उन्नत बीज में तुलना कीजिए ।

हरित क्रांति का प्रभाव :–

1. पैदावार में बढ़ोत्तरी

रोपा लगाने की मशीन

देश के बड़े हिस्से में और नई फसलों में उन्नत बीज के फैलाव से फसल की पैदावार में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी हुई है। हम अनाज के मामले में स्वावलंबी हो गए। पैदावार बढ़ने से अब दूसरे देशों से अनाज मँगवाने की जरूरत नहीं रही। सरकार के पास अनाज का बहुत बड़ा भंडार हो गया है और अनाज की कमी होने पर उसका उपयोग किया जा सकता है। सन् 1967 में सरकार के पास कुल 19 लाख टन अनाज का भंडार था।

2. समर्थन मूल्य एवं अनाज का भंडारण

किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने का फैसला किया। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह कीमत है जिस पर सरकार किसानों

की उपज को खरीदती है। सरकार इस तरह समर्थन मूल्य तय करती है जिससे किसान को उपज की लागत मिल सके और कुछ लाभ भी हो सके। समर्थन मूल्य के कारण किसान व्यापारियों को कम कीमत पर अनाज बेचने के लिए बाध्य नहीं होते।

कृषि उपज मंड़ी

भारत सरकार ने किसानों से अनाज खरीदने और उसका भंडारण करने के लिए भारतीय खाद्य निगम का गठन किया है। यह अनाज का भंडार रखता है और राशन दूकानों और अन्य सरकारी योजनाओं (जैसे स्कूलों में मध्याह्न भोजन, उचित मूल्य की दुकान) को अनाज देता है।

1. उन्नत बीज की खास बात क्या है ? इन बीजों को उगाने के लिए किन–किन चीजों की जरूरत होती है ?
2. नए तरीके से खेती करने के लिए किसानों को हर साल ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। क्यों?
3. हरित क्रांति की सफलता के लिए सरकार ने क्या–क्या प्रयास किया है ?

तालिका भरिए–

सरकार को क्या करना चाहिए?

1.	बीज	उन्नत बीज की व्यवस्था करना
2.	सिंचाई	
3.	खाद	
4.	कीटनाशक	
5.	अनाज की कीमत	

3. कृषि उत्पादन में वृद्धि का किसानों की आमदनी पर प्रभाव :–

फसल काटने की मशीन

जैसे–जैसे अनाज की पैदावार बढ़ी किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के कारण अनाज की बेहतर कीमत मिलने लगी और उनकी आमदनी बढ़ने लगी। कई बड़े किसान खेती के काम के लिए ट्रेक्टर जैसी मशीन खरीदने लगे। इसके लिए विभिन्न बैंकों से उन्होंने कर्ज भी लिया। पानी, बिजली, खाद, बीज और कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग से अब किसानों द्वारा एक से अधिक फसल ली जाने लगी। किसान अब परम्परागत अनाजों की खेती से हटकर व्यावसायिक फसलों का भी उत्पादन करने लगे। इनमें गन्ना, कपास, मूँगफली, साग–सब्जियाँ, फल–फूल, मशरूम तथा औषधि की खेती में निरंतर वृद्धि होने लगी।

छोटे किसानों को बड़े किसानों की तुलना में कम फायदा हुआ। पानी, बिजली, बीज, खाद और कीटनाशक की लागत उनकी कमाई की तुलना में अधिक थी। अतः छोटे किसानों का कर्जदार होना साधारण बात हो गई। जीने के लिए छोटे किसानों को दूसरों के खेतों में मजदूरों के रूप में काम करना पड़ता था।

आजकल भारत के ज्यादातर गाँवों में छोटे किसान और खेतिहर मजदूर के परिवारों के सामने यह समस्या है कि उन्हें साल भर के लिए काम नहीं मिलता।

छोटे और बड़े किसानों पर खेती के नए तरीकों का जो असर हुआ उसकी तुलना कीजिए।

4. पर्यावरण पर असर :–

हरित क्रान्ति से पर्यावरण में कई तरह के असन्तुलन पैदा हुए। हरित क्रान्ति पहले पंजाब, हरियाणा और उत्तरप्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू हुई थी। इन राज्यों में बहुत से किसान धान और गेहूँ की उन्नत खेती करने लगे, जिसके लिए बहुत सिंचाई की जरूरत होती थी। इनका दुष्प्रभाव स्वास्थ्य, जलवायु, जलीय जीव जंतु पर भी देखने को मिला।

(अ) पानी की समस्या :—

सिंचाई का मुख्य स्रोत नलकूप हैं जिसमें भू—जल का उपयोग किया जाता है। जैसे—जैसे कई सालों में नलकूपों की संख्या बढ़ी, वैसे—वैसे भू—जल का स्तर तेजी से गिरा है। भू—जल का स्तर तब तक वैसा ही बना रह सकता है जब उपयोग किए गए भू—जल की मात्रा उसके पुनर्भरण के बराबर होती है। भू—जल का पुनर्भरण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हर साल बारिश, नहरों, नालों और नदियों से होता रहता है। इस विषय पर आपने कक्षा 7वीं में विस्तार से अध्ययन किया है। इन स्रोतों से पानी, मिट्टी के कई किस्म की परतों से होकर धीरे—धीरे रिसता है और भू—जल के रूप में इकट्ठा होता रहता है। समस्या तब पैदा होती है जब नलकूपों आदि के द्वारा उपयोग किए जानेवाले भू—जल का उपयोग पुनर्भरण से ज्यादा होने लगता है। दूसरे शब्दों में, जितना पानी भू—जल के रूप में संग्रह होता है उससे ज्यादा पानी का उपयोग होता है। इससे भू—जल का स्तर उस क्षेत्र में नीचे चला जाता है। भू—जल स्तर के नीचे जाने का मतलब यह है कि भविष्य में उस क्षेत्र में पानी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी।

एक तरफ पंजाब जैसे क्षेत्र में पानी का अत्यधिक दोहन हुआ है और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में सिंचाई का अभाव है। यहाँ दो फसलें ले पाने की संभावनाओं को बढ़ाया जा सकता है। पंजाब के अनुभव को देखते हुए यह ख्याल रखना जरूरी होगा कि हम छत्तीसगढ़ के लिए ऐसी योजनाएँ बनाएँ जो पर्यावरण की सुरक्षा करें। छत्तीसगढ़ के पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्रों में कुएँ, नलकूप, लिफ्ट इरिगेशन (नदी नालों से पानी को उठाकर खेत तक लाना) और छोटे तालाब का अधिक उपयोग कर जल को संरक्षित किया जा सकता है।

1. दो फसलें ले पाने से क्या—क्या लाभ हो सकते हैं? चर्चा करके सूची बनाइए।
2. जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है?

(ब) मिट्टी के उपजाऊपन में कमी :—

मिट्टी में रासायनिक खाद की मात्रा ज्यादा हो जाने के कारण मिट्टी के सूक्ष्म जैविक तत्व (माइक्रो—आर्गनिज्म) नष्ट हो जाते हैं और उन पोषक तत्वों को नष्ट कर देते हैं जो मिट्टी के उपजाऊपन के लिए आवश्यक हैं। वैज्ञानिक अदूरदर्शिता तथा उर्वरकों का असंतुलित उपयोग से मिट्टी के कुल उपजाऊपन में कमी आ जाती है। प्राकृतिक उपजाऊपन कम हो जाने के कारण मिट्टी में ज्यादा जैविक खाद देनी पड़ती है, जिससे फसल की पैदावार वैसी ही बनी रहे। इस प्रकार सिंचाई के खर्च के साथ ही खेती में खाद का खर्च बढ़ जाता है जिससे किसानों का खर्च बढ़ जाता है और मिट्टी भी खराब होती जाती है।

- रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से होनेवाले दुष्परिणाम पर शिक्षक से चर्चा कीजिए।

नीचे दिए गए छत्तीसगढ़ के मानचित्र में पहाड़ी, पठारी एवं मैदानी क्षेत्रों को पहचानो।

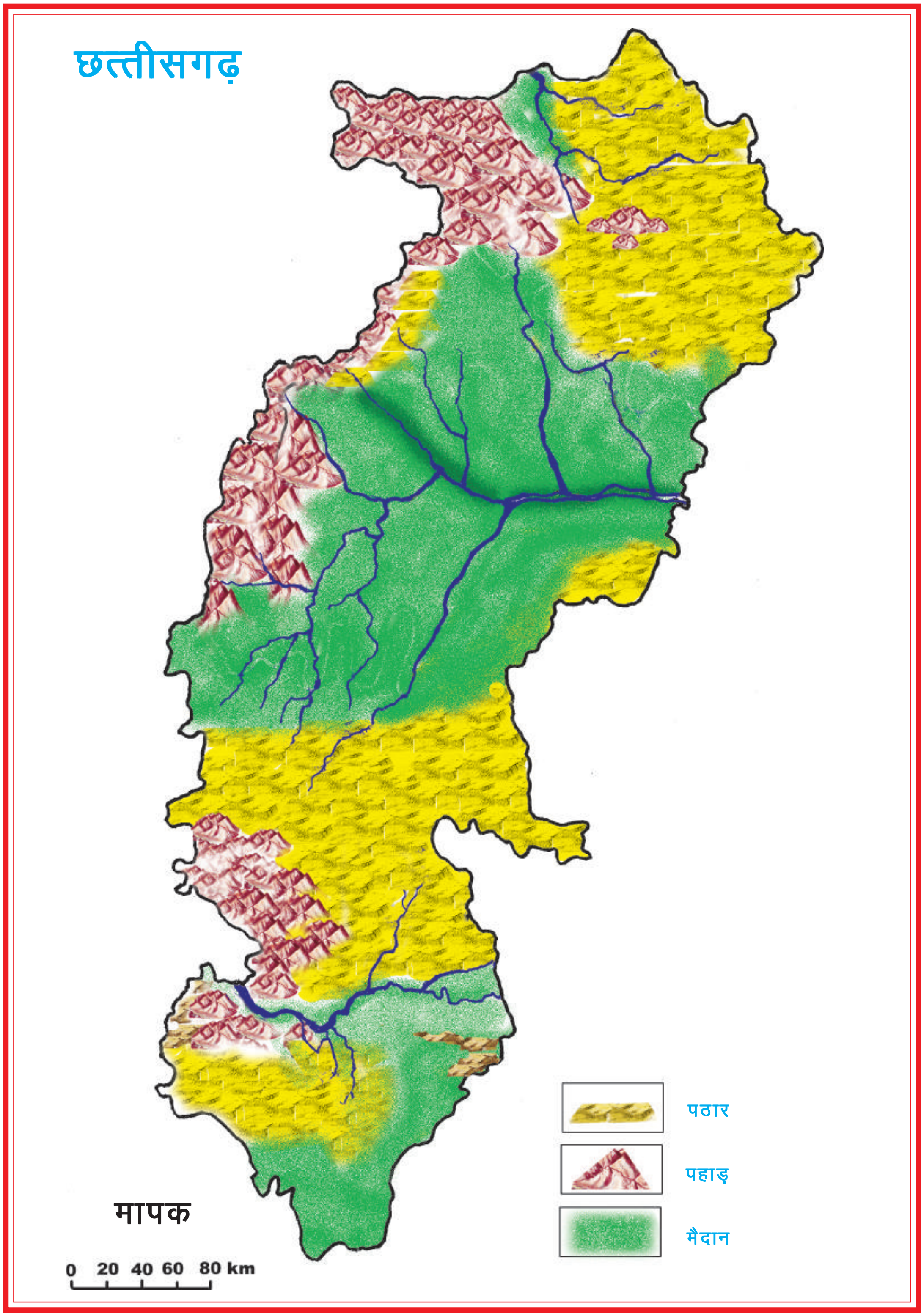

QMFSRH

अभ्यास के प्रश्न

1. आपके क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें पैदा की जाती हैं ? निम्नानुसार तालिका बनाइए

तालिका

क्र.	फसलों के नाम	बोवाई का समय	कटाई का समय
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

2. फसल की अधिक पैदावार से रोजगार के अवसर किस प्रकार बढ़ेंगे ? स्पष्ट कीजिए।
3. न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की जरूरत क्यों है?
4. भारत के लिए अनाज की पैदावार में स्वावलम्बी होना आवश्यक क्यों है ?
5. 1951 के बाद भारत की कृषि में क्या महत्वपूर्ण घटनाएँ हुई ?
6. हरित क्रांति से पहले और बाद की स्थिति में भारत की कृषि में क्या परिवर्तन आए? वर्णन कीजिए।
7. पंजाब और हरियाणा के किसान पर्यावरण की किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं?
8. खेती के नए तरीकों के लिए रासायनिक खाद की जरूरत क्यों होती है? इनके ज्यादा मात्रा में उपयोग से क्या हानि हो सकती है?
9. मिट्टी को उपजाऊ बनाने के कौन–कौन–से तरीके हैं ?
10. उन्नत बीज और देशी बीज के उपयोग से क्या–क्या फायदे और नुकसान हैं ?
11. आप की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपके परिवार में रूपया कहाँ से आता है ?
12. किसानों के हित के लिए सरकार ने कौन सी योजनाएँ बनाई नाम लिखिए।

योग्यता विस्तार

यदि आप कृषि मंत्री होते तो देश की कृषि की हालत को सुधारने के लिए क्या करते ?

अध्याय 8

संयुक्त राष्ट्र संघ (U.N.O.)

आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि विश्व में दो बड़े युद्ध हुए जिन्हें विश्व युद्ध कहा जाता है। इन युद्धों में विश्व के अधिकांश देश दो गुटों में बँटकर लड़े थे। प्रथम विश्व युद्ध सन् 1914 से सन् 1919 तक तथा द्वितीय विश्व युद्ध सन् 1939 से सन् 1945 तक हुआ था। इन युद्धों में घातक हथियारों का प्रयोग हुआ। इनमें लाखों सैनिकों के अलावा अनेक निर्दोष नागरिक भी मारे गए। अपार सम्पत्ति का नुकसान हुआ। परमाणु बम के प्रयोग ने मनुष्य जाति को खतरे में डाल दिया।

युद्ध से होने वाले दुष्परिणामों पर चर्चा कर सूची बनाइए।

जब ये युद्ध हो रहे थे तभी से इन युद्धों के भयानक परिणाम से लोगों को बचाने के लिए विभिन्न देशों के लोगों ने विचार करना शुरू कर दिया था। विश्व में विभिन्न देशों के बीच के विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने, मानव कल्याणकारी कार्यों को विश्व में बढ़ावा देने तथा परस्पर सहयोग से विकास के लिए विश्व के कई देशों ने मिल जुलकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। 50 देशों ने 26 जून सन् 1945 में एक नियमावली (चार्टर) पर हस्ताक्षर कर इस संस्था की स्थापना की। 24 अक्टूबर सन् 1945 से यह संस्था विधिवत् काम करने लगी। इसलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। धीरे–धीरे अन्य देश भी इसके सदस्य बनते गए। सन् 2011 की स्थिति में 193 देश इसके सदस्य हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यः–

चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्य हैं–

1. विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना।
2. दुनिया के देशों के बीच बराबरी एवं मित्रतापूर्ण संबंध विकसित करना।
3. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय समस्याओं का समाधान करना।
4. मानव अधिकारों तथा बुनियादी स्वतंत्रताओं को प्राप्त करने में सहयोग करना।

संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय (न्यूयार्क)

संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत :–

अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने का निर्णय लिया :–

1. आपसी विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाएँगे।
2. किसी राष्ट्र के विरुद्ध कोई राष्ट्र बल प्रयोग नहीं करेगा।
3. यदि कोई राष्ट्र अन्य राष्ट्र पर आक्रमण करता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ उसका विरोध करेगा।
4. नियमावली की शर्तों का सभी सदस्य देश निष्ठापूर्वक पालन करेंगे।

संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग :–

संयुक्त राष्ट्र संघ क

1. सामान्य सभा
2. सुरक्षा परिषद्
3. आर्थिक एवं सामाजिक परिषद्
4. न्यास परिषद्
5. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
6. सचिवालय

संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग

विश्व के विभिन्न देशों में स्थापित कार्यालयों के द्वारा ये अंग संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों की पूर्ति में लगे हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ के 5.स्थाई सदस्य है– 1. चीन 2. फ्रांस 3. रूस 4. संयुक्त राज्य अमेरिका 5. ग्रेट ब्रिटेन

विशेष संस्थाएँ :–

सामाजिक एवं आर्थिक विकास के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए विशेष महत्व है। विकास हेतु समुचित परिस्थितियों के निर्माण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनेक विशेष संस्थाओं की स्थापना की है जो अपने विशिष्ट क्षेत्र में कार्य करती हैं। ये दुनिया के विभिन्न देशों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के प्रसार के साथ–साथ लोगों का जीवनस्तर ऊँचा उठाने, पूर्ण रोजगार देने आदि के कार्य कर रही है। इसकी प्रमुख संस्थाएँ निम्नलिखित हैं :–

संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ विशेष संस्थाएँ–

1. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organisation)
2. खाद्य एवं कृषि परिषद (Food & Agriculture Organisation)
3. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund)
4. विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation)
5. यूनिसेफ (United Nation of Integrated Child Education Fund)
6. यूनेस्को (United Nation of Education Science and Cultural Organisation)

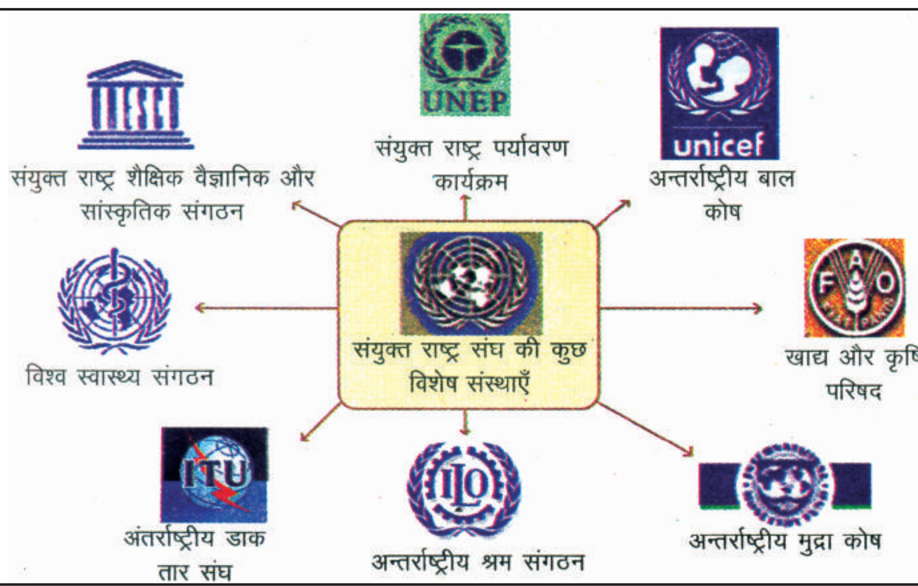

संयुक्त राष्ट्रसंघ की संस्थाओं यूनिसेफ,विश्व स्वास्थय संगठन एवं यूनिसेफ को के प्रतीक चिन्ह (Mono) बताइए। इसी प्रकार अपने आस–पास की किन्ही पांच संस्थाओं के प्रतीक चिन्ह बताइए।

संयुक्त राष्ट्र संघ की ये संस्थाएँ विभिन्न देशों में वहाँ की सरकार और अन्य संगठनों के सहयोग से विकास के विभिन्न कार्य करती हैं। आओ, हम निम्न उदाहरणों के द्वारा इन संस्थाओं के कार्यों को जानें।

पल्स पोलियो अभियान में आपने अपने यहाँ के 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाते हुए देखा होगा। आप शायद यह भी जानते होंगे कि यह बीमारी सामान्यतः 5 साल की उम्र तक के बच्चों को ही अपना शिकार बनाती है। हमारे देश में चलाया जा रहा पोलियो टीकाकरण अभियान विश्व स्वास्थ्य संगठन के पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम का हिस्सा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं यूनिसेफ द्वारा हमारे देश की तरह अन्य देशों में भी पोलियो के वायरस (विषाणु) को समाप्त करने हेतु पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

गाँवों या शहरों में गर्भवती माताओं और छोटे बच्चों को पोलियो, टिटनेस, खसरा, कुकुर खाँसी, डिफ्थीरिया (गलघोटू) और तपेदिक जैसे रोगों से बचाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ मिलकर टीकाकरण अभियान चला रहे हैं।

विभिन्न देशों में (जिसमें हमारा देश भारत भी शामिल है) सबके लिए शिक्षा, बालिका शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता तथा वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा के प्रचार–प्रसार के लिए यूनेस्को नामक संस्था काम कर रही है।

संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई सेना नहीं होती। सदस्य देशों के सैनिकों को ही संयुक्त राष्ट्र विशेष कार्यों के लिए उपयोग में लेता हैं। दो देशों में अथवा देश के भीतर विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना गठित की जाती है। जैसे अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए भेजी गई शांति सेना में भारत के सैनिक भी शामिल थे।

(फ्रांस में संयुक्तराष्ट्र की सेना)
मेजर जनरल एस.पी. भाटिया मेडिकल कोर को सम्बोधित करते हुये

संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका :–

भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक देशों में से है। संघ के उद्देश्यों और सिद्धांतों को बनाने में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत अनेक बार संघ के विभिन्न अंगों का सदस्य रह चुका है। लोकतंत्र की बहाली, रंगभेद दूर करने, शांति व्यवस्था बनाने के लिए सैन्य कार्यवाही के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ को सहयोग दिया है। चूँकि भारत में कई सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएँ हैं इसलिए भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी एजेंसियाँ विविध कार्य कर रही हैं। यह हम ऊपर दिए गए उदाहरणों से समझ चुके हैं।

QZVKES

अभ्यास के प्रश्न

1. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए –

1. –––––– अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है।
2. पोलियो, टिटनेस बीमारी के उन्मूलन के लिए –––––– संस्था कार्य कर रही है।
3. विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना –––––– का कार्य है।
4. प्रथम विश्व युद्ध –––––– सन् में प्रारंभ हुआ था।
5. वर्तमान समय में –––––– देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं।

संयुक्त राष्ट्रसंघ की संस्थाओं यूनीसेक, विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं यूनेस्को को प्रतीक चिन्ह (Mono) बताइए। इसी प्रकार अपने आसपास की किन्हीं पाँच संस्थाओं के प्रतीक चिन्ह बताइए।

2. प्रश्नों के उत्तर दीजिए –

1. किन कारणों से विश्व के देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन की आवश्यकता महसूस हुई?
2. संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य कौन–कौन–से हैं ?
3. संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंगों के नाम लिखिए।
4. संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य कौन–कौन हैं ?
5. निम्नलिखित के पूरे नाम लिखिए–

   अ. यूनेस्को   ब. यूनिसेफ   स. डब्लू.एच.ओ.
6. संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका का वर्णन कीजिए।
7. पता करो कि हमारे देश में विश्व बैंक से प्राप्त राशि का उपयोग किन क्षेत्रों में हो रहा है?

R15GGF

अध्याय 9

भारत की विदेश नीति

अजीत अपने माता–पिता के साथ कुछ दिन पहले नेपाल घूमकर आया था। वहाँ से वह अपने दोस्तों के लिए कुछ नेपाली खिलौने भी लाया था। अगले सप्ताह उसके चाचा जी कुवैत नामक देश से आनेवाले हैं। वह अपने माता–पिता से कह रहा है कि वह अपने चाचा जी के साथ कुवैत भी जाएगा। उसके माता–पिता ने उसे कहा कि वह अपने चाचा जी के साथ कुवैत नहीं जा सकता, क्योंकि कुवैत जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए जो इतनी जल्दी नहीं बन सकता।

(गुरुजी से पता करो कि कुवैत कौन से महाद्वीप में है और भारत से किस दिशा में स्थित है?)

अजीत ने पूछा– ''ये पासपोर्ट क्या होता है''? अजीत के माता–पिता ने कहा कि उन्हें नहीं पता, आप अपने स्कूल की शिक्षिका से पूछना। अजीत ने अपने स्कूल में आकर शिक्षिका से पूछा, ''बहन जी, कुवैत जाने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता क्यों है ? पासपोर्ट क्या होता है?'' शिक्षिका ने कहा, '' पासपोर्ट एक तरह का तुम्हारा पहचान पत्र होता है, ठीक उसी तरह जैसे स्कूल में तुम्हें परीक्षाओं के समय पहचान पत्र दिया जाता है। यह पहचान पत्र इसलिए जरूरी होता है ताकि इस बात का पता लग सके कि यात्रा करने वाले व्यक्ति तुम ही हो। तुम्हारे नाम पर कोई और व्यक्ति तो नहीं जा रहा है और हाँ, केवल पासपोर्ट होने से ही हम किसी भी देश में नहीं जा सकते। इसके अतिरिक्त हमें उस देश के अधिकारियों से अनुमति पत्र भी लेना पड़ता है, जिसे वीसा कहते हैं।''

अजीत हैरान होकर शिक्षिका को बताया कि वह कुछ दिन पहले अपने माता–पिता के साथ नेपाल घूमकर आया है। नेपाल जाने के लिए तो हमें कोई पासपोर्ट नहीं बनवाना पड़ा परन्तु कुबैत जाने के लिए पासपोर्ट क्यों चाहिए ? शिक्षिका ने बताया'' प्रत्येक देश ने दूसरे देशों के नागरिकों को अपने देश में आने–जाने के लिए अलग–अलग नियम बनाए हैं। ये नियम दो देशों के आपसी रिश्तों और व्यवहार को देखकर बनाए जाते हैं। देश की जरूरतों का भी ऐसे नियम बनाते समय ध्यान रखा जाता है।''

1. हमें एक देश से दूसरे देश में किन–किन कारणों से जाना पड़ता है? चर्चा कर सूची बनाइए।
2. क्या नेपाल के नागरिक बिना पासपोर्ट के भारत में आ सकते हैं ?

कक्षा में पहुँचते ही शिक्षिका ने बच्चों को संविधान की उद्देशिका को दोबारा पढ़ने को कहा। शिक्षिका ने बताया कि उद्देशिका का पहला शब्द 'संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न' बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण शब्द है। जिसका मतलब है कि हमारा देश दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करने तथा घरेलू नीतियाँ और नियम बनाने के लिए आजाद है। कोई भी पैसे वाला देश अपने पैसे और ताकत के बल पर अपनी जरूरत की नीतियाँ बनाने के लिए हम पर दवाब नहीं डाल सकता।

1. ऐसी कौन–सी बातें हो सकती हैं जिन्हें ध्यान में रखकर भारत पाकिस्तान के साथ अपने संबंध स्थापित कर सकता है? चर्चा कीजिए।

2. भारत का बांग्लादेश और अमरीका के साथ संबंध में क्या अंतर होगा? क्या दोनों देशों को एक समान महत्व दिया जा सकता है? चर्चा कीजिए।

किसी भी देश द्वारा दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए जो योजना और नियम बनाए जाते हैं उसे विदेश नीति के नाम से जाना जाता है। क्या सभी देशों की विदेश नीति एक जैसी होती हैं? सुरेश ने पूछा। शिक्षिका ने बताया, ''सभी देशों की विदेश नीति एक जैसी नहीं होती है।'' राजू ने कहा, ''एक मुहल्ले में रहते हुए भी हमारे सभी पड़ोसियों से तो एक जैसे रिश्ते नहीं होते, किसी के यहाँ आना जाना कम होता है तो किसी के यहाँ ज्यादा।

1. एशिया के राजनीतिक मानचित्र में अफगानिस्तान को ढूँढो।
2. म्यानमार और बांग्लादेश भारत की किस दिशा में हैं ?
3. भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की सीमाएँ किन–किन देशों से लगी हैं ? यदि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में दूसरे देशों से आने–जाने वाले लोगों पर नजर रखनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा?

दूसरे देशों के साथ विदेश नीति बनाते समय सभी देशेंा की मुख्य जरूरत अपनी सीमाओं की सुरक्षा भी होती है। प्रत्येक देश उन देशों के साथ दोस्ती और सहयोग करने की कोशिश करता है, जो उसकी बाहरी सीमाओं की सुरक्षा करने में सहायक हो सकें। भारत अफगानिस्तान और नेपाल से इसलिए ज्यादा करीब है क्योंकि वह चाहता है कि कोई भी विदेशी सेना हमारे देश तक न पहुँचे। इन देशों की वायु सीमाओं का भी भारत के खिलाफ प्रयोग न किया जा सके।

किसी भी देश की दूसरे देशों के साथ संबंधों की योजना बदलती रहती है। भारत में भी कई बार अपने संबंधों की योजनाएँ बदली हैं। सन् 1962 में चीन द्वारा भारत पर उत्तर–पूर्व और उत्तर दिशा से किए गए हमलों से पहले भारत की सरकार यह मानती थी कि हमें ज्यादा सेना और हथियार रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा कोई भी दुश्मन देश नहीं है। चीन के साथ होने वाली लड़ाई में भारत को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस लड़ाई के बाद भारत ने अपनी सैनिक

योजना और विदेशों के साथ संबंधों की योजना में कुछ बदलाव किए और सेनाओं और हथियारों में वृद्धि की।

राखी ने पूछा–''क्या भारत की सरकार ने भी कुछ नियम बनाए हैं?'' शिक्षिका ने बताया कि भारत ने भी अपने लिए कई सिद्धांत बनाएँ हैं–

1. देश द्वारा दूसरे देश की सीमाओं का सम्मान करना हमारी विदेश नीति का सबसे मुख्य सिद्धांत है। सुरक्षा, विकास एवं शांति के लिए यह भी जरूरी है कि एक देश दूसरे देश पर हमला न करे।
2. एक देश दूसरे देश पर आक्रमण न करे और न ही दूसरे देशों के घरेलू मामलों में दखल दे।
3. सभी देशों को समान रूप से आदर देने और उनकी पहचान का समानता के साथ सम्मान करना।
4. विश्व के किसी गुट में शामिल नहीं होना भी भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्व के बाद सोवियत संघ और अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्र विश्व के अन्य देशों को अपने गुटों में शामिल करना चाहते थे। भारत यह जानता था कि गुटों में बँटना विश्व शांति के लिए हानिकारक है। किसी गुट में शामिल होने का मतलब था किसी भी मामले में हमारे स्वतंत्र मत का कोई अर्थ नहीं। इसलिए यह तय किया गया कि भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा।

अन्तर्राष्ट्रीय मामलों यानि अन्य देशों के साथ संबंधों में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से विचार कर निर्णय लेना भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो विश्व के किसी गुट में शामिल नहीं होने से सम्भव हुआ है। इसे ही भारत की 'गुट निरपेक्ष' नीति कहा जाता है।

गुट निरपेक्षता की इस नीति को विश्वशांति, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एवं विकास के लिए आवश्यक मानकर धीरे–धीरे कई देश इसे अपनाने लगे। इसे अपनाने वाले राष्ट्रों का समूह गुट निरपेक्ष राष्ट्र कहलाने लगा।

R1ECI3

पंचशीलः–

पंचशील भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण आधार है। पंचशील संस्कृत के दो शब्दों ''पंच और शील'' से बना है। पंच का अर्थ है पाँच और शील का अर्थ है आचरण के नियम, अर्थात् आचरण के पाँच नियम।

पंचशील पहली बार तिब्बत के मुद्दे पर 29 मई सन् 1954 को भारत और चीन के बीच हुई संधि में साकार हुआ। संधि में उल्लिखित पाँच बिन्दु निम्नलिखित हैंः–

1. एक–दूसरे की प्रादेशिक अखंडता तथा सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना। यानि सभी देशों की सरकारों और उनके फैसलों के प्रति सम्मान की भावना रखना तथा उनकी स्वतंत्रता और एकता को सम्मानपूर्वक स्वीकार करना।
2. अनाक्रमण अर्थात् किसी दूसरे देश की सीमा पर आक्रमण नहीं करना।
3. एक–दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना अर्थात् कोई भी देश अपने नागरिकों के लिए जो भी नियम–कानून बनाए उसमें रोक–टोक और उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करना।
4. समानता और पारस्परिक लाभ अर्थात् किसी भी कारण से किसी भी देश को छोटा या बड़ा न मानकर समान मानना एवं एक–दूसरे के हित में काम करना।
5. **शांतिपूर्ण सह अस्तित्व–**इसका अर्थ है सभी देश अपनी आजादी को बनाए रखेंगे और एक दूसरे की आजादी के लिए शांतिपूर्वक मदद करेंगे। अपने बीच होने वाले विवादों को शांतिपूर्वक चर्चा से ही हल करना।

भारत ने हमेशा इन सिद्धांतों पर अमल किया है। अन्य देशों या पड़ोसी देशों से भूमि सीमा, पानी के बँटवारे या अन्य विवादों को शांतिपूर्वक हल करने का प्रयास किया है।

R1N8JQ

अभ्यास के प्रश्न

1. विदेश नीति क्या है ?
2. गुट निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है ?
3. गुट निरपेक्षता भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाएँ रखने में किस प्रकार सहायक हो सकती है? अपने विचार लिखें।
4. भारत को गुट निरपेक्ष नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी ?
5. ''पंचशील'' के पाँच सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए ?
6. आपके विचार में किसी भी देश को विदेश नीति बनाते समय किन–किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ?
7. सन् 1962 में भारत ने जिस विदेश नीति को जन्म दिया उसका नाम बताइए ?

अध्याय 10

R1X4LD

सूचना का अधिकार

किकिरदा ग्राम पंचायत ने तालाब बनवाने का निर्णय लिया। खुदाई के लिए सरपंच ने गाँव की औरतों और आदमियों को मजदूरी में लगाया। उसने महिलाओं को 40/– रुपए और पुरुषों को 50/– रुपए मजदूरी देना तय किया। काम मिलने की खुशी में लोगों ने इस रेट पर काम करना मान लिया और काम में जुट गए।

इसी बीच बुधिया की भतीजी चंदा पास के कस्बे से छुट्टी मनाने किकिरदा आई। चंदा की आदत हर किसी से पूछताछ कर जानने–समझने की थी। एक दिन बुधिया जब मजदूरी लेकर आई तो उसने मजाक में अपनी बुआ से कहा, "लाओ मैं पैसे गिन देती हूँ।" बुधिया बोली, ''कौन बहुत–से पैसे हैं बिटिया ? 3 दिन की मजदूरी 120/– रुपए ही तो है, इनको क्या गिनना?'' चंदा ने कहा 3 दिन के सिर्फ 120/– रुपए ये तो बहुत कम हैं बुआ, आपको रोज का कितना मिलता है ?" बुधिया ने कहा, "अरे, आप तो पढ़ी–लिखी हैं। क्या इतना भी हिसाब नहीं लगा सकतीं कि 40/–रुपए रोज का मिलता है। पुरुषों को हमेशा हमसे ज्यादा 50/– रुपए मिलता है। ''चंदा ने कहा, "नहीं बुआ, मैं तो इसलिए कह रही थी कि ये तो बहुत कम पैसे मिल रहे हैं और क्या आपके गाँववालों को यह नहीं मालूम कि सरकार ने इस तरह के काम के लिए रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत न्यूनतम (कम–से–कम) मजदूरी तय कर दी है। इससे कम देना या महिलाओं को पुरुषों से कम पैसे देना तो गैर कानूनी है। ये सब मैंने थोड़े दिन पहले अखबार (पेपर) में पढ़ा था।"

1. न्यूनतम मजदूरी या कलेक्टर रेट से क्या आशय है? वर्तमान में रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी कितनी है? अपनी शिक्षिका के साथ चर्चा कीजिए।
2. एक ही जैसे काम के लिए औरतों को आदमियों से कम मजदूरी देना उनके किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन है?

"अच्छा ये तो बताओ कि मजदूरी लेते समय जब आप मजदूरी भुगतान पंजी में दस्तखत करती हैं तो वहाँ क्या लिखा रहता है?'' चंदा ने पूछा। बुधिया कुछ सोचकर बोली, "ठीक से याद तो नहीं हैं परन्तु कभी खाली दस्तखत भर ले लिया जाता है।" "सरपंच के हिसाब की मजदूरी भुगतान पंजी में जरूर कुछ गड़बड़ है।" चंदा ने कहा।

अगले दिन बुधिया जब मजदूरी के लिए गई तो उसने अपने साथियों को चंदा की बात कही। हबीब बोला–''इसका मतलब है सरपंच, महिलाओं की मजदूरी तो मार ही रहा है, हमको भी पूरे पैसे नहीं दे रहा है। इतना धोखा ? अब तो जरूर कुछ करेंगे।" भीखू बोला, "हम क्या करेंगे भैया और हमारा साथ कौन देगा ?" "अरे कानून साथ देगा और कौन ? हाँ हमको इसके लिए किसी से बात करनी पड़ेगी मगर अभी तो चुप रहो, सरपंच आ रहा है।'' इसके बाद सब अपने–अपने काम में लग गए। अब जब भी सरपंच वहाँ नहीं होता, मजदूर अपनी मजदूरी के पैसों की बात करते। सबने मिलकर हबीब को सच बात पता करने के लिए कहा।

दो–तीन दिन बाद हबीब ने कहा, "मैंने सब पता लगा लिया है। शहर में मेरा दोस्त रामू बता रहा था कि हम सूचना के अधिकार के कानून का प्रयोग कर सकते हैं। सरपंच से हम अब तक कितना काम हुआ और किसको कितनी मजदूरी दी गई है, इसकी जानकारी माँग सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमको पंचायत में आवेदन देना होगा।" सरपंच हिसाब बताएगा इस पर सबको शंका थी। पर फिर भी सब समूह बनाकर उसके पास गए और अर्जी दे ही दी।

सूचना का अधिकार 2005

R26ZN1

उद्देश्य–

1. लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रमुख मानते हुए यह माना गया कि नागरिक जो सूचना या जानकारी चाहते हैं उन्हें अवगत कराना सरकार तथा उनके माध्यमों का कर्तव्य होगा।

2. पारदर्शिता तथा जवाबदेही नागरिकों के प्रति जनविश्वास एवं जनभागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

3. नागरिकों से संबंधित लोक हित के कार्यों में अनावश्यक विलंब दूर हो सकेगा और नागरिकों के प्रति जवाब देह होने का एहसास हो सकेगा।

4. नागरिकों को भी कानून के दायरे में रहकर शासन या उसके माध्यमों को अकारण परेशान करने से संयम रखना होगा तथा व्यक्तिगत हित से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में चिंतन करना होगा।

सूचना का अधिकार प्राप्त करने की प्रक्रियाः–

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने के लिए जिस संस्था या कार्यालय से जानकारी प्राप्त की जानी है उसको लिखित रूप में आवेदन देना होता है। आवेदन के साथ 10/– का शुल्क जमा करना होता है। इस शुल्क की रसीद आवेदक को प्राप्त कर लेनी चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति को शुल्क नहीं देना पड़ता।

आवेदन के तीस दिन के अंदर चाही गई जानकारी संबंधित कार्यालय द्वारा दी जाती है । जानकारी के अंतर्गत यदि किसी प्रकार के कागज़ की छायाप्रतियाँ दी जा रही हैं, तो छायाप्रति का शुल्क जमा करना होता है। राशि देते समय रसीद प्राप्त कर लेना आवश्यक है। शुल्क का भुगतान चालान द्वारा भी किया जा सकता है।

तीस दिवस के अंदर जानकारी प्राप्त न होने पर या जानकारी अधूरी, भ्रामक अथवा गलत होने की स्थिति में आवेदनकर्ता उस संस्था या कार्यालय से संबंधित बड़े अधिकारी के पास आवेदन कर सकता है। जानकारी देने वाली संस्था या कार्यालय की गलती सिद्ध होने पर राज्य सूचना कार्यालय संस्था या कार्यालय से संबंधित व्यक्ति को प्रतिदिन 250/–की दर से अधिकतम 25000/– तक का जुर्माना कर सकता है। जुर्माने से प्राप्त राशि आवेदक को दी जाती है।

1. कम मजदूरी मिलने की बात पता चलने पर लोगों ने क्या करने का फैसला लिया ?
2. मजदूरों ने सरपंच से क्या जानकारी माँगी ?
3. सरपंच से ये जानकारी लेने से उनका क्या फायदा होगा ? चर्चा कीजिए।

जैसा कि सबको शंका थी आवेदन देखकर सरपंच भड़क गया। उसने कहा, "बड़े आए सूचना का अधिकार जानने वाले। मैंने काम दिया इसका तो कोई एहसान नहीं मान रहा। जो मजदूरी देना तय किया था उससे कम पैसे दे रहा हूँ क्या ? मैं तुम लोगों को कोई हिसाब नहीं बताऊँगा। काम करना है तो करो नहीं मत करो।"

मजदूर इस बात पर अड़ गए कि हम तो जानकारी लेकर ही रहेंगे। अब इस काम में उन्होंने रामू की मदद ली। रामू ने उन्हें जनपद पंचायत जैजैपुर के सूचना के अधिकार के प्रभारी

अधिकारी से मिलवाया। उसने कहा, "ये जानना तुम्हारा अधिकार है। तुम इसके लिए यहाँ आवेदन दे दो तो हम कुछ कार्यवाही कर सकेंगे।"

मजदूरों से आवेदन मिलने के बाद जनपद से सरपंच को नोटिस जारी हुआ कि ग्रामीणों ने जो जानकारी चाही है, यह उनका हक है। आप दस दिन के अंदर पूरी जानकारी उनको दें अन्यथा आप पर कार्यवाही होगी।

अब तो सरपंच कुछ घबराया और जानकारी मजदूरों को देने से पहले जनपद ऑफिस में गया। उसने मुख्य कार्यपालन अधिकारी को बताया कि हिसाब में कुछ गड़बड़ी हो गई है। आप मजदूरों को थोड़ा समझा दें। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कहा, "मैं गाँव में आकर बात करूँगा।"

मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने गाँव जाकर मजदूरों और सरपंच को साथ बुलवाया। इसमें सरपंच ने सब जानकारी दिखाई। सीईओ ने एक–एक मजदूर को जानकारी देकर पूछा कि इसमें क्या गड़बड़ी है ? तब मजदूरों ने बताया कि उन्हें कम पैसे मिले हैं। सरपंच ने कहा, "मैंने लालच में आकर हिसाब में थोड़ी गड़बड़ी की है। इसके लिए मैं आप सबसे माफी माँगता हूँ। भविष्य में मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, मैं सबका बचा हुआ पैसा देने को तैयार हूँ।" मुख्य कार्यपालन ने मजदूरों से कहा, "अगर आप सब लोग मान जाते हैं और इसे माफ कर देते हैं तो मैं इस पर कोई कार्यवाही नहीं करूँगा।"

सबने हबीब की ओर देखा। हबीब ने बुधिया, बिसनू और भोला से बात की। सबने कहा, "अगर यह गलती मान रहा है और पूरे पैसे भी लौटा रहा है तो हम इसको माफ कर देते हैं।"

इसके बाद सरपंच ने आदमियों को और औरतों को हर दिन के हिसाब से बची हुई मजदूरी का भुगतान किया। बुधिया ने चंदा को 50/– रुपए दिए और कहा, "बिटिया तुम इसकी मिठाई खाना। तुम्हारे कारण ही हम सबका इतना फायदा हुआ है।"

अभ्यास के प्रश्न

R2FVPN

1. रिक्त स्थान को भरिए :–

(क) सूचना के अधिकार का अधिनियम ––––––– में बनाया गया।

(ख) गलत जानकारी देने वाले कार्यालय को ––––––– तक जुर्माना हो सकता हैं।

(ग) न्यूनतम मजदूरी ––––––– तय करती है।

2. प्रश्नों के उत्तर दीजिए –

1. सरपंच से जानकारी नहीं मिलने पर मजदूरों ने क्या किया?
2. यदि सरपंच समझौता नहीं करता तो क्या किया जा सकता था?
3. सरपंच से समझौता करने का निर्णय किसने लिया और क्यों?
4. सूचना का अधिकार के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने की विधि क्या है?
5. सूचना का अधिकार के अन्तर्गत आवेदन करने के कितने दिनों के अन्दर सक्षम अधिकारी को जानकारी देना अनिवार्य है?

अध्याय 11

ट्रांस जेण्डर/थर्ड जेण्डर

मीता, उसके भैया और माँ, मीता के स्कूल की गतिविधियों पर चर्चा कर रहे थे। तभी मीता के पिताजी आए। उनके पूछने पर मीता ने उन्हें भी अपने स्कूल की बातें बतायीं। पिताजी ने बताया कि वे एक ऐसे कार्यक्रम में गए थे जहाँ एक परिचर्चा हो रही थी। मीता ने पूछा परिचर्चा क्या होती है? तब पिताजी ने बताया इसमें लोग मिल–जुल कर किसी विषय पर बातचीत कर अपनी राय बताते हैं। आज की परिचर्चा उन लोगों के बारे में थी जो तीसरे जेण्डर या ट्रांस जेण्डर कहलाते हैं। मीता के पूछने पर उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों में जन्म के समय के जेण्डर (लड़की या लड़का होना) और बड़े होने के बाद के जेण्डर में अंतर हो सकता है। यह भी उतना ही प्राकृतिक होता है जितना हमारा गोरा, काला या सांवला होना। इसमें किसी का कोई दोष नहीं होता। माँ, भैया और मीता की उत्सुकता को देखकर पिताजी ने आगे बताया कि –

- ✶ ऐसे लोगों का पहनावा, बोलचाल, रहन–सहन का तरीका वे जैसे दिखते हैं उससे अलग हो सकता है।
- ✶ ऐसे लोगों की अक्सर समाज में उपेक्षा की जाती है। लोग उन पर हँसते हैं, उन्हें छेड़ते हैं, परेशान करते हैं और उनके लिए गंदी बातें करते हैं।
- ✶ कभी–कभी इनके माँ–पिताजी या रिश्तेदार भी उन्हें अपनाने से मना कर देते हैं जिससे वे बड़ी कठिनाई से अपना जीवन–यापन करते हैं।
- ✶ कभी–कभी परिवार या दूसरे लोगों के बुरे/गलत व्यवहार के कारण ये आत्महत्या भी कर लेते हैं।

भैया ने दुखी होकर कहा– लोग क्यों नहीं समझते कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने और शिक्षा पाने का पूरा अधिकार है। हमें सभी के साथ सामान्य और सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए, हो सके तो उनकी सहायता भी करना चाहिए।

पिताजी ने कहा –

- ➢ ये भी हमारे जैसे ही हैं।
- ➢ ये हमारे जैसा सब कुछ कर सकते हैं।
- ➢ इनकी जरूरतें भी हमारे जैसी ही होती हैं।
- ➢ हमें इनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए।
- ➢ इन्हें भी हमारे जैसे सभी अधिकार हैं।
- ➢ ये भी हमारे जैसे ही प्यार, अपनापन और सम्मान पाने के हकदार हैं।
- ➢ इनके साथ भी हमारा व्यवहार इतना अच्छा होना चाहिए जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं और अपने लिए चाहते हैं।

मीता और भैया ने कहा –

पिताजी हम इन बातों का हमेशा ध्यान रखेंगे और अपने साथियों को भी बताएंगें।

ब्रेल एक परिचय

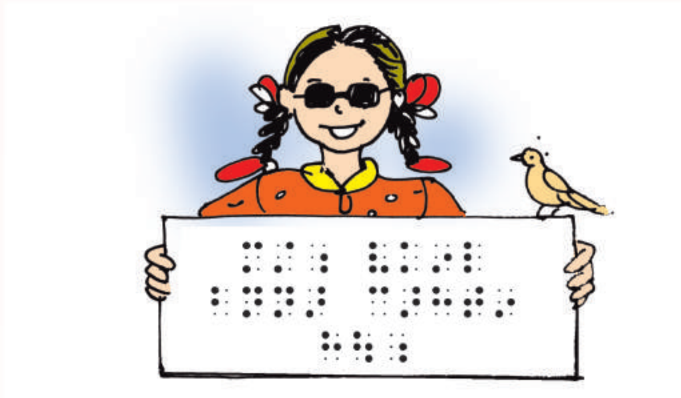

क्या आप जानते है यह क्या लिखा है

यह लिखा है –**मैं वकील बनना चाहती हूं।**

देवनागिरी, गुरूमुखी इत्यादि लिपियों की तरह ही ब्रेल भी एक लिपि है। ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा पढ़ने एवं लिखने के लिये किया जाता है। ब्रेल लिपि का अविष्कार लुई ब्रेल द्वारा सन् 1829 में किया गया था। ब्रेल लिपि उभरे हुए छ: बिन्दुओं पर आधारित होती है, इन छ: बिन्दुओं से मिलकर एक सेल बनता है, प्रत्येक सेल में एक वर्ण (अक्षर) लिखा जाता है। ब्रेल लिखने के लिये स्टाइलस एवं विशेष प्रकार की स्लेट का उपयोग किया जाता है जिसमें छ:–छ: बिन्दुओं के कई सेल बने होते हैं इसे ब्रेल स्लेट कहा जाता है। ब्रेल स्टेल में मोटे कागज़ की शीट पर स्टाइलस के द्वारा लिखा जाता है। ब्रेल स्लेट की सहायता से ब्रेल लिपि में लिखते समय सीधे हाथ से उलटे हाथ की तरफलिखा जाता है जिससे की उभार दूसरी तरफ आते हैं। इन्ही उभारों को हाथ की उंगलियों की सहायता से छू कर पढ़ा जाता है। ब्रेल के छ: बिन्दुओं का क्रम इस प्रकार होता है।

① ④
② ⑤
③ ⑥
ब्रेल बिन्दु

इन छ: बिन्दुओं को लेकर 63 अलग-अलग आकृतियां बनाई जा सकती है।
कुछ आकृतियां निम्न प्रकार हैं

ब्रेल चार्ट

नोट : उभारे हुए बिन्दुओं को यहां मोटे बिन्दुओं के रूप में दिखाया गया है।

Copyright © 2008 ARUSHI. All rights reserved.

क्या आप जानते हैं इकबाल आपसे क्या कह रहा है?

इकबाल आपसे कह रहा है मैं कक्षा में प्रथम आया!

सांकेतिक भाषाः सामान्य परिचय

सांकेतिक भाषा का उपयोग श्रवण बाधित व्यक्ति द्वारा संप्रेषण हेतु किया जाता है। वाक् के अभाव में श्रवण बाधित सांकेतिक भाषा का उपयोग करते हैं। आमतौर पर लोगों की धारणा है कि सांकेतिक भाषा में व्याकरण का अभाव होता है परन्तु यह सही नहीं है, सांकेतिक भाषा में भी व्याकरण है। व्याकरण की दृष्टि से अमेरिकन सांकेतिक भाषा सबसे ज्यादा उन्नत है। अमेरिकन सांकेतिक भाषा फिंगर स्पेलिंग पर निर्भर है तथा वहां सिंगल हैण्डेड फिंगर स्पेलिंग का प्रयोग किया जाता है। इंडियन सांकेतिक भाषा में डबल हैंड़ेड फिंगर स्पेलिंग का प्रयोग किया जाता है। आइये अब हम डबल हैंड़ेड फिंगर स्पेलिंग जाने–